




भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन**

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	1.1	1
2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक	1.1.3	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	10
भारत सरकार से सहायता-अनुदान	1.3.2	11
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	12
त्यक्त राजस्व	1.3.4	12
श्रम सेस	1.3.5	13
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	1.4	13
ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ	1.4.1	14
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	15
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1.4.3	15
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	15
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	16
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	1.6.1	16
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	1.6.2	17
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	17
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	20
वित्तीय सहायता	1.6.5	20
व्यय की गुणवत्ता	1.7	23
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	23
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	24
चयनित समाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	24
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	25
सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	25
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	25
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	26
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	1.8.4	27
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	29

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	29
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों की वृद्धि तथा संयोजन	1.9.1	29
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	30
हास निधि	1.9.3	31
राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.)	1.9.4	32
प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.5	32
ऋण प्रबंधन	1.10	33
ऋण की रूपरेखा	1.10.1	33
ऋण वहनीयता	1.10.2	33
राजकोषीय असंतुलन	1.11	35
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	35
अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	37
बजट प्रबंधन की प्रक्रिया	2.2	37
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	37
वित्तीय दायित्व तथा बजटीय प्रबंधन	2.4	39
आवंटित प्राथमिकताओं के सम्मुख विनियोग	2.4.1	39
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.2	41
सतत बचत	2.4.3	41
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4.4	44
विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	45
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	46
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	47
निधियों का वृहद अभ्यर्पण	2.4.8	47
व्यय का वेग	2.5	47
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	2.6	48
अनुदान संख्या 41 - पथ निर्माण विभाग की बजटीय प्रक्रिया	2.7	48
परिचय	2.7.1	48
संगठनात्मक ढाँचा	2.7.2	49
बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	2.7.3	50
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.7.4	50
बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय	2.7.5	51
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण	2.7.6	51
निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण	2.7.7	52

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
व्यय का वेग	2.7.8	53
विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन	2.7.9	53
अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1	55
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा	3.2	57
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	57
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.2	57
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.2.3	58
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये	3.2.4	59
संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.3	60
पथ निर्माण विभाग द्वारा सं.आ. विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.4	61
पूँजीगत कार्यों हेतु सं.आ. विपत्रों पर निधियों का अनधिकृत आहरण	3.4.1	61
वित्तीय वर्ष के अंत में सं.आ. विपत्रों के विरुद्ध आहरण	3.4.2	62
सं.आ. विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खातों में रखा जाना	3.4.3	62
2016-17 के विस्तृत आकस्मिक (वि.आ) विपत्रों की लेखापरीक्षा	3.5	63
दुर्विनियोग, हानियाँ इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.6	64
राजस्व एवं पूँजीगत के बीच वर्गीकरण	3.7	65
निधियाँ आहरित कर व्यक्तिगत बही (व्य.ब.) खातों में रखा जाना	3.8	65
लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्रविष्टि	3.9	67
रोकड़ शेष में अंतर	3.10	68
लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण अवयव	3.11	68
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन	3.12	69
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.13	69
राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.14	69

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड की रूपरेखा	73
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	74
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	74
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली	75
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	76
परिशिष्ट 1.4 भाग-क	वर्ष 2016-17 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	79
परिशिष्ट 1.4 भाग-ख	31 मार्च 2017 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	82
परिशिष्ट 1.5 भाग-क	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	84
परिशिष्ट 1.5 भाग-ख	73 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यों का विवरण	85
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या अधिक की भी बचत हुई	86
परिशिष्ट 2.2	उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2016-17 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ व उससे ज्यादा) हुई	88
परिशिष्ट 2.3	₹ एक करोड़ व अधिक के बचत की विवरणी जो अभ्यर्पित नहीं किये गये	93
परिशिष्ट 2.4	₹10 करोड़ से अधिक की निधि के 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पण के मामले	94
परिशिष्ट 2.5	पिछले वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	96
परिशिष्ट 2.6	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	97
परिशिष्ट 2.7	निधियों का अधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	99
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये बड़े अभ्यर्पणों की समीक्षा के परिणाम	100
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	107
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रि अधिकारियों की सूची जहाँ 2016-17 के दौरान व्यय असमाशोधित रहा	109
परिशिष्ट 2.11	परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	111

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 2.12	विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन	112
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2017 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	113
परिशिष्ट 3.2	सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 व 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	114
परिशिष्ट 3.3	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों में अभिश्रवों का नहीं पाया जाना	117
परिशिष्ट 3.4	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विलंब से प्रस्तुतीकरण	119
परिशिष्ट 3.5	राजस्व खण्ड के अंतर्गत बड़े कार्य	121
परिशिष्ट 3.6	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	121
परिशिष्ट 3.7	लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	122
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द	123

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का प्रयोजन 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्य विधानसभा को वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित जानकारी प्रदान करना है। यह प्रतिवेदन झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, चौदहवें वित्त आयोग (14^{वें} वि.आ.) प्रतिवेदन तथा वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों के विरुद्ध वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयास है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2017 को झारखण्ड सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋणों के पुनर्भुगतान पर व्यय और लिये गये उधार के स्वरूप की प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों एवं रीति, जिसमें आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभाग द्वारा प्रबंधन किया गया, का अनुदानवार व्याख्या प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के झारखण्ड सरकार के अनुपालन की सूची है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित किये जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति हेतु गणना करने के बावजूद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के प्रतिशत के रूप में भी राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, और पूँजीगत व्यय 2012-13 से 2016-17 में बेहतर हुई हैं।

कंडिका 1.1.1

राज्य ने बजट अनुमान 2016-17 और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटा और स.रा.घ.उ. से बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है। लेखापरीक्षा आकलन ने आगे उद्घटित किया कि राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटा और ऋण:स.रा.घ.उ. अनुपात लेखाओं में वर्णित से भी ज्यादा प्रतिकूल थे।

कंडिका 1.1.2

झारखण्ड सरकार का प्राथमिक घाटा ₹1,015 करोड़ (2012-13) से बढ़कर 2016-17 के दौरान ₹6,020 करोड़ हो गया जो इंगित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधनों का जुटाव

राजस्व प्राप्तियाँ (₹47,054 करोड़) पिछले वर्ष (₹40,638 करोड़) से ₹6,416 करोड़ (15.8 प्रतिशत) बढ़ीं जो बजट अनुमानों (₹55,746 करोड़) से कम था।

राजस्व व्यय (₹45,089 करोड़) 2015-16 से ₹8,536 करोड़ (23 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमानों (₹48,762 करोड़) से कम था।

पूँजीगत व्यय (₹10,861 करोड़) 2015-16 से ₹2,702 करोड़ (33 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमानों (₹10,992 करोड़) से कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट बनाने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिये ताकि बजट अनुमान और वास्तविक के बीच कायम अंतर समाप्त हो।

कंडिका 1.1.3

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा और अनुशंसाओं का सारांश

श्रम सेस

वित्त लेखे के अनुसार 2008-09 से 2016-17 के बीच सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से श्रम सेस के रूप में ₹312.90 करोड़ संग्रहित किया गया। संग्रहित सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया (फरवरी

2018) जिससे संबद्ध वर्षों के दौरान राज्य के राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई।

श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम सेस का अंतरण नहीं किये जाने से न केवल सेस संग्रहण का उद्देश्य विफल रहा बल्कि उस सीमा तक यह सरकारी दायित्व भी बना।

अनुशंसा: वित्त विभाग को श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड को यथाशीघ्र अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए।

कंडिका 1.3.5

लोक व्यय की पर्याप्तता

कुल व्यय से विकास व्यय एवं आर्थिक व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। तथापि, शिक्षा प्रक्षेत्र व्यय एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के इन पर किये गये व्यय से कम थे।

कंडिका 1.7.1

सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

13^{वें} और 14^{वें} वित्त आयोगों ने सिंचाई परियोजनाओं के वाणिज्यिक व्यावहारिकता के मूल्यांकन हेतु इनपर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, जैसा कि राज्य के वित्त लेखे से उद्घाटित हुआ कि किसी भी सिंचाई योजना को वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

वित्त लेखे के परिशिष्ट VIII (i) के अनुसार 2016-17 के अंत तक झारखण्ड में ₹1,707.49 करोड़ के कुल पूँजीगत परिव्यय के साथ 42 सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिसमें से ₹1,543.47 करोड़ इन परियोजनाओं के कार्यचालन व्यय और रखरखाव शुल्कों पर खर्च किया गया। 2016-17 के दौरान, इन परियोजनाओं से राजस्व के रूप में ₹62.19 करोड़ प्राप्त हुए।

अनुशंसा: राज्य सरकार वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने के लिये उपायों की शुरुआत कर सकती है।

कंडिका 1.8.1

अपूर्ण परियोजनायें

अपूर्ण कार्य पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लोक निर्माण विभाग के पास 280 अपूर्ण परियोजनायें थीं जिन्हें मार्च 2017 तक पूरा किया जाना था। 31 मार्च 2017 तक इन परियोजनाओं पर ₹4,777.52 करोड़ खर्च हो चुके थे।

अनुशंसा: राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए।

कंडिका 1.8.2

निवेश, ऋण व अग्रिमों पर प्रतिफल

2012-17 के दौरान राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार लागत और कार्यशील सा.क्षे.उ. में निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण ₹55.43 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर निवेश का प्रतिफल नहीं आंका जा सकता।

यह भी कि, विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार लागत और विगत तीन वर्षों में दिये गये ऋण के बीच अंतर के कारण ₹709 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को ऐसी कंपनियों जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी के उधार लागत को भी पूरा नहीं कर पाता में निवेश की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

कंडिका 1.8.3 व 1.8.4

हास निधि

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए राज्य ने बैंकों के ऋणों, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि इत्यादि पर दायित्व सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिये 2016-17 में एक हास निधि सृजित किया।

हास निधि हेतु ₹282.65 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध, झारखंड सरकार ने 2016-17 के दौरान बजट में ₹200 करोड़ का प्रावधान किया। तथापि, निधि में बजट प्रावधान के बावजूद 2016-17 में कोई राशि अंतरित नहीं किया गया।

अनुशंसा: झारखंड सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा का अनुसरण करना चाहिये और ऋणों के परिशोधन हेतु हास निधि में आवश्यक राशियाँ अंतरित करनी चाहिये।

कंडिका 1.9.3

राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.)

मार्च 2017 तक रा.आ.मो.नि. में ₹1,259.21 करोड़ का अंतिम शेष था। रा.आ.मो.नि. दिशानिर्देश 2010 के कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के अंतर्गत राशियों का (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) ऑक्शण्ड ट्रेजरी बिल्स तथा (ग) ब्याज अर्जित करनेवाले जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए। तथापि, सरकार ने दिशानिर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया।

तथापि, झारखण्ड सरकार ने रा.आ.मो.नि. को इसके सृजन के समय से ही किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जिससे 2010-17 की अवधि के दौरान लागू ब्याज की दरों पर गणना अनुसार ₹403.63 करोड़ परिकल्पित होती है; अतः मार्च 2017 के अंत तक इसने उस सीमा तक एक दायित्व सृजित कर दिया। 2016-17 के दौरान भुगतान न किया गया ब्याज ₹74.50 करोड़ था।

अनुशंसा: राज्य को इस निधि के अंतर्गत पड़ी विशाल राशि को दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करना चाहिए।

कंडिका 1.9.4

प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, झारखण्ड सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि (प्रत्या.ऋ.नि.) गठित करना था। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि सृजित नहीं किया है।

इस प्रकार, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदे गये बिजली के लिये दामोदर घाटी निगम को ₹157.15 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति के संदर्भ में, झारखण्ड सरकार ने प्र.ऋ.नि में 2005-06 (12^{वें} वित्त आयोग के प्रारंभ) से 2016-17 की अवधि से संबंधित ₹6.32 करोड़ का अंतरण नहीं किया। उपर दर्शाए गए ₹6.32 करोड़ में से ₹0.79 करोड़ 2016-17 का है।

2016-17 के दौरान कोई भी प्रत्याभूति न तो दी गयी या न रद्द की गयी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि का सृजन तथा संचालन करना चाहिए।

कंडिका 1.9.5

बचत

19 अनुदानों से संबंधित 23 मामलों में ₹9,979.81 करोड़ (74 प्रतिशत) का बचत हुआ। इन मामलों में, बचत ₹100 करोड़ से अधिक और अनुदान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक हुआ।

12 मामलों में (11 विभागों) विगत पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों से वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उचित बजटीकरण सुनिश्चित करना चाहिये। सभी प्रत्याशित बचतों को समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिये ताकि निधियों को अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जा सके।

कंडिका 2.4.1 व 2.4.3

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

2016-17 के दौरान 52 अवसरों पर आकस्मिकता निधि से ₹382.07 करोड़ राशि के अग्रिम राशि आहरित किये गये जिसमें से, 22 अवसरों पर कुल ₹348.52 करोड़ की राशि ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये आहरित किये गये जो न तो अप्रत्याशित और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

अनुशंसा: राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से अत्यावश्यक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय की पूर्ति के अलावा कोई अग्रिम आहरित नहीं किये जाते हैं।

कंडिका 2.4.4

प्रावधानों से अधिक व्यय के नियमन की आवश्यकता

2001-02 से 2016-17 के दौरान प्रावधानों से ₹2,749.87 करोड़ आधिक्य व्यय को भारत के संविधान की अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

अनुशंसा: आधिक्य व्यय के सभी विद्यमान मामलों को यथाशीघ्र विनियमित किया जाना चाहिए तथा भविष्य में अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति, जहाँ कि व्यय सिर्फ आकस्मिकता निधि से होना चाहिए, को छोड़कर इस प्रकार के व्यय को पूर्णतः बंद किया जाये।

कंडिका 2.4.5

व्यय का वेग

29 शीर्षों में ₹9,977.08 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में ₹6,966.05 करोड़ (69.82 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसमें से, ₹3,970.49 करोड़ (कुल व्यय का 39.80 प्रतिशत) का व्यय झारखण्ड बजट नियमावली के प्रावधानों से बचते हुए माह मार्च 2017 में किया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को बजट नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिये।

कंडिका 2.5

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विभिन्न विभागों द्वारा 2015-16 तक आहरित सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध ₹29,449.52 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) 31 मार्च 2017 तक बकाया थे जो अभीष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की समयबद्ध उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु नियमावलियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता का सूचक था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा

से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य अनुदान दोषी अनुदानग्राही संस्थान को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अन्दर उ.प्र.प. समर्पित नहीं करते हैं, के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

कंडिका 3.1

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के समर्पण में विलंब

19 कार्यशील सा.क्षे.उ. (54 लेखे) और तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ./निगमों (15 लेखे) के लेखे एक से आठ वर्षों तक बकाया हैं। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अवधि के दौरान 11 कार्यशील सा.क्षे.उ. में ₹2,658.06 करोड़ (इक्विटी: ₹76.25 करोड़, ऋण: ₹1,271.80 करोड़, पूँजीगत अनुदान: ₹1,310.01 करोड़) का बजट सहायता प्रदान किया। राज्य सरकार ने अवधि के दौरान एक अकार्यशील कंपनी को भी ₹15.53 करोड़ का बजट सहायता प्रदान किया।

यह भी कि, वैसे संस्थानों, जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है, से दिये गये ऋण की वसूलियाँ बाकी हैं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को उन सभी सा.क्षे.उ. के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ लेखे बकाया हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय समर्थन को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।

कंडिका 3.2.3

लाभांशों की घोषणा

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा अंशदानित प्रदत्त शेयर पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान आवश्यक है। उनके नवीनतम फाइनल लेखाओं के अनुसार ₹75.74 करोड़ के सरकारी इक्विटी वाले पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹22.97 करोड़ का समग्र लाभ कमाया, लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा: राज्य को शेयर पूँजी के रूप में अपने निवेशों पर प्रतिफल हेतु लाभांश नीति बनाना चाहिये।

कंडिका 3.2.4

बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

2001-17 के दौरान अग्रिम किये गये 9,503 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध मार्च 2017 के अंत में ₹5,651 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक विपत्र बकाया थे।

2000-17 अवधि के दौरान पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा सं.आ.विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुआ कि अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष 3054 (₹0.39 करोड़) और 5054 (₹449.76 करोड़) के अंतर्गत 199 सं.आ. विपत्रों पर ₹450.15 करोड़ आहरित किये गये।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री अधिकारी नियत अवधि से परे लंबित सभी सं.आ. विपत्र को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि स.आ. विपत्र, बजट को सिर्फ व्यपगत होने से रोकने के लिए आहरित नहीं किए जाते हैं।

कंडिका 3.3 व 3.4

व्यक्तिगत जमा खाते/व्यक्तिगत बही खाते

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 334 के प्रावधानों के अनुसार निक्षेप प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेगा। दो लगातार वित्तीय वर्षों तक बिना व्यय के पड़ी राशियों को आगे खर्च नहीं करना चाहिये और बचे शेष को संबंधित सेवा शीर्ष जिससे राशि आहरित की गयी थी में व्यय में कमी के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये।

2016-17 के दौरान, ₹5,217.97 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹8,406.87 करोड़ जोड़े गये और वर्ष के दौरान ₹4,136.44 करोड़ खर्च किये गये जिससे 155 व्यक्तिगत बही खातों में 2016-17 के अंत में ₹9,488.40 करोड़ शेष रहा।

सात संस्थानों के व्यक्तिगत बही खातों के नमूना जाँच से उजागर हुआ कि ₹285.82 करोड़ तीन से लेकर आठ वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़ी रही और 31 मार्च 2017 तक संबंधित संस्थानों के प्रशासकों द्वारा प्रत्यर्पण नहीं की गयी थीं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन व्यक्तिगत बही खातों में पड़ी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। आगे, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है जो नियमों के अनुसरण में विफल रहते हैं।

कंडिका 3.8

लघु शीर्ष '800' के अधीन प्रविष्टि

झारखण्ड सरकार के विभागों में लघु शीर्ष 800 को नियमित रूप से परिचालित किया जिसे सिर्फ असाधारण मामलों में परिचालित किया जाना है। 2016-17 के दौरान, प्राप्तियों के अधीन ₹1,335.62 करोड़ और व्यय के अधीन ₹1,139.59 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रविष्टि किये गये परिणामस्वरूप लेन-देनों में अस्पष्टता रही।

अनुशंसा: वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघुशीर्ष 800 में दर्ज सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ व व्यय उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं।

कंडिका 3.9

राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशियों का संविभाजन

पूँजीगत खंड के अंतर्गत ₹11,935.23 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत ₹6,583.36 करोड़ के शेष सहित लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹7,443.90 करोड़ की राशि के शेष उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच, नवंबर 2000 से तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद, संविभाजन किया जाना बाकी है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिम के अधीन शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।

कंडिका 3.12

राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वित्त लेखे के अनुसार, व्यय एवं राजस्व के गलत प्रविष्टि/लेखांकन का प्रभाव राजस्व आधिक्य में ₹258.54 करोड़ के अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे में ₹154.70 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में हुआ।

तथापि, प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों में जैसी चर्चा की गयी है, व्यय और राजस्व की गलत प्रविष्टि/लेखांकन के प्रभाव जैसा लेखापरीक्षा द्वारा परिगणित किया गया ₹1,359.61 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति को अधिक और ₹671.98 करोड़ तक के राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में हुआ।

कंडिका 3.14

अध्याय-1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2015-16 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त लेखे में दिये गये विवरणों पर आधारित है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)¹

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 1.1: भारत का स.घ.उ. तथा राज्य का स.रा.घ.उ.

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,74,724	1,88,567	2,18,525	2,31,294	2,53,536
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.77	7.92	15.89	5.84	9.62
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,63,250	1,65,816	1,86,534	1,97,536	2,12,721
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.17	1.57	12.49	5.90	7.69

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2017 को जारी स.घ.उ./ स.रा.घ.उ. के आंकड़े।

राज्य की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है। सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या भाग 'क' में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास भाग 'ख' में है।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

1.1.1 2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 2015-16 के सम्मुख 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.4 भाग-क 2016-17 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2016-17 के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					गैर-योजना	योजना	कुल
खण्ड क : राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	40,638.35	47,053.93	राजस्व व्यय	36,552.83	22,895.38	22,193.66	45,089.04
स्वयं का कर राजस्व	11,478.95	13,299.25	सामान्य सेवायें	12,002.43	12,742.66	281.10	13,023.76
कर-भिन्न राजस्व	5,853.01	5,351.42	सामाजिक सेवायें	14,843.81	6,042.46	12,514.91	18,557.37
संघीय कर एवं शुल्क	15,968.75	19,141.92	आर्थिक सेवायें	9,706.59	4,110.26	9,397.65	13,507.91
भारत सरकार से अनुदान	7,337.64	9,261.35	सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख : पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	8,158.51	47.05	10,813.63	10,860.68
ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	31.06	38.46	संवितरित ऋण व अग्रिम	7,480.00	77.14	1,257.92	1,335.06
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,244.65	7,081.42	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,245.93	2,077.88	0.00	2,077.88
आकस्मिकता निधि में अंतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ [#]	29,036.72	22,051.80	लोक लेखा संवितरण [#]	27,053.00	16,819.82	0.00	16,819.82
रोकड़ का आरंभिक शेष	444.21	1,904.72	रोकड़ का अंत शेष	1,904.72	1,947.85	0.00	1,947.85
कुल	83,394.99	78,130.33	कुल	83,394.99	43,865.12	34,265.21	78,130.33

स्रोत: वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वित्त लेखे

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन सम्मिलित नहीं हैं।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ(रा.प्रा)/राजस्व व्यय(रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में प्रस्तुत किये गये हैं।

2016-17 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न हैं:

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँव्य. की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	24,770	26,137	31,565	40,638	47,054	-
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.48	5.52	20.77	28.74	15.79	16.26
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	23,143	22,984	26,944	34,707	39,479	-
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.23	(-)0.69	17.23	28.81	13.75	12.47
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.17	13.86	14.44	17.57	18.56	15.72
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	23,400	23,472	31,795	36,553	45,089	-
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.47	0.31	35.46	14.96	23.35	17.11
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	21,863	20,640	27,140	31,218	37,830	-
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.15	(-)5.60	31.49	15.02	21.18	13.25
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	13.39	12.45	14.55	15.80	17.78	14.80
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	4,218	4,722	5,543	8,159	10,861	-
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	33.52	11.95	17.39	47.19	33.12	28.63
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	3,941	4,152	4,732	6,968	9,113	-
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.75	5.36	13.95	47.27	30.77	24.42
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	2.41	2.50	2.54	3.53	4.28	3.05

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात भी 2012-13 से 2016-17 तक राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में वृद्धि हुई है।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसाओं और राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (म.रा.नी.) विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत 2016-17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दिया गया है।

उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) के लागू किये जाने पर 2015-16 के दौरान उर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के ऋण के अधिग्रहण के कारण सरकार पर हुए अतिरिक्त भार की चर्चा कण्डिका 1.4.2.1 में की गयी है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.) से संबद्ध कुल ₹6,136 करोड़ के बकाया दायित्व में से झारखण्ड सरकार ने 2015-16 में उदय बॉण्ड पर ₹5,553 करोड़ बाजार से उधार लिया तथा शेष ₹583 करोड़ संचित निधि से प्रदान किया। परिणामस्वरूप 2016-17 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे पर उदय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव

(प्रतिशत में)

राजकोषीय अवयव	2016-17			वास्तविक
	राज्य के लिए 14 ^{वें} वि. आ. का लक्ष्य	म.रा.नी. विवरणी में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)	शून्य	(+)5.18	(+)2.64	(+)0.8
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	3.50	2.16	2.22	4.02
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	25.16	25.16	24.13	26.4

राज्य ने 2006-07 में राजस्व घाटे को समाप्त कर और घाटे को ₹946 करोड़ के राजस्व आधिक्य में बदलकर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में नियत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जो अंतर्वर्षीय उतार चढ़ाव के पश्चात 2015-16 में ₹4,085 करोड़ हो गया। तथापि, 2016-17 में राज्य का राजस्व आधिक्य घट कर ₹1,965 करोड़ रह गया।

2016-17 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹10,192 करोड़) स.रा.घ.उ. का 4.02 प्रतिशत था जो 14^{वें} वि.आ. द्वारा 3.50 प्रतिशत के अनुशंसित सीमा से बहुत अधिक था। राज्य अपने राजस्व संग्रह के स्वअनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा जबकि राज्य का व्यय बजट के समतुल्य था। अग्रतर, राजकोषीय घाटा-स.रा.घ.उ. का अनुपात म.रा.नी. के अंतर्गत अपने लक्ष्य तथा वर्ष के लिए इसके बजट अनुमान का लगभग दोगुना था।

2016-17 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 26.4 प्रतिशत था जो म.रा.नी. अनुमान तथा 14^{वें} वि.आ. के 25.16 प्रतिशत के अनुमान से परे था।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
वित्तीय घाटे का संयोजन		3,406	2,256	6,564	11,523	10,192		
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	1,370	2,665	(-)230	4,085	1,965		
2	निवल पूँजीगत व्यय	4,218	4,722	5,543	8,159	10,861		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	558	199	791	7,449	1,296		
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*						प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिये गये उधार	3,145	2,535	4,488	4,755	5,154	429	4,725
2	भारत सरकार से ऋण	100	(-)33	(-)5	(-)2	234	157	77
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति	(-)200	129	335	573	-	733	(-)733
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)30	455	(-)8	5,673	1,693	759	934
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	22	9	(-)202	-159	873	994	(-)121
6	आरक्षित निधि	(-)123	271	275	10	453	70	383
7	जमा एवं अग्रिम	1,290	(-)254	1,093	2,111	11,145	6,114	5,031
8	उचंत एवं विविध	31	(-)1	(-)13	17	301	331	(-)30
9	प्रेषण	(-)141	157	(-)238	1	9,281	9,311	(-)30
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)100	(-)50	-	-	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	588	580	841	(-)1,461	1,905	1,948	(-)43

* ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान, 2016-17 को छोड़कर, निवल संवितरण/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹10,192 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹4,725 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹5,031 करोड़) से किया गया।

1.1.2.2 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

आदर्श रूप में, राज्य का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सहित) राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक में जमा से उधार लेकर तथा निकासी से किया जाता है, वहीं राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग में लाया जा सकता है ताकि रिजर्व बैंक जमा (रि.बैं.ज.) से उधार लेने व निकासी की आवश्यकता कम हो। अग्रतर, यदि गैर-ऋण प्राप्तियों से प्राथमिक व्यय² पूरा हो सके तो उधार लेकर वित्तपोषित करने हेतु कोई भी प्राथमिक घाटा नहीं होगा। अतः, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वृद्धिशील प्राथमिक व्यय और वृद्धिशील ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त होनी चाहिए।

² ब्याज भुगतानों को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय।

तालिका 1.6: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	24,813	21,009	4,218	601	25,828	(+)3,804	(-)1,015
2013-14	26,160	20,858	4,722	222	25,802	(+)5,302	(+)358
2014-15	31,598	28,866	5,543	824	35,233	(+)2,732	(-) 3,635
2015-16	40,669	33,233	8,159	7,480	48,872	(+)7,436	(-)8,203
2016-17	47,093	40,917	10,861	1,335	53,113	(+)6,176	(-)6,020


स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.6 में प्राथमिक घाटों का अवयव घाटे के उस परिमाण को इंगित करता है जो पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण है जो कि राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के उन्नयन हेतु वांछनीय हो सकता है।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या आकलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजस्व एवं व्यय के आकलन में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन, सरकार के नियंत्रणाधीन व नियंत्रण से बाहर दोनों, विभिन्न कारणों से अपेक्षित राजकोषीय लक्ष्य की अप्राप्ति और गैर अनुकूलन के सूचक हैं।

चार्ट 1.1 2016-17 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आंकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी और वित्त लेखे 2016-17

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2016-17 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों से काफी कम था। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष के दौरान बजट अनुमानों से ₹8,692 करोड़ कम जो मुख्यतः स्व-कर संग्रह में ₹3,751 करोड़ और बजट अनुमान के विरुद्ध भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹2,541 करोड़ कम संग्रहण के कारण था।

केन्द्रीय कर राजस्व वर्ष के दौरान बजट अनुमान से ₹662 करोड़ अधिक था।


2016-17 के दौरान राजस्व व्यय (₹3,673 करोड़ से) में कमी मुख्यतः सामान्य सेवाओं (₹1,389 करोड़ से) तथा सामाजिक सेवाओं (₹2,684 करोड़) पर व्यय में कमी के कारण था। सामान्य सेवाओं में ब्याज भुगतान (₹208 करोड़), प्रशासनिक सेवाओं (₹366 करोड़) तथा पेंशन एवं विविध (₹655 करोड़) के अंतर्गत कम व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹1,513 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹924 करोड़) के अंतर्गत कम व्यय किया गया।




राज्य का पूँजीगत व्यय लगभग बजट अनुमानों के लगभग समतुल्य था।

1.2 राज्य के संसाधन

उपर पृष्ठ 2 में तालिका 1.2 और चार्ट 1.2 से चार्ट 1.5 राज्य के आर्थिक संसाधनों के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वित्तीय लेखाओं में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक






कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का भाग (रा.प्रा./कु.प्रा.), मुख्यतः संधीय कर भाग में वृद्धि तथा लोक ऋण प्राप्तियों में कमी के कारण, 2015-16 में 73 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 79 प्रतिशत हो गया। कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का भाग मुख्यतः पिछले वर्ष के विरुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों में ₹6,164 करोड़ की उल्लेखनीय कमी के कारण घटकर 2016-17 में 12 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और अवयव परिशिष्ट 1.3 में दर्शाए गए हैं एवं चार्ट 1.6 में प्रस्तुत किए गए हैं।



बजट अनुमान की तुलना में, 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ मुख्य रूप से स्वयं के कर राजस्व में (₹3,751 करोड़ से) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹2,541 करोड़ से) की कम प्राप्ति के कारण ₹8,692 करोड़ कम थीं।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.7 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.7 : स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	24,770	26,137	31,565	40,638	47,054
रा.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	10.48	5.52	20.77	28.74	15.79
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर (प्रतिशत)	14.18	13.86	14.44	17.57	18.56
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर (प्रतिशत)	15.17	15.76	16.92	20.57	22.12
राज्य का स्वयं का कर/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.71	4.97	4.74	4.96	5.25
राज्य का स्वयं का कर/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.04	5.66	5.55	5.81	6.25
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	15.77	7.92	15.89	5.84	9.62
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	8.17	1.57	12.49	5.90	7.69
उत्प्लावकता अनुपात³					
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.66	0.70	1.31	4.92	1.65
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.28	3.52	1.66	4.87	2.05
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की उत्प्लावकता	1.16	1.78	0.65	1.88	1.66
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की उत्प्लावकता	2.24	8.98	0.82	1.85	2.07
राज्य के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.57	0.39	2.02	2.63	0.99

³ उत्प्लावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। उदाहरणार्थ, राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत अंक तक चला जाता है यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वें} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में 2016-17 हेतु राज्य के वास्तविक स्वयं का कर और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	14 ^{वें} वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	16,044	17,050	13,299
कर-भिन्न राजस्व	5,039	8,426	5,351

स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2016-17

आकलन एवं अनुमान के विरुद्ध स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्यतः बिक्री कर (₹2,154 करोड़ से), राज्य उत्पाद (₹538 करोड़ से) एवं वाहनों पर कर (₹418 करोड़ से) के अनुमानित से कमतर संग्रहण के कारण हुआ।

1.3.1.1 कर राजस्व

प्रमुख करों तथा शुल्कों के सकल संग्रहण तालिका 1.9 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	सी.ए.जी.आर.	संग्रहण पर व्यय (2016-17) प्रतिशत	संग्रहण पर व्यय (2015-16) प्रतिशत	संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,422	7,305	8,070	8,999	10,549	13.21	0.47	0.53	0.66
राज्य उत्पाद	578	628	740	912	962	13.58	1.74	2.08	3.21
वाहनों पर कर	465	495	660	633	682	10.05	0.91	0.97	4.99
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	492	502	531	532	607	5.39	2.85	2.43	2.87
भू राजस्व	96	230	84	164	240	25.74	-	-	-
यात्रियों तथा सामग्रियों पर कर	1	1	1	0	0	-	-	-	-
अन्य कर	170	219	264	239	259	(-)2.76	0.82	-	-
कुल कर राजस्व	8,224	9,380	10,350	11,479	13,299	-	-	-	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्वयं के कर संग्रहण पर व्यय

जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है, राज्य में सभी करों यथा वैट, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर तथा मुद्रांक निबंधन के संबंध में कर के संग्रहण पर व्यय अखिल भारतीय औसत से उल्लेखनीय रूप से कमतर था।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के अतिरिक्त सभी करों के संबंध में संग्रहण के व्यय में कमी आयी।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

2016-17 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) 14^{वें} वि.आ. के उस वर्ष हेतु ₹5,039 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹5,351 करोड़ था।

2012-17 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति तालिका 1.10 में है।

तालिका 1.10: कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियाँ	72.23	69.48	143.04	122.44	121.34
लाभांश एवं लाभ	15.00	18.00	0.00	0.47	0.00
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,448.40	3,665.23	4,192.02	5,730.11	5,230.07
कुल	3,535.63	3,752.71	4,335.06	5,853.02	5,351.41

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा वर्ष 2015-16 में 14.40 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 11.30 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान 35 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में, पिछले वर्षों के सापेक्ष 2016-17 में कर-भिन्न राजस्व मुख्यतः खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (₹290 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाओं (₹213 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण नौ प्रतिशत तक घटा। अग्रतर, बजट दस्तावेज में खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹2,956 करोड़ से), वृहत सिंचाई (₹229 करोड़ से) और ब्याज प्राप्तियाँ (₹204 करोड़ से) में अपना निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य विफल रहा।

अनुशंसा:

इच्छित परिणाम पाने हेतु सरकार को बजट दस्तावेज में दिये गये प्राप्ति के स्वयं के लक्ष्य के साथ-साथ 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमान को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता-अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ और केन्द्रीय योजना स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.11: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजना अनुदान	1,483.41	1,319.91	1,780.26	1,685.82	1,875.29
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2,393.94	1,565.83	4,914.69	4,950.18	6,792.89
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	30.81	28.28	83.56	50.90	78.01
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	914.05	1,150.96	614.17	650.74	515.16
कुल	4,822.21	4,064.98	7,392.68	7,337.64	9,261.35
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	(-)8.00	(-)16.00	82.00	(-)0.74	26.21
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	19.47	15.55	23.42	18.06	19.68

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

भारत सरकार से गैर-योजना अनुदान मुख्यतः स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) के आधारभूत अनुदानों हेतु अनुदानों में वृद्धि के कारण 2015-16 के ₹1,685.82 करोड़ से बढ़कर, 2016-17 में ₹1,875.29 करोड़ हो गया जबकि, राज्य योजना अनुदान मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना, समेकित बाल विकास सेवाएँ, अंब्रेला आई.सी.डी.एस. तथा स्वच्छ भारत अभियान आदि हेतु अनुदान प्रदान किये जाने के कारण, ₹4,950.18 करोड़ से बढ़कर ₹6,792.89 करोड़ हो गया।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विगत पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर हस्तांतरण (कें.क.ह.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.12 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.12 : केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (कें.क.ह.)	8,188	8,939	9,487	15,969	19,142	23.83
रा.प्रा. में कें.क.ह. का अंश	30.06	34.20	30.06	39.30	40.68	

पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016-17 में कें.क.ह. में वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹1,104 करोड़ से), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹761 करोड़ से), संघीय कर तथा शुल्क (₹896 करोड़ से) तथा सेवा कर (₹322 करोड़ से) के अंतर्गत था। 2016-17 के दौरान कें.क.ह. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 40.68 प्रतिशत था।

1.3.4 त्यक्त राजस्व

1.3.4.1 करों का कम निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

2016-17 के दौरान, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, विद्युत पर कर व शुल्क और खनन प्राप्तियों से संबंधित 132 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने 29,656 मामलों में संयुक्त रूप से ₹2,589.37 करोड़ राजस्व के कम निर्धारण/अल्प आरोपण/हानि उद्घाटित हुआ। 2016-17 के दौरान, संबंधित विभागों ने

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 26,645 मामलों में ₹1,934.20 करोड़ के कम निर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया लेकिन 394 मामलों में केवल ₹5.63 करोड़ वसूल किया।

1.3.4.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2017 तक, तीन विभागों (वाणिज्य कर, परिवहन तथा राज्य उत्पाद) में राजस्व बकाये की राशि ₹4,455.53 करोड़ थी जिसमें से ₹2,200.92 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। ये राजस्व बकाये वाणिज्य कर विभाग (₹4,154.70 करोड़), परिवहन विभाग (₹270.27 करोड़) तथा राज्य उत्पाद (₹30.56 करोड़) से संबंधित थे। अन्य विभागों के राजस्व बकाये से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (अगस्त 2017)। 31 मार्च 2017 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के अपने संसाधनों का 2015-16 के दौरान 19 प्रतिशत के विरुद्ध 23 प्रतिशत था।

1.3.5 श्रम सेस

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) नियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार श्रम सेस के रूप में संवेदकों से संग्रहित राशि श्रमिक कल्याण योजनाओं हेतु श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

वित्त लेखे के अनुसार 2008-09 से 2016-17 के बीच सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से श्रम सेस के रूप में ₹312.90 करोड़ संग्रहित किया गया था। संग्रहित सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया (फरवरी 2018) जिससे संबद्ध वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई।

श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम सेस का अंतरण नहीं किये जाने से न केवल सेस संग्रहण का उद्देश्य विफल रहा बल्कि उस सीमा तक यह सरकारी दायित्व भी बना।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड को यथाशीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अलावा, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार के आंतरिक उधार तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2012-17 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.13 में दिये गये हैं।

तालिका 1.13: प्राप्तियों की संरचना व वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	5,242	4,726	6,723	13,276	7,120
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	43	23	33	31	38
लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,199	4,703	6,690	13,245	7,081
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	94.6	(-)9.5	42.3	98.0	(-)47
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	79.2	(-)46.51	43.48	(-)6.06	26
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर	15.8	7.9	15.9	5.8	9.6
पूँ.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	94.5	(-)9.8	42.3	97.5	(-)46

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पूँजीगत प्राप्तियाँ 2015-16 में ₹5,553.37 करोड़ के उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड के अंतर्गत एकमुश्त प्राप्ति के कारण बढ़ गयीं। 2016-17 के दौरान कोई विनिवेश नहीं हुआ।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूली के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 1.14: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋणों का आरंभिक शेष	7,190	7,748	7,947	8,738	16,187
दिये गये ऋण	601	222	824	7,480	1,335
की गई वसूली	43	23	33	31	39
ऋणों का अंतिम शेष	7,748	7,947	8,738	16,187	17,483

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) जिसे 2014 के दौरान चार भागों में बाँटा गया, प्रत्येक वर्ष दिये गए ऋणों व अग्रिमों का मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु इनके विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 के अंत में ऊर्जा प्रक्षेत्र के ऋणों के रूप में ₹16,684 करोड़ का बकाया हो गया। 2016-17 के दौरान, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.) के अधीन विद्युत परियोजनाओं हेतु ₹1,229 करोड़ का ऋण दिया गया। प्राप्त पुनर्भुगतान मुख्यतः सरकारी सेवकों को दिये गये ऋण व अग्रिमों के विरुद्ध थे।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

2012-17 की अवधि में राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ₹4,597 करोड़ से ₹13,080 करोड़ के बीच था।

तालिका 1.15: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकार का आंतरिक ऋण	4,960	4,597	6,537	13,080	6,847
कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	14,718	12,841	19,809	33,843	19,193
कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के प्रतिशत के रूप में	33.70	35.80	33.00	38.65	35.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य द्वारा निवेशों की तुलना में उच्चतर ब्याज दर पर लिये गये उधारों के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.8.3 में की गयी है।

1.4.2.1 डिस्कॉम्स हेतु उदय बाँड पर उधार

राज्य डिस्कॉम्स के संचालन तथा वित्तीय क्षमता सुधार हेतु, 2015 में ऊर्जा वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनरोद्धार की एक योजना प्रारंभ की गई। योजना के प्रावधानों के अनुसार, झारखण्ड राज्य ने झा.बि.वि.नि.लि के केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम पर बकाये का शत-प्रतिशत तथा 30.09.2015 तक झा.बि.वि.नि.लि के बकाये ऋण का 75 प्रतिशत भाग अधिगृहीत कर लिया। राज्य ने झा.बि.वि.नि.लि को ₹6,136 करोड़ का ऋण जारी किया, जिसमें से ₹5,553 करोड़ उदय बाँड पर लिये गये उधार से तथा ₹583 करोड़ राज्य सरकार की संचित निधि से दिया गया। उदय बाँड पर लिया गया उधार 8 से 8.99 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर लिया गया है जिसका पुनर्भुगतान 2021-22 से 2030-31 के बीच किया जाना था, जबकि झा.बि.वि.नि.लि. को दिया गया ऋण 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दिया गया।

अग्रतर, अनुबंध के अनुसार उदय बाँड पर लिये गये उधार की गणना वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा के विरुद्ध नहीं की जायेगी। 2016-17 के दौरान राज्य द्वारा उदय बाँड पर कोई उधार नहीं लिया गया।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

2012-17 के दौरान राज्य योजना स्कीम हेतु भारत सरकार से ऋण व अग्रिम प्राप्त किया गया जो ₹106 करोड़ से ₹239 करोड़ के बीच रहा।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लोक लेखाओं के लेन-देन राज्य विधानसभा के वोट का विषय नहीं होते हैं। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के लोक लेखाओं का शेष तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: लोक लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,495	14,275	20,189	29,037	22,052
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	668	760	843	830	873
आरक्षित निधि	280	293	308	522	453
जमा व अग्रिम	8,706	7,204	12,182	19,499	11,145
उचंत तथा विविध	199	(-)59	18	161	300
प्रेषण	4,642	6,077	6,838	8,025	9,281


स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016-17 के दौरान जमा एवं अग्रिम पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः 'राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि' के पी.एल. खाता में ₹6,534 करोड़ कम क्रेडिट होने के कारण घटा।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

व्यय के संयोजन एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (2012-17) में कुल व्यय की प्रवृत्तियों तथा इसके संयोजन को दर्शाता है।



1.6.1 पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)

2016-17 के दौरान, पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) वर्ष 2015-16 के ₹8,159 करोड़ के विरुद्ध ₹10,861 करोड़ बढ़ा। स.रा.घ.उ. से पूँ.व्य. की प्रतिशतता 2016-17 के दौरान 4.3 प्रतिशत था।

राज्य सरकार ने गलती से वेतन, रखरखाव, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता आदि पर ₹583.79 करोड़ का पूँजीगत व्यय किया तथा पूँजीगत शीर्षों से ₹105.00 करोड़

सहायता अनुदान के रूप में दिया जो राजस्व प्रकृति के थे परिणामस्वरूप उस सीमा तक राज्य के राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति हुई।

1.6.2 राजस्व व्यय (रा.व्य.)

2016-17 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) 2015-16 के 91 प्रतिशत के विरुद्ध कुल व्यय (₹57,285 करोड़) का 79 प्रतिशत था, जो सकारात्मक रुझान था। राजस्व व्यय 2016-17 के दौरान स.रा.घ.उ. का 17.8 प्रतिशत था।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.)

योजना राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) वर्ष 2015-16 के ₹15,793 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹22,194 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत ₹744 करोड़, समाज कल्याण एवं पोषण के अंतर्गत ₹728 करोड़ तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत ₹350 करोड़ कम व्यय के कारण यो.रा.व्य. वर्ष के दौरान अपने बजट अनुमान से ₹2,332 करोड़ कम था। कुल राजस्व व्यय में यो.रा.व्य. का हिस्सा 2015-16 में 43 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 49 प्रतिशत हो गया। यो.रा.व्य. सामाजिक सेवाओं (₹3,146 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवाओं (₹3,510 करोड़ से) के व्यय में वृद्धि के कारण बढ़ा।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)

वर्ष 2016-17 के दौरान, गै.यो.रा.व्य. ₹24,236 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹22,895 करोड़ था। गै.यो.रा.व्य. का वृद्धि दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं (11 प्रतिशत से) में व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण, वर्ष 2015-16 में सात प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 10 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत गै.यो.रा.व्य. मुख्यतः शिक्षा (₹3,942 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹898 करोड़), और समाज कल्याण एवं पोषण (₹483 करोड़) पर वहन किया गया। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत गै.यो.रा.व्य. मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹1,701 करोड़), ऊर्जा (₹1,200 करोड़) कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹489 करोड़) पर वहन किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। तालिका 1.17 और चार्ट 1.8, 2012-17 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.17: वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान [#]	वास्तविक
वेतन और मजदूरी, जिसमें	6,446(26)	6,934(27)	7,417(24)	8,218(20)	11,142	8,927 (19)
गैर योजना शीर्ष	6,270(25)	6,766(26)	7,193(23)	7,943(19)	10,226	8,649 (18)
योजना शीर्ष	176(1)	168(1)	224(1)	275(1)	916	278(1)
ब्याज भुगतान	2,391(10)	2,614(10)	2,929(9)	3,320(8)	4,393	4,172(9)
पेंशन	2,931(12)	3,484(13)	3,463(11)	3,990(10)	4,790	4,135(9)
सब्सिडी	270(1)	187(1)	246(1)	522(1)	2,330	1,859(4)
कुल	12,038(49)	13,219(51)	14,055(45)	16,050(39)	22,655	19,093(41)

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

कोष्ठक के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।

बजट अनुमान सकल आंकड़े हैं जबकि वास्तविक निवल आंकड़े हैं।



वेतन

वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹8,927 करोड़), ब्याज भुगतान (₹4,172 करोड़) और पेंशन (₹4,135 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 38 प्रतिशत लेखापित किया गया और यह राजस्व प्राप्तियों का 37 प्रतिशत था।

पेंशन

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नवीन पेंशन योजना (न.पें.यो.) के अंतर्गत आते हैं जो एक डिफाइंड अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं जिसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित की जाती है।

2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल को कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹289.26 करोड़ तथा नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹289.44 करोड़ अंतरित किया।

राज्य के वित्त लेखे में यह पाया गया कि कर्मचारियों से कटौती तथा नियोक्ता द्वारा किये गये अंशदान की प्रविष्टि के लिये उपयुक्त लेखा शीर्ष 2008-09 में आरंभ किया गया।

दिसम्बर 2004 से नवम्बर 2009 के बीच सरकार के अंशदान के साथ कर्मचारियों से की गयी कटौती को मार्च 2010 में एन.एस.डी.एल को अंतरित किया गया। मार्च 2017 के अंत में कर्मचारियों से की गयी कुल कटौती ₹1,091.98 करोड़ तक थी जिसके विरुद्ध सरकार ने ₹1,106.02 करोड़ का अंशदान दिया। लोक लेखा शीर्ष 8342 के अंतर्गत कर्मचारियों से की गयी कुल कटौती की राशि से ₹1,082.28 करोड़ की राशि एन.एस.डी.एल को अंतरित की गयी जिससे मार्च 2017 के अंत तक ₹9.70 करोड़ बचा रहा।

ब्याज भुगतान

पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज में ₹830.86 करोड़ (51 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के कारण 26 प्रतिशत था। 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का नौ प्रतिशत था। 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.18 में दिये गये हैं:

तालिका 1.18: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

ऋण के घटक	बकाया दायित्व	2015-16		बकाया दायित्व	2016-17	
		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में
आंतरिक ऋण	43,755.57	2,968.19	7.76	43,755.57	3,817.29	8.72
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,085.49	122.93	5.89	2,085.49	118.50	5.68
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,197.17	221.79	17.37	1,197.17	229.21	19.15
अन्य	9,492.00	7.18	0.09	9,492.00	7.25	0.08
कुल	56,530.23	3,320.09	6.63	56,530.23	4,172.25	7.38

सब्सिडी

2016-17 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति (₹1,045 करोड़), 2401-फसल उत्पादन (₹556 करोड़), 2404-डेयरी विकास (₹ 84 करोड़) 2852-उद्योग (₹ 90 करोड़), के अंतर्गत ₹ 1,859 करोड़⁴

⁴ वित्त लेखे का परिशिष्ट II

सब्सिडी के रूप में भुगतान किया। शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति के अधीन प्रायोरिटी हाउसहोल्ड स्कीम, अंत्योदय अन्न योजना, नमक/चीनी का वितरण तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्रावधान के कारण सब्सिडी 2015-16 में ₹ 522 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,859 करोड़ हो गया। ऊर्जा तथा सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गयी।

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

2016-17 के दौरान, राज्य योजना अंतर्गत 35 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए ₹16,048 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध ₹16,085 करोड़ का उपयोग किया गया। केंद्रीय योजना (कें.यो.) के अंतर्गत, वर्ष हेतु किये गये ₹9,807.46 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹6,424.51 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान रा.यो. तथा कें.यो. के अंतर्गत कुछ वृहत कार्यक्रमों पर हुए बजट प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय तालिका 1.19 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.19 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रमों के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1	मुख्य सड़कें	3,377.60	3,374.58
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1,121.79	1,112.47
3	मुख्य शहरी परिवहन परियोजना नगरीय आधारभूत संरचना	734.10	734.91
4	स्वर्ण रेखा परियोजना	585.74	592.95
5	सर्व शिक्षा अभियान	579.36	579.36
6	वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	569.92	569.92
7	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण	558.59	558.59
केंद्रीय योजना			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	302.08	319.20
2	स्वच्छ भारत अभियान	234.73	234.73
3	स्मार्ट सिटी	184.00	184.00
4	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	130.07	130.07
5	शहरी कायाकल्प मिशन	128.40	128.40

1.6.5 वित्तीय सहायता

2012-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान के विवरण तालिका 1.20 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पं.रा.सं.)	3,078.86	910.68	3,378.42	3,407.48	2,533.77
शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)	330.54	88.38	1,619.77	1,830.77	2,961.14
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	450.02	1,528.89	3,643.86	3,987.54	0.00
स्वायत्त निकाय	1,837.02	2,451.34	2,512.95	5,480.60	7,942.59
गैर-सरकारी संस्थाएँ	199.40	106.65	684.99	0.00	0.00
अन्य	1,054.48	1,335.91	564.03	184.53	6,894.52
कुल	6,950.32	6,421.85	12,404.02	14,890.92	20,332.02
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	29.70	27.36	39.01	40.74	45.09

स्रोत: वित्त लेखे का विवरणी-10

श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता इस उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट '3604-श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता' शीर्ष के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. की सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय लेखाशीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि (₹1,177 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

1.6.5.1 शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)

राज्य में 44 श.स्था.नि. (नगर निगम-6, नगर परिषद-19, नगर पंचायत-16, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) हैं।

श.स्था.नि. को उपलब्ध कराई गई निधियों के विवरण निम्न तालिका 1.21 में दिये गये हैं:

तालिका 1.21: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियाँ

(₹करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	24,770	26,137	31,565	36,553	47,054	1,70,164
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,400	23,472	31,795	40,638	45,089	1,60,309
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	331	88	1,620	1,831	2,961	6,831
वित्तीय सहायता राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	1.34	0.34	5.13	4.51	6.29	4.01
वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत में	1.41	0.37	5.10	5.01	6.57	4.26
स्वयं का संग्रह ⁵	88.03	45.54	8.96	14.99	60.09 ⁶	

⁵ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्रोतों से संग्रहित निधि के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न श.स्था.नि. के लेखापरीक्षा के दौरान सूचनार्ये प्राप्त की गयीं।

⁶ स्वयं का संग्रह का आंकड़ा श.स्था. निकायों गोड्डा, चाईबासा, साहेबगंज, जुगसलाई, चास, झुमरीतिलैया, आदित्यपुर, सिमडेगा, चक्रधरपुर, रामगढ़, विश्रामपुर तथा राँची नगर निगम, राँची के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग (दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2014) ने शहरी स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण करने के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं किया था। तृतीय राज्य वित्त आयोग (जनवरी 2014 से जनवरी 2019) ने इस संबंध में कोई अंतरिम अनुशंसा नहीं किया है। शहरी विकास विभाग ने झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (परिशिष्ट 1.5 भाग-क) के अंतर्गत दिये गये 18 कार्यों तथा शक्तियों के हस्तांतरण पर किये गये कई लेखापरीक्षा पृच्छाछ पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है।

राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सौंपा है (अक्टूबर 2011)। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखा परीक्षा करने का प्रावधान किया गया जिन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टी.जी.एस. उपलब्ध कराना अपेक्षित था। डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए राज्य सरकार ने 22 पद सृजित (मार्च 2013 में) किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. नियुक्त किया। अगस्त 2016 में डी.एल.एफ.ए. ने सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डी.एल.एफ.ए. ने पुनः सितम्बर 2016 में यह भी सूचित किया कि वे शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं। तथापि, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

1.6.5.2 पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य में 4,689 पंचायती राज संस्थाएँ हैं। 2012-17 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधियों के विवरण नीचे दिये गये हैं।

तालिका 1.22 पंचायती राज संस्थानों को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	24,770	26,137	31,565	40,638	47,054	1,70,164
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,400	23,472	31,795	36,553	45,089	1,60,309
पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता	3,079	911	3,378	3,407	2,534	13,309
वित्तीय सहायता रा.प्रा. के प्रतिशत में	1.96	3.49	10.70	8.38	5.39	7.82
वित्तीय सहायता रा.व्य. के प्रतिशत में	2.08	3.88	10.62	9.32	5.62	8.30

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में दर्शाया गया है कुल नियत 29 कार्यों में से 16 कार्यों को अगस्त 2015 तक या तो सम्पूर्ण या अंशतः पं.रा.सं. को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने झारखण्ड पंचायती राज

⁷ 24 जिला परिषद, 263 पंचायत समितियाँ और 4,402 ग्राम पंचायतें।

(बजट एवं लेखा) विनियमन 2010' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा पं.रा.सं. में तदनुसार लेखांकन किया जाता है।

डी.एल.एफ.ए. ने अगस्त 2016 में सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा व्यावहारिक परिचालन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। डी.एल.एफ.ए. ने मई 2017 में सूचित किया कि पं.रा.सं. के लेखाओं की लेखापरीक्षा शुरू कर दी गयी है। तथापि, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. व्यवस्था के अनुसार नमूना जाँच आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 76 प्रतिशत था।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

2012-13 को आधार वर्ष मानते हुए 2016-17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.23 विश्लेषित करता है।

तालिका 1.23: 2012-13 और 2016-17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य./ कु.व्य.	आ.से.व्य./ कु.व्य.	सा.प्र.व्य./ कु.व्य.	पूँ.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-2013	14.8	70.0	29.8	38.2	13.7	17.7	4.6
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2012-2013	16.2	68.5	35.3	33.2	14.9	15.9	3.1
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	16.7	70.9	35.1	32.2	19.7	15.2	4.8
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2016-17	22.6	76.1	41.0	35.1	19.0	14.4	4.3

*वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

कु.व्य.: समग्र व्यय (कुल व्यय), वि.व्य.: विकास व्यय, सा.प्र.व्य.: सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय, आ.से.व्य.: आर्थिक सेवा व्यय पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय एवं संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

स्रोत: स.रा.घ.उ. जैसा कि सी.एस.ओ. के वेबसाइट पर 1 अगस्त 2017 को उपलब्ध।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कुल व्यय से विकास व्यय एवं आर्थिक व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। तथापि, शिक्षा प्रक्षेत्र व्यय एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के इन पर किये गये व्यय से कम थे।

अनुशंसा:

सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर बल देते हुए विकास व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.24 पिछले वर्षों के दौरान बजट की राशि और व्यय के सम्मुख वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.24: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास राजस्व व्यय	14,704(52)	13,512(48)	21,171(55)	24,551(47)	34,350	32,065(56)
विकास पूँजीगत व्यय	4,042(14)	4,554(16)	5,217(14)	7,588(15)	10,329	10,271(18)
विकास ऋण एवं अग्रिम	582(2)	209(1)	807(2)	7,431 ⁸ (14)	1,682	1,283(2)
कुल	19,328	18,275	27,195	39,570	46,361	43,619
विकास व्यय की वृद्धि	18.2	(-5.4)	48.8	45.5		10.2
कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल व्यय (रा.व्य+पूँ.व्य.+ऋण एवं अग्रिम) के प्रतिशत को इंगित करते हैं।						
* बजट अनुमान सकल आंकड़े हैं जबकि वास्तविक निवल आंकड़े हैं।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

1.7.3 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.25 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता की प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2015-16			2016-17		
	कु.व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.*	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.*	कु. व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.
सामाजिक सेवायें (सा.से.)						
सामान्य शिक्षा	0.10	33.53	0.01	0.39	37.51	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.65	32.19	0.01	21.42	38.13	0.00
जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास व शहरी विकास	9.37	5.61	0.59	7.96	3.29	0.27
कुल (सा.से.)	6.44	21.01	0.22	7.61	21.72	0.11
आर्थिक सेवायें (आ.से.)						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	7.23	24.34	0.00	20.47	18.13	0.09
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	78.33	98.44	0.18	82.39	95.98	2.17
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
परिवहन	90.90	36.21	75.84	90.99	24.22	26.01
कुल (आ.से.)	27.74	13.05	1.34	37.21	9.84	3.21
कुल (सा.से.+आ.से.)	19.18	17.86	0.66	23.55	16.72	1.42
कु.व्य.: उस प्रक्षेत्र का कुल व्यय; पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे.एवं म.: वेतन एवं मजदूरी; सं.व.र.: संचालन व रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत किये गये वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

⁸ उदय के अधीन डिस्कॉम्स को ₹ 5,553 करोड़ के ऋण के कारण

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड सरकार के निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

13^{वें} एवं 14^{वें} वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं के वाणिज्यिक व्यवहारिकता के मूल्यांकन हेतु इन पर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, जैसा कि राज्य के वित्त लेखे से उद्घाटित हुआ कि झारखण्ड सरकार द्वारा कोई भी सिंचाई योजना वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है।

वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार 2016-17 के अंत तक झारखण्ड में ₹1,707.49 करोड़ के कुल पूँजीगत परिव्यय के साथ 42 सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिसमें से ₹1,543.47 करोड़ इन परियोजनाओं पर कार्यचालन व्यय एवं रखरखाव शुल्कों पर खर्च किया गया। 2016-17 के दौरान, इन परियोजनाओं से राजस्व के रूप में ₹62.19 करोड़ प्राप्त हुए।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाएँ जिन्हें 31 मार्च 2017 या इससे पूर्व पूर्ण करना था से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.26 में दी गयी है।

तालिका 1.26: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	31.3.2017 तक संचयी व्यय
भवन निर्माण	08	49.32	35.58
पेय जल एवं स्वच्छता	23	546.74	534.50
पथ निर्माण	134	3,811.45	2,397.16
ग्रामीण कार्य	39	196.16	133.72
जल संसाधन	76	2,456.72	1,676.56
कुल	280	7,060.39	4,777.52

स्रोत: वित्त लेखे 2016-17 का परिशिष्ट IX

अपूर्ण कार्य पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परियोजनाओं/कार्यों को पूरा किये जाने में विलंब न केवल लागत वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है बल्कि राज्य को इच्छित लाभ से वंचित भी करता है।

अग्रतर, यह अवलोकित हुआ कि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये 280 परियोजनाओं में से आठ में ₹341.87 करोड़ का अनुमानित लागत समय पर परियोजनाओं के पूरा नहीं किये जाने के कारण संशोधित अनुमान में बढ़कर

₹460.23 करोड़ हो गया। शेष परियोजनाओं का संशोधित लागत इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया।

तथापि, उपरोक्त तालिका में सम्मिलित सड़क निर्माण विभाग के ₹300.22 करोड़ लागत के आठ⁹ कार्यों की भौतिक प्रगति 2017-18 के दौरान पूर्ण हो गयी।

अजय बैराज परियोजना के कार्य, जिसे राज्य के लेखे में भौतिक रूप से पूर्ण दर्शाया गया, को कार्यान्वित कर रहे सात प्रमंडलों में से छः में पूर्ण कर लिया गया तथा एक प्रमंडल में मिट्टी कार्य का सिर्फ एक छोटा भाग अपूर्ण है।

अनुशांसा:

राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य के 31 मार्च 2017 को समाप्त वार्षिक लेखे के अनुसार नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से सरकार ने ₹273.83 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹45.73 करोड़), 12 सरकारी कम्पनियों (₹100.30 करोड़) एवं 18 को-ऑपरेटिव, निगमों एवं समितियों (₹127.80 करोड़) में किया (तालिका 1.27)। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लेखाओं और राज्य के स्वीकृति आदेशों के सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि गलत बजटीय वर्गीकरण अर्थात् उपयुक्त लघुशीर्ष के अंतर्गत निवेश नहीं किये जाने तथा शेयर कैपिटल में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दिखाये जाने के कारण 2000-2016 के दौरान ₹124.54¹⁰ करोड़ का निवेश सरकारी लेखाओं में कम दर्शाया गया था।

⁹ 1) दुमका एयरपोर्ट से चकलता रोड का जारी रहना 2) बेड़ो-लोहरदगा रोड 0 से 39.10 कि.मी. का सुदृढीकरण, 3) सिमडेगा सवाई-किनकेल-कुरडेग-कुटमाकछार रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण 4) मनोहरपुर-आनंदपुर-बानो-कोलेबीरा रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण 5) पालकोट नाथपुर कोनबीर रोड 0 से 16.84 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण 6) कामडारा-बेड़ो रोड 0 से 23.60 कि.मी. का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण 7) जोड़ी-प्रतापपुर रोड 0 से 18 कि.मी. का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण, 8) जादूगोड़ा सुंदरनगर रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण।

¹⁰ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण- ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन-₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लि.- ₹ 15 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लि.- ₹ 2 करोड़; झारखण्ड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास तथा क्रय निगम लि.- ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम- ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तकरघा विकास निगम लि.- ₹ 10 करोड़; झारखण्ड उर्जा विकास निगम लि.-₹ 8.40 करोड़ एवं झारखण्ड राज्य फूड एवं सिविल आपूर्ति निगम लि.- ₹ 5 करोड़।

यह पाया गया कि राज्य की पाँच कंपनियों¹¹ द्वारा ₹22.98 करोड़ के लाभ के बाद भी 2016-17 के दौरान राज्य के निवेश पर प्रतिफल 'शून्य' था। तथापि, सरकार ने 2012-17 के दौरान लिये गये अपने उधार पर 6.63 से 8.76 प्रतिशत तक के औसत दरों पर ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.27: निवेशों पर लाभांश

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	182.08	226.22	241.25	261.70	273.83
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	15.00	18.00	शून्य	0.47	शून्य
प्रतिफल (प्रतिशत में)	7.99	7.76	शून्य	0.18	शून्य
सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	8.76	7.22	7.22	6.63	6.76
ब्याज दर और प्रतिफल में अन्तर (प्रतिशत में)	0.77	0.54	7.22	6.45	6.76
बाजार से लिये गये उधार के ब्याज दर और प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण अनुमानित हानि (₹ करोड़ में)	1.40	1.22	17.42	16.88	18.51

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹55.43 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया, जिसमें केवल 2016-17 में ₹18.51 करोड़ का अनुमानित नुकसान था। इस कारण राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक है।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक सरकारी कंपनियों, को-ऑपरेटिव संस्थाओं व स्थानीय निकायों, वैधानिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कंपनियों में किये गये निवेश (₹2,389.55 करोड़) को उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के बीच संविभाजित नहीं किया गया है।

अनुशंसा:

झारखण्ड सरकार को पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा विभिन्न संस्थाओं में निवेश के संविभाजन हेतु बिहार सरकार से सम्पर्क करनी चाहिये।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

उपरोक्त संस्थाओं में शेयर निवेशों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इन संस्थाओं में से अधिकांश को और उनके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.28 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियाँ के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों को प्रस्तुत करती है।

¹¹ 1) झारखण्ड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. 2) झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. 3) ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण लि. 4) झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाइल एवं हस्तकरघा विकास निगम लि. 5) झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लि.।

तालिका 1.28: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ली गयी उधारों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	7,190	7,748	7,947	8,738	16,187
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	601	222	824	7,480	1,335
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	43	23	33	31	39
वसूली, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2
अंतशेष	7,748	7,947	8,738	16,187	17,483
निवल योग (₹ करोड़ में)	558	199	791	7,449	1,297
कुल ब्याज प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	0.95	2.74	15.72	4.33	3.88
ब्याज प्राप्तियाँ, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.01	0.03	0.20	0.05	0.02
सरकार के लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.76	7.22	7.22	6.63	6.76
बाजार से लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.75	7.19	7.02	6.58	6.74
बाजार से लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	53	16	58	492	90

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने ब्याज, जो ऋणों पर प्राप्त हुआ और जो लिये गये अपने उधार पर सरकार ने दिया, में अंतर के कारण ₹709 करोड़ की हानि वहन किया। इसमें से ₹90 करोड़ की हानि केवल 2016-17 में हुआ।

मार्च 2017 के अंत तक कुल बकाया ऋण (₹17,483 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उदय के तहत डिस्कॉम्स को ऋण (₹5,553 करोड़) सहित डिस्कॉम्स (₹16,684 करोड़) और शहरी स्थानीय निकाय (₹674 करोड़) को ऋण से संबंधित है जिसने 2015-16 में महत्वपूर्ण वृद्धि किया।

मार्च 2017 के अंत तक ऋणी संस्थाओं के बकाये की राशि ₹1,527.44 करोड़ (मूलधन: ₹518.24 करोड़ तथा ब्याज: ₹1,009.20 करोड़) था।

2001-02 में झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन (₹5 करोड़) तथा 2011-12 में झारखण्ड राज्य फूड एंड सिविल सप्लाइज़ कॉरपोरेशन लि. (₹44 करोड़) को प्रदान किए गए ऋण को सरकारी लेखे में पूँजीगत क्षेत्र के बदले राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण कम दर्शाया गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) को दिये गये ₹7,208 करोड़ के ऋण को सरकारी लेखे में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी था, जबकि जनवरी 2014 में ही बोर्ड को चार पृथक कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था।

अनुशंसा:

सरकार को संस्थानों/संगठनों जो मूलधन तथा ऋणों पर ब्याज का भुगतान नहीं कर रही हैं से बकाया ऋणों की वसूली के लिये कदम उठाना चाहिए तथा विफल होने पर इन ऋणों को अपलेखित कर देना चाहिए क्योंकि ऋण वसूली की संभावना, यदि अवास्तविक न हो तो भी नगण्य है।

सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के शेयर कैपिटल में निवेश के लिए बजट का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रतर, राज्य सरकार को उन कंपनियों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी के उधार लागत को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति	31 मार्च 2017 की स्थिति
रोकड़ शेष	1,904.72	1,947.85
रोकड़ शेष से निवेश ('क' से 'ग' तक)	2,102.24	1,439.09
क. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	2,102.24	1,439.09
ख. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
ग. अन्य निवेश	शून्य	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	117.27	117.01
रिजर्व बैंक में जमा	(-)203.93	502.26
विभागीय रोकड़ शेष	6.41	6.50

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

रोकड़ शेष को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी विपत्रों में निवेश किया गया।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन


सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकारी स्वामित्व के अचल परिसंपत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों के विस्तृत लेखांकन का प्रावधान नहीं है। तथापि इन्हें सरकार के वित्तीय दायित्वों और वहन किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2016 के तदनुरूप स्थिति से तुलना करते हुए परिशिष्ट 1.4 भाग-ख 31 मार्च 2017 को ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का सार प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधि शामिल

है, वहीं परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।


झारखण्ड म.रा.नी. अधिनियम, 2007 राज्य के कुल दायित्वों को राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से लिया गया उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचतों के लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गयीं हैं। तथापि, 2015-16 एवं 2016-17 वर्षों के दौरान राजकोषीय दायित्व के संयोजन क्रमशः चार्ट 1.9 एवं चार्ट 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.30: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति : आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	सी.ए.जी.आर.
आंतरिक ऋण	25,202	27,940	32,755	43,756	48,682	17.89
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,124	2,092	2,087	2,085	2,162	0.44
लोक लेखे दायित्व	7,543	7,562	8,727	10,689	15,982	20.65
कुल राजकोषीय दायित्व	34,869	37,594	43,569	56,530	66,826	17.66
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	13.7	7.8	15.9	29.7	18.2	लागू नहीं
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	20.0	19.9	19.9	24.4	26.4	लागू नहीं
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	21.4	22.7	26.3	30.3	31.4	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय दायित्व	140.77	143.83	138.03	139.1	142.0	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में उत्प्लावकता	1.30	1.42	0.76	1.03	1.15	लागू नहीं

स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात राज्य के लिए 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान (25.16 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में 26.4 प्रतिशत था।

अविभाजित बिहार के वित्तीय दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच संविभाजित किया जाना अभी शेष है।

अनुशंसा:

राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के वित्तीय दायित्वों संबंधी 14^{वें} वित्त आयोग के अनुमानों को प्राप्त किया जाये।

1.9.3 हास निधि

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन करते हुए, राज्य ने बैंक से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि सृजित किया है। अग्रतर, 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान इस निधि में अंतरित करना अपेक्षित था।

झारखण्ड सरकार के पास वर्ष के प्रारंभ तक ₹56,530.48 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए निधि में कम से कम ₹282.65 करोड़ की राशि अंतरित करना आवश्यक था, जिसके विरुद्ध, झारखण्ड सरकार ने 2016-17 के दौरान बजट में ₹200 करोड़ का प्रावधान किया। तथापि, बजट प्रावधान करने के बावजूद 2016-17 में कोई भी राशि निधि में अंतरित नहीं की गयी।

अनुशंसा:

झारखण्ड सरकार को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा का अनुपालन करना चाहिए तथा ऋण के परिशोधन हेतु हास निधि में आवश्यक राशि अंतरित करना चाहिए।

1.9.4 राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.)

मार्च 2017 तक रा.आ.मो.नि. में ₹1,259.21 करोड़ का अंतिम शेष था। रा.आ.मो.नि. दिशानिर्देश 2010 के कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के अंतर्गत राशियों का (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) ऑक्शण्ड ट्रेजरी बिल्स तथा (ग) ब्याज अर्जित करनेवाले जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए। तथापि, सरकार ने दिशानिर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया। रा.आ.मो.नि. दिशानिर्देश के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतये ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने रा.आ.मो.नि. को इसके सृजन के समय से ही किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया। 2010-17 अवधि हेतु लागू ब्याज की दरों पर इसकी अनुमानित राशि ₹403.63 करोड़ परिकलित होती है। इसमें से, केवल 2016-17 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹74.50 करोड़ थी परिणामतः उस वर्ष में राजस्व आधिक्य अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। इस तरह भुगतान नहीं किये गये ब्याज ने राज्य सरकार के दायित्वों को भी उस सीमा तक बढ़ा दिया।

अनुशंसा:

राज्य को इस निधि के अंतर्गत पड़ी विशाल राशि को दिशानिर्देश के अनुसार निवेश करना चाहिए।

1.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

भारत का संविधान प्रावधान करता है कि कोई राज्य, भारत की सीमा के भीतर, अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमा जो समय-समय पर उसके विधानसभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित हो उधार ले सकता है और ऐसी सीमा के अंदर जो तय किया जाये प्रत्याभूति दे सकता है।

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, झारखण्ड सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि (प्रत्या.ऋ.नि.) गठित करना था। तदनुसार, झारखण्ड सरकार को प्रत्या.ऋ.नि. सृजित करना और 2005-06 (12^{वें} वित्त आयोग की अवधि की शुरुआत) से 2016-17 तक ₹6.32¹² करोड़ निधि में अंतरित करना

¹² झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदी गयी बिजली के विरुद्ध मासिक विपत्रों के भुगतान हेतु दामोदर घाटी निगम को ₹157.15 करोड़ बकाया प्रत्याभूति के विरुद्ध

था, जिसमें वह विफल रहा। अंतरित न की गयी राशि में से ₹0.79 करोड़ केवल 2016-17 से संबंधित था।

तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि सृजित नहीं किया है।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि का सृजन तथा संचालन करना चाहिए।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावे विभिन्न संकेतक जो राज्य की ऋण वहनीयता¹³ को निर्धारित करते हैं का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। यह खण्ड ऋण स्थिरीकरण¹⁴, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁵, उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता¹⁶, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के परिपक्वता विवरण के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण वहनीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण वहनीयता

तालिका 1.31 इन सूचकों के अनुसार वर्ष 2012-13 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये राज्य के ऋण वहनीयता का विश्लेषण करता है।

¹³ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण वहनीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण वहनीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

¹⁴ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

¹⁵ वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहनीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।

¹⁶ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित और उधार निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

तालिका 1.31: ऋण वहनीयता : सूचक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहनीयता के सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	20.0	19.9	19.9	24.4	26.4
वृद्धिशील गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	(-39)	1,275	(-2,885)	4,313	(-2,113)
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	1,814	110	3,046	9,641	6,224
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात)	10	10	9.28	8.17	8.87
राज्य ऋण की परिपक्वता का विवरण (वर्षों में)					
0 - 1	1,381(5)	1,453(5)	1,590(4)	1,338(3)	2,123(4)
1 - 3	3,031(11)	2,916(10)	3,368(10)	4,535(10)	5,226(10)
3 - 5	3,358(12)	4,373(14)	5,032(14)	4,236(9)	4,224(8)
5 - 7	5,009(19)	4,160(14)	3,723(11)	7,857(17)	9,579(19)
7 व अधिक	14,547(53)	17,131(57)	21,129(61)	27,875(61)	29,693(58)
कुल	27,326	30,033	34,842	45,841	50,845

कुल के प्रतिशत को कोष्ठक में दर्शाया गया है।

*फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।

2016-17 के दौरान, 26.4 प्रतिशत का ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 14^{वें} वि.आ. द्वारा मानक अनुमान के रूप में निर्धारित 25.16 प्रतिशत से अधिक था और बजट दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य (24.13 प्रतिशत) से उल्लेखनीय रूप से अधिक था। संसाधन अंतराल में महत्वपूर्ण अंतर्वाषिक उतार चढ़ाव 2012-17 अवधि के दौरान राज्य द्वारा गैर ऋण प्राप्तियों के अस्थिर संग्रहण को इंगित करता है।

तालिका 1.32: उधार निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्ति	14,718	12,840	19,808	28,482	19,193
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन व ब्याज)	12,904	12,730	16,762	18,841	12,969
उपलब्ध निवल निधि	1,814	110	3,046	9,641	6,224
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों को उपलब्ध निवल निधि का प्रतिशत	12.32	0.86	15.38	33.85	32.43

2015-16 में 191 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध 2016-17 के दौरान, उधार निधि की निवल उपलब्धता पिछले वर्ष से 35 प्रतिशत तक घटा। 2015-16 के दौरान यह बढ़ोत्तरी ऊर्जा प्रक्षेत्र हेतु उदय बाँड पर निधि के उधार (₹5,553 करोड़) लेने के कारण था।



पिछले वर्ष के संदर्भ में बिना ब्याज वाले जमा की कम प्राप्ति (₹1,519 करोड़ से), आंतरिक उधार में कमी (₹364 करोड़ से) और भारत सरकार से ऋण की कम प्राप्ति (₹133 करोड़) के कारण उधार निधि की निवल उपलब्धता 2013-14 के दौरान निम्न थी।

यह अवलोकित किया गया कि लिये गये उधार के अधीन प्राप्तियों के संदर्भ में उधार निधियों की निवल उपलब्धता की प्रतिशतता अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (25.75 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (30.51 प्रतिशत), बिहार (19.15 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (25.44 प्रतिशत) की तुलना में झारखण्ड (32.43 प्रतिशत) के मामले में उच्चतर था जो राज्य में पूँजीगत कार्यों हेतु उधार निधियों की उपलब्धता का सूचक था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12 वर्ष 2012-17 अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



राज्य 2016-17 में वास्तविक बजट अनुमानों से कम राजस्व व्यय करते हुए ₹1,965 करोड़ का राजस्व आधिक्य दिखाने में सफल रहा (आर्थिक सेवाओं के अधीन ₹399 करोड़ अधिक व्यय के बावजूद सामान्य सेवाओं के अधीन ₹1,389 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं के अधीन ₹2,684 करोड़ तक)।

यद्यपि राज्य ने 2012-17 के दौरान, 2014-15 के अतिरिक्त, राजस्व घाटे को शून्य तक घटाने के लक्ष्य (राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार) को प्राप्त कर लिया, तथापि 2.76 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 2016-17 में स.रा.घ.उ. से राजस्व आधिक्य अनुपात का 0.8 प्रतिशत ही प्राप्त कर सका। 14^{वें} वित्त आयोग के 3.50 प्रतिशत मानक तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित 2.22 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2017 के अंत तक स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे का अनुपात 4.02 प्रतिशत था।

अंतर्वार्षिक उतार चढ़ाव के पश्चात 2016-17 में प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का (-)2.4 प्रतिशत था।

अनुशंसा:

सरकार को बजट में अनुमानित तथा 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम में दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना अपेक्षित है तो इसे इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, संबंधित नियमावतियों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन की प्रक्रिया

बजट प्रबंधन से संबंधित बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं:

(i) राज्य के बजट अनुमान को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाने है (नियम 52)।

(ii) विभिन्न विभागों के नियंत्री अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अनुमानों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और प्रथम संस्करण बजट को सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु संकलित करना है (नियम 79)।

(iii) समस्त प्रत्याशित बचतों को, जब वे पूर्वज्ञात हों सरकार को अविलंब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि वे किन्हीं अन्य इकाइयों के अंतर्गत अनुदान से हुए आधिक्य व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक न हों। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखे जाने चाहिए (नियम 112)।

(iv) व्यय के नये विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदानों में संभावित आधिक्य को पूर्ण करने हेतु अनुपूरक अनुदान वित्त विभाग के परामर्श से प्राप्त किए जाने चाहिए (नियम 117)।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनुदानों में 2016-17 के दौरान अत्यधिक बचत अवलोकित किया जो बजट प्रबंधन में कमियों को इंगित करता है जैसी अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

2016-17 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2016-17 के मूल/अनुपूरक अनुदानों के सम्मुख वास्तविक व्यय की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोग	*वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल मार्च 2017 में अभ्यर्पित राशि	मार्च में अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (कॉ.6/कॉ.5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत	(I) राजस्व	51,805.65	40,913.04	(-)10,892.60	9,524.94	9,454.86	99.26
	(II) पूँजीगत	12,678.95	10,860.69	(-)1,818.26	2,084.81	2,084.81	100.00
	(III) ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	1,681.81	1,335.06	(-)346.75	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	66,166.41	53,108.79	(-)13,057.61	11,609.75	11,539.67	99.40
भारित	(IV) राजस्व	4,731.84	4,246.13	(-)485.72	629.13	629.13	100.00
	(V) पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(VI) लोक ऋण पुनर्भगतान	2,067.46	2,077.88	(+)10.42	34.57	34.57	100.00
कुल भारत	6,799.30	6,324.01	(-)475.30	663.70	663.70	100.00	
सकल योग	72,965.71	59,432.80	(-)13,532.91	12,273.45	12,203.37	99.43	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2016-17

*व्यय के आंकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹70.13 करोड़) को घटाकर लेखे में वसूलियों को समायोजित किये बिना सकल आंकड़े हैं।

टिप्पणी: संबद्ध शीर्षों में ₹955 करोड़, जो 2016-17 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2017 तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तक के व्यय का आंकड़ा गलत बताया गया था।

2016-17 के दौरान, ₹13,532.91 करोड़ (कुल बजट का 18.55 प्रतिशत) का कुल बचत ₹13,543.66 करोड़ (राजस्व खंड के अधीन 55 दत्तमत अनुदानों एवं पाँच विनियोगों में ₹11,378.64 करोड़ और पूँजीगत खंड के अधीन 36 अनुदानों में ₹2,165.02 करोड़) के बचत, एक अनुदान और एक विनियोग में ₹10.75 करोड़ आधिक्य के समायोजन का परिणाम था।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹13,543.66 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध, ₹12,203.37 करोड़ (90.10 प्रतिशत) मार्च 2017 के महीने में अभ्यर्पित किया गया जिससे वित्त विभाग के पास उस वर्ष के चयनित योजनाओं पर विवेकपूर्ण ढंग से निधि का उपयोग करने के लिए कोई समय नहीं बचा।

आगे यह पाया गया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने और अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्य व्यय से बचाव हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा भेजे गये मासिक सिविल लेखा विवरणी एवं मासिक विनियोग लेखाओं का उपयोग करने में वित्त विभाग विफल रहा।

अग्रतर, यह पाया गया कि झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2016-17 में वर्णित कुल 1,527 उप-शीर्षों में से 1,085 उप-शीर्षों में बचत एवं 60 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण विभागों द्वारा नहीं बताया गया।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुश्रवण करना चाहिए कि निधियाँ अनावश्यक रूप से रोककर रखी नहीं जाती हैं और अंतिम मिनट में अभ्यर्पण तथा आवंटन के व्यपगत होने का आश्रय लिये बिना यथाशीघ्र अभ्यर्पित कर दी जाती हैं।

2.4 वित्तीय दायित्व तथा बजटीय प्रबंधन

2.4.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सम्मुख विनियोग

₹13,543.66 करोड़ के कुल बचत के सम्मुख, 19 अनुदानों से संबंधित 23 मामलों में ₹9,979.81 करोड़ (74 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित है। इन मामलों में, बचत ₹100 करोड़ को पार कर गया एवं अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक था।

तालिका 2.2: ₹100 करोड़ व उपर तथा अनुदान के 20 प्रतिशत या अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	6,793.64	5,434.74	1,358.90	20.00
2	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4,723.26	3,469.80	1,253.46	26.54
3	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,295.30	455.28	840.02	64.85
4	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,178.56	2,414.68	763.88	24.03
5	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,664.64	1,957.38	707.26	26.54
6	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,449.57	2,757.82	691.75	20.05

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
7	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,914.64	1,316.17	598.81	31.28
8	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,449.78	923.73	526.05	36.28
9	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,714.57	1,202.17	512.40	29.89
10	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,515.53	1,120.57	394.96	26.06
11	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	525.55	364.44	161.11	30.66
12	23-उद्योग विभाग	445.65	292.64	153.01	34.33
13	49-जल संसाधन विभाग	398.65	265.88	132.77	33.30
14	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	624.34	496.04	128.30	20.55
15	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	281.43	170.66	110.77	39.36
16	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	321.84	221.40	100.44	31.21
पूँजी - दत्तमत					
17	49-जल संसाधन विभाग	1,510.87	1,121.11	389.76	25.80
18	10-उर्जा विभाग	1,543.25	1,228.76	314.49	20.38
19	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	613.46	389.80	223.66	36.46
20	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	733.07	511.55	221.52	30.22
21	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	265.10	116.96	148.14	55.88
22	3-भवन निर्माण विभाग	573.62	441.63	131.99	23.01
23	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	551.76	435.40	116.36	21.09
कुल दत्तमत		37,088.08	27,108.61	9,979.81	73.69

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

अनुदान सं. 42 एवं 59 के विस्तृत जाँच ने निम्नलिखित उद्घाटित किया:

क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संपूर्ण आवंटन (₹166.32 करोड़) अभ्यर्पित किया गया।

ख) मनरेगा के अंतर्गत ₹253.60 करोड़ की बचत राशि अभ्यर्पित की गयी।

ग) सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹559.99 करोड़ की बचत राशि अभ्यर्पित की गयी।

46 मामलों में (36 अनुदानों/विनियोगों) ₹10,809.02 करोड़ के समग्र बचतों के साथ प्रत्येक मामले में बचत ₹10 करोड़ को पार कर गया और अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में वर्णित है। अग्रतर, 29 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 156 उप-शीर्ष/योजनाओं में प्रत्येक मामले में ₹20 करोड़ से अधिक बचत हुआ जिसकी समग्र राशि ₹8,661.12 करोड़ (कुल बचत का 64 प्रतिशत) थी। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिये गये हैं। अत्यधिक बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वास्तविक माँग के अनुसार बजट तैयार करना चाहिए तथा अनुमानों की महत्तम उपयोगिता सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, जैसे ही व जब बचत प्रत्याशित हों तो व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग को वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है।

2016-17 के दौरान ₹13,543.66 करोड़ के कुल बचत में से, ₹1,629.52 करोड़ की राशि (11 अनुदान/विनियोजनों के अंतर्गत प्रत्येक में एक करोड़ व अधिक) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। आगे, यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 में, 16 अनुदानों में ₹363.15 करोड़ का अभ्यर्पण वास्तविक बचत से अधिक था जो इंगित करता है कि संबंधित विभागों द्वारा अभ्यर्पण पत्रों के प्रस्तुत करने के पश्चात भी व्यय किया गया। मार्च 2017 में अभ्यर्पित ₹2,516.60 करोड़ से संबंधित 61 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक) की सूची **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

अनुशंसा:

समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.3 सतत बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 12 मामलों (11 विभागों) में कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुई थी (**तालिका 2.3**)।

तालिका 2.3: 2012-17 के दौरान सतत बचत इंगित करती अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व - दत्तमत						
1	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)	707.26(27)
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)	526.05(36)
3	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	307.90 (28)	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)	394.96(26)
4	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	77.17 (23)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)	161.11(31)
5	23-उद्योग विभाग	82.94(29)	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)	153.01(34)
6	49-जल संसाधन विभाग	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)	132.77(33)
7	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	232.43 (25)	308.12(30)	349.95(28)	1,088.29(73)	110.77(39)
8	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)	95.59(33)
9	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	594.38 (88)	533.61(83)	99.14(27)	691.14(60)	95.77(26)
10	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)	29.27(17)
11	17-वाणिज्य कर विभाग	27.17 (38)	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)	19.49(27)
पूँजीगत - दत्तमत						
12	49-जल संसाधन विभाग	1,232.85(74)	1,130.96(68)	1,196.28(68)	544.62(33)	389.76(26)

कोष्ठक के आंकड़े अनुदान के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

इन वर्षों में सतत वृहत बचत अनुदानों के अंतर्गत असंगत आकलन को इंगित करता है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ निष्पादित करनेवाले छः विभागों के कुछ मुख्य योजनाओं में बचतों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	48.07	35.73 (74)	63.51	18.42 (29)	70.01	41.67 (60)
2	राष्ट्रीय उद्यान मिशन कार्यक्रम	88.00	35.71 (41)	105.00	57.40 (55)	90.00	43.10 (48)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	19.48	17.88(92)	23.00	11.91(52)	25.00	11.65(47)
2	कंप्यूटरीकरण योजना	60.94	49.76(82)	60.94	54.82(90)	40.00	23.10(58)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सामान्य हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम	465.59	394.25(85)	400.00	227.80(57)	362.00	86.98(24)
2	इंदिरा आवास योजना	720.00	432.24(60)	757.00	110.81(15)	1,165.17	182.94(16)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	बालिका छात्रावास निर्माण	67.71	64.22(95)	73.56	58.18(79)	47.30	23.82(50)
2	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	117.64	71.87(61)	198.59	80.53(41)	198.57	40.91(21)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान	1,708.57	384.32 (22)	1,997.02	961.21 (48)	1,699.50	635.68 (37)
2	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	3,240.62	1,253.96 (39)	2,659.13	519.50 (20)	3,171.97	420.70 (13)
3	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न के मूल्य की राशि	44.00	25.38 (58)	40.70	12.78 (31)	45.00	19.82 (44)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचतों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	समेकित बाल विकास योजना	495.00	233.81 (47)	589.36	299.97 (51)	400.00	148.95 (37)
2	किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	57.93	55.38 (96)	66.04	45.32 (69)	68.76	39.74 (58)
3	समेकित बाल सुरक्षा योजना	24.00	21.62 (90)	27.60	21.24 (77)	24.00	9.80 (41)

स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आंकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

अनुशंसा:

समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जो विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक टालने योग्य न हों, के लिए दिये जाने हैं। आकस्मिकता निधि का संग्रह वर्ष 2016-17 के दौरान ₹500 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से 52 अवसरों पर ₹382.07 करोड़ आहरित किये गये। इसमें से 22 अवसरों पर ₹348.52 करोड़ की कुल राशि की निकासी उन कारणों हेतु की गयी जिनका पूर्वानुमान बजट अनुमानों को तैयार करते समय ही लगाना चाहिए था, और इसलिये ये न तो अप्रत्याशित और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के थे। विवरण तालिका 2.4 में दिये गये हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)
1	2013-00-105-02	मंत्रियों का विवेकाधीन अनुदान	5.67
2	2052-00-090-24	मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वयन एवं प्रोटोकॉल) नई मोटरगाड़ियों का क्रय	0.60
3	2052-00-090-25	मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) विदेश यात्रा भत्ता	0.29
4	2070-00-115-02	नई मोटरगाड़ियों का क्रय	0.22
5	2070-00-800-11	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह	10.00
6	2070-00-800-13	असंगत शीर्ष अंतर्गत कटौती की गयी राशि की वापसी/सुसंगत शीर्ष अंतर्गत अधिक कटौती की गयी राशि की वापसी	0.50
7	2205-00-105-05	जिला केन्द्रीय पुस्तकालय - सहायता अनुदान	0.57

8	2215-02-191-08	नगर निगमों को सहायता अनुदान	4.37
9	2215-02-193-05	जलापूर्ति तथा सफाई के लिए नगर पंचायतों/अ.क्षे.स को सहायता अनुदान	1.13
10	2215-01-102-03	हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुएँ- उच्च दाब नलकूप	2.50
11	2225-02-796-74	सेमिनार एवं टेक्नोलॉजी	1.00
12	2230-01-102-02	कार्यशालाओं/कारखानों का निरीक्षण	0.25
13	2235-02-796-A2	वन स्टॉप सेन्टर	0.28
14	2245-01-102-04	शहरी क्षेत्रों में नलकूप एवं अन्य जलापूर्ति संरचनाओं की मरम्मत/उन्नयन/जीर्णोद्धार	28.19
15	2801-80-101-13	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.)	200.00
16	3055-00-190-01	राज्य पथ परिवहन निगम, झारखण्ड को सहायता	33.18
17	3451-00-090-17	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)	1.49
18	3451-00-090-03	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0.53
19	4059-01-796-39	कोर्ट परिसर में कोर्ट भवन/आवासीय भवन/पुलिस बैरक के निर्माण कार्य एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश 75:राज्यांश 25)	30.44
20	3456-00-796-51	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	25.00
21	3452-80-104-11	होटल प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, झारखण्ड साहसिक पर्यटन संस्थान एवं पर्यटन विकास प्राधिकार आदि के लिए सहायता अनुदान	1.00
22	3452-01-796-02	प्रचार कार्य	1.31
कुल			348.52

स्रोत: सूचनाएँ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा संकलित।

तथापि 2016-17 के दौरान निधि से कुल आहरण अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रतिपूर्ति कर दिया गया।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से अत्यावश्यक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय की पूर्ति के उद्देश्य को छोड़कर, कोई भी अग्रिम आहरित नहीं किये जाते हैं।

2.4.5 विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोग के आधिक्य को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करवाना अनिवार्य है।

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2015-16 तक प्रावधानों से ₹2,739.12 करोड़ के हुए अधिक व्यय को विनियमित किया जाना बाकी था (अक्टूबर 2017) जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है। विनियमित किये जाने हेतु लंबित आधिक्य व्यय की वर्ष-वार राशि तालिका 2.5 में सारांशीकृत है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25 एवं 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		@
2006-07	38		\$
2010-11	32		0.10
2011-12	15 एवं 25	14	420.16
2012-13	7, 15 एवं 42	14	1,263.18
2013-14	15	13 एवं 14	694.05
2014-15	42	13	361.21
कुल			2,739.12

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

@ आधिक्य राशि मात्र ₹1,072 थी

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹81,665 थी

इसके अतिरिक्त, 2016-17 से संबंधित निम्न आधिक्य व्यय जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है को भी विनियमित किया जाना है।

तालिका 2.6 : 2016-17 के दौरान हुए प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित विनियोग				
1	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	2,067.46	2,077.88	10.42
2	32-विधान सभा	0.35	0.68	0.33
कुल		2,067.81	2,078.56	10.75

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2016-17

अनुशंसा:

आधिक्य व्यय के सभी विद्यमान मामलों को यथाशीघ्र विनियमित किया जाना चाहिए तथा भविष्य में अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति, जहाँ कि व्यय सिर्फ आकस्मिकता निधि से होना चाहिए, को छोड़कर इस प्रकार के व्यय को पूर्णतः बंद किया जाये।

2.4.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

₹9,463.03 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 38 मामलों में, (प्रत्येक मामले में ₹एक करोड़ या अधिक) प्राप्त ₹3,315.06 करोड़ (35 प्रतिशत) का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। इन सभी मामलों

में, यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत दिये गये मूल आवंटन व्यय नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अंतर्गत वृहत बचत हुई।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

2016-17 के दौरान छः उप-शीर्षों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में वर्णित है, अत्यधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। चार योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹0.25 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गयी फलस्वरूप ₹0.52 करोड़ की बचत हुई, जबकि वर्ष के अंत में तीन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹6.31 करोड़ अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया जिससे उन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹6.48 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। अग्रतर, दो योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹55.52 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया जो उन योजनाओं के अंतर्गत ₹1.35 करोड़ के अधिक व्यय को देखते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.4.8 निधियों का वृहद अभ्यर्पण

156 मामलों में ₹2,980.12 करोड़ राशि की निधि (वैसे मामले जहाँ प्रावधानों का शत प्रतिशत तथा प्रत्येक मामले में ₹दो करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण हुआ) अभ्यर्पित की गयी, जिसका परिणाम योजनाओं/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन में हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

अनुशंसा:

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाये।

2.5 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध 29 लेखा-शीर्षों में ₹9,977.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹20 करोड़ से अधिक का व्यय) के कुल व्यय के विरुद्ध, वर्ष 2016-17 के अंतिम तिमाही में ₹6,966.05 करोड़ (69.82 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसमें से, ₹3,970.49 करोड़ (39.80 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में किया गया।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता अस्वस्थ परिपाटी तथा लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम को अपरिहार्य बनाता है।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को कठोरता से बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिये।

2.6 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

हालाँकि नियंत्री अधिकारियों (नि.अ.) द्वारा विभागीय आंकड़ों के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों से असमाशोधन की ओर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियमित रूप से ध्यान आकर्षित करता है पर ये अनियमितताएँ 2016-17 के दौरान जारी रहीं। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹54,173.81 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹16,795.77 करोड़ (31.00 प्रतिशत) समाशोधित नहीं किया गया। इसी प्रकार, 2016-17 के दौरान ₹59,362.67 करोड़ के कुल व्यय में से ₹30,728.97 करोड़ (51.76 प्रतिशत) समाशोधित नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक के असमाशोधित व्यय, जिसकी समग्र राशि ₹27,438.37 करोड़ थी, के विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिये गये हैं।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को ऐसी क्रियाविधि विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें नियंत्री अधिकारी को, मासिक आधार पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी से नियमित रूप से समाशोधन करना आवश्यक हो।

2.7 अनुदान संख्या 41 - पथ निर्माण विभाग की बजटीय प्रक्रिया

2.7.1 परिचय

राज्य का सड़क आधारभूत संरचना तीन श्रेणियों में बँटा हुआ है यथा प्राथमिक प्रणाली (राष्ट्रीय राजमार्ग), द्वितीय प्रणाली (राज्य राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़कें) तथा तृतीय प्रणाली (ग्रामीण सड़क तथा अन्य जिला सड़कें)।

राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) की संपत्ति हैं तथा भा.स. द्वारा दी गयी निधि से पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड सरकार द्वारा रख-रखाव किया जाता है।

राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें एवं अन्य सड़कें जिन्हें 'पी.डब्ल्यू.डी. सड़क' के रूप में जाना जाता है, प.नि.वि. झारखण्ड सरकार (झा.स.) की संपत्ति हैं। इन सड़कों का अनुरक्षण और उन्नयन प.नि.वि. द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या 41-पथ निर्माण विभाग के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा ने उद्घाटित किया कि वर्ष 2016-17 में ₹4,612.31 करोड़ (योजना ₹4,310.55 करोड़ तथा गैर-योजना ₹301.76 करोड़) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग ने ₹4,521.03 करोड़ (योजना ₹4,293.76 करोड़ तथा गैर-योजना ₹227.27 करोड़) (98.02 प्रतिशत) का व्यय किया जिससे ₹91.28 करोड़ (योजना ₹16.79 करोड़ तथा गैर-योजना ₹74.49 करोड़) (1.98 प्रतिशत) का कुल बचत हुआ। इसके अलावा, ₹91.28 करोड़ के कुल बचत में से 2016-17 के दौरान ₹76.17 करोड़

(योजना ₹27.29 करोड़ तथा गैर-योजना ₹48.88 करोड़) अभ्यर्पित किया गया तथा शेष ₹15.11 करोड़ व्यपगत होने दिया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: 2016-17 के दौरान बजट प्रावधानों तथा व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना	गैर-योजना			सकल योग (योजना + गैर-योजना)
		कार्य	स्थापना	कुल	
मूल अनुदान	4,000.00	164.76	121.54	286.30	4,286.30
अनुपूरक अनुदान	310.55	15.25	0.21	15.46	326.01
कुल अनुदान	4,310.55	180.01	121.75	301.76	4,612.31
व्यय	4,293.76	115.85	111.42	227.27	4,521.03
बचत	(-)16.79	(-)64.16	(-)10.33	(-)74.49	(-)91.28
अभ्यर्पण (पुनर्विनियोजन)	(-)27.29	(-)40.38	(-)8.50	(-)48.88	(-)76.17
व्यपगत	10.50	(-)23.78	(-)1.83	(-)25.61	(-)15.11


स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

2.7.2 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी (अभियंत्रण) कार्यकलापों¹ तथा कार्यकारी (सहायता) कार्यकलापों² को कार्यान्वित करती है। प्रधान सचिव/सचिव विभाग के प्रमुख नियंत्री अधिकारी होते हैं, जिनकी सहायता एक अभियंता प्रमुख तथा विभिन्न कार्यकलापों के प्रभारी तीन मुख्य अभियंता द्वारा की जाती है। अंचल (सर्किल), प्रमंडल, उप-प्रमंडल तथा खंड (सेक्शन) विभाग की क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं जिनके प्रमुख क्रमशः अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), कार्यपालक अभियंता (का.अ.), सहायक अभियंता (स.अ.) तथा कनीय अभियंता (क.अ.) होते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्नानुसार है:

¹ प्रस्तावित कार्यों की योजना, रूपांकन तथा लागत अनुमान का मूल्यांकन, संस्वीकृत कार्यों का निविदाकार्य, ठेकदारों को भुगतान; जारी कार्यों का अनुश्रवण तथा कार्यालय प्रशासन।

² पथ निर्माण विभाग के लिए समेकित योजना, कार्यों के लिए बजटीकरण, योजनाओं की स्वीकृति, वृहत स्तरीय अनुश्रवण, योजनाओं का आवधिक निरीक्षण, सभी कार्यों का वित्तीय प्रबंधन तथा प.नि.वि. कर्मियों का प्रशिक्षण।



लेखापरीक्षा परिणाम

2.7.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

बिहार बजट नियमावली का नियम 62, झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत, बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर का प्रावधान करता है। हमने लेखापरीक्षा में पाया कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के उपरांत सामान्य बजट समर्पित करने तथा बजटीय लेन-देनों के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) को तैयार करने की निर्धारित तिथि बजट नियमावली में 1 अक्टूबर की निर्धारित तिथि के स्थान पर 06 नवम्बर (गैर-योजना हेतु) तथा 15 दिसम्बर 2015 (योजना हेतु) के बीच संशोधित (सितम्बर 2015) कर दिया।

अभिलेखों के निरीक्षण से उजागर हुआ कि विभाग ने वित्त विभाग को गैर-योजना बजट अनुमान (ब.अ.) 06 नवम्बर 2015 की नियत तिथि के स्थान पर 19 दिनों के विलंब से 24 नवम्बर 2015 को प्रस्तुत किया जबकि उसने योजना बजट हेतु प्रस्ताव तैयार कर योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 15 दिसम्बर 2015 की नियत तिथि के स्थान पर 50 दिनों के विलंब से (04 फरवरी 2016) को प्रस्तुत किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विलंब को संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

2.7.4 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली (यथा अंगीकृत) के नियम 57, 131 एवं 132 के अनुसार, अनुमान परिशुद्ध होने चाहिए।

हमने पाया कि वर्ष 2016-17 के दौरान प.नि.वि. के गैर-योजना हेतु मूल तथा अनुपूरक प्रावधान (अगस्त 2017) क्रमशः ₹286.30 करोड़ तथा ₹15.46 करोड़ थे। विभाग ने 2016-17 के दौरान ₹227.27 करोड़ का उपयोग किया, जो मूल प्रावधान

से कम था। विभाग ने तेरह में से पाँच उप-शीर्षों में (परिशिष्ट 2.11), जिसमें मूल प्रावधान समाप्त नहीं हुआ था, ₹15.46 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान का माँग किया। इससे बचा जा सकता था यदि अनुमान क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं पर आधारित अपेक्षित सावधानी के साथ तैयार किया जाता।

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने कहा (नवम्बर 2017) कि केन्द्र द्वारा विमुक्त राशि के समरूप निधि के रूप में ₹15.25 करोड़ की माँग की गयी तथा स्थापना उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹0.21 करोड़ की माँग की गयी जिसमें मूल बजट प्रावधान 'शून्य' था।

जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹0.21 करोड़ की अनुपूरक माँग की गयी जिसमें मूल बजट में प्रावधान पहले से ही उपलब्ध कराया गया था।

2.7.5 बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय

बजट नियमावली के नियम 138 के अनुसार, आधिक्य व्यय से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि शीर्ष 5054-03-337-08 के अंतर्गत ₹84.90 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग द्वारा ₹84.98 करोड़ का व्यय किया गया। इस तरह मुख्य शीर्ष 5054-योजना के अंतर्गत ₹0.08 करोड़ के अधिक व्यय ने व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को इंगित किया। अग्रतर, योजना शीर्ष 5054-03-799-01 के अंतर्गत विभाग द्वारा बिना बजट प्रावधान के ₹28.85 करोड़ का व्यय किया गया तथा योजना शीर्ष के अंतर्गत अभ्यर्पित प्रावधान (₹27.29 करोड़) कुल बचत (₹16.79 करोड़) से ₹10.50 करोड़ अधिक रहा।

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2017) कि व्ययन प्राधिकारियों को बजट प्रावधान के अंदर ही निधि विमुक्त किये जाएंगे।

जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि विस्तृत विनियोग लेखे 2016-17 के अनुसार योजना शीर्ष 5054-03-799-01 के अंतर्गत विभाग द्वारा बजट प्रावधान के बिना ₹28.85 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था।

2.7.6 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार सभी प्रत्याशित बचतें, चूँकि वे पूर्वज्ञात हैं, वर्ष की समाप्ति तक की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल अभ्यर्पित की जानी चाहिए। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखे जाने चाहिये। अग्रतर, नियम 135 के अनुसार जब किसी अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट तो नियंत्री अधिकारी को उस राशि का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाना चाहिये जो वह अभ्यर्पित कर सकता है।

हमने अवलोकित किया कि ₹4,612.31 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹76.17 करोड़ (योजना ₹27.29 करोड़ तथा गैर-योजना ₹48.88 करोड़) विभाग द्वारा

31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया। सात³ नमूना-जाँच किये गये प्रमंडलों में से पाँच में ₹13.70 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गयी। विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.8: वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमंडलों के नाम	31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि		
		गैर योजना (कार्य)	योजना	कुल
1	का. अ., पथ निर्माण विभाग, डाल्टनगंज	0.48	3.23	3.71
2	का. अ., पथ निर्माण विभाग, दुमका	0.80	0.00	0.80
3	का. अ., पथ निर्माण विभाग, गुमला	0.03	0.34	0.37
4	का. अ., पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग	0.00	0.74	0.74
5	का. अ., पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर	8.08	0.00	8.08
कुल				13.70

इस प्रकार, ₹76.17 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गयी जिसने सरकार द्वारा अन्य योजनाओं पर इस निधि के उपयोग हेतु कोई संभावना नहीं छोड़ा।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को शेष राशि समय पर जमा करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.7.7 निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे के जाँच से उजागर हुआ कि शीर्ष 5054-03-052-06 के अंतर्गत ₹1.40 करोड़ (100 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़ा रहा जिसे सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया, जबकि, सात नमूना-जाँच प्रमंडलों में से तीन द्वारा ₹9.69 करोड़ (100 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये। विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2.9: निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमंडलों के नाम	शीर्ष	योजनाओं की संख्या जिनमें राशि अभ्यर्पित की गयी	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
1	राँची	3054	07	1.02	शून्य	1.02
		5054	02	1.50	शून्य	1.50
2	जमशेदपुर	3054	10	6.37	शून्य	6.37
3	दुमका	3054	03	0.80	शून्य	0.80
कुल			22	9.69	शून्य	9.69

संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

³ राँची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, गुमला, हजारीबाग, दुमका और देवघर।

2.7.8 व्यय का वेग

प्रावधानों के अनुसार (बजट नियमावली का नियम 113) व्यय का वेग विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सामान्यतः वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। अतः, व्यय के वेग से विशेष रूप से अंतिम माह में बचा जाना चाहिए। हमने अवलोकित किया कि प.नि.वि. के 12 उप-शीर्षों (योजना) में से तीन में मार्च के महीने में 99 प्रतिशत व अधिक व्यय किया गया। अग्रतर, सात नमूना-जाँच किये गये प्रमंडलों में यह पाया गया कि मार्च के महीने में, मुख्य शीर्ष 3054 (गैर-योजना कार्य) के अंतर्गत व्यय 26 से 71 प्रतिशत के बीच था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2.10: व्यय का वेग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग/प्रमंडलों	शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशतता
	विभाग	5054-03-337-02 (योजना)	73.74	72.71	99
		5054-03-796-02 (योजना)	20.16	20.16	100
		5054-03-796-06 (योजना)	1.15	1.15	100
		कुल	95.05	94.02	
1	का. अ., पथ निर्माण विभाग, डाल्टनगंज	3054- गैर-योजना (कार्य)	3.16	0.81	26
2	का. अ., पथ निर्माण विभाग, देवघर	3054- गैर-योजना (कार्य)	27.65	12.99	47
3	का. अ., पथ निर्माण विभाग, दुमका	3054- गैर-योजना (कार्य)	4.31	2.31	54
4	का. अ., पथ निर्माण विभाग, गुमला	3054- गैर-योजना (कार्य)	1.14	0.53	46
5	का. अ., पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग	3054- गैर-योजना (कार्य)	2.64	1.26	48
6	का. अ., पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर	3054- गैर-योजना (कार्य)	1.82	1.18	65
7	का. अ., पथ निर्माण विभाग, राँची	3054- गैर-योजना (कार्य))	13.24	9.35	70.52
	कुल		53.96	28.43	
	कुल योग		149.01	122.45	

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.7.9 विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 के अनुसार अपेक्षित है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि बजट नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹4,521.03 करोड़ के कुल व्यय में से ₹597.72 करोड़ महालेखाकार की बहियों से असमाशोधित रहा। विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2.11: विभागीय व्यय आंकड़ों का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	योजना	4,293.76	3,769.81	523.95
2	गैर-योजना (कार्य)	115.85	103.24	12.61
3	गैर-योजना (स्था.)	111.42	50.26	61.16
कुल		4,521.03	3,923.31	597.72

अग्रतर, सात प्रमंडलों के नमूना जाँच से उजागर हुआ कि 2016-17 के दौरान विभाग में ₹597.72 करोड़ के कुल विभागीय असमाशोधित राशि में से ₹71.08 करोड़ की राशि पाँच प्रमंडलों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों से समाशोधित नहीं कराया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.12** में हैं।

संयुक्त सचिव, प.नि.वि. ने कहा (नवम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके व्यय को समाशोधित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अनुशंसा:

पथ निर्माण विभाग को अपने बजट अनुमान को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड वित्तीय नियम (झा.वि.नि.) निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारी को अनुदानग्राही संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के उपरान्त इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड को अनुदान स्वीकृति के 12 महीनों के अन्दर अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 तक भुगतान किये गये सहायता अनुदान के विरुद्ध, ₹29,449.52 करोड़ के कुल 17,324 उ.प्र.प. मार्च 2017 के अंत तक बकाया था। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग छह विभागों यथा शिक्षा विभाग (₹10,850.96 करोड़ के कुल 800 उ.प्र.प.), नगर विकास विभाग (₹4,588.34 करोड़ के कुल 5,673 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹1,641.86 करोड़ के कुल 7,198 उ.प्र.प.), स्वास्थ्य विभाग (₹851.03 करोड़ के कुल 18 उ.प्र.प.), उद्योग विभाग (₹390.10 करोड़ के कुल 504 उ.प्र.प.) और कृषि विभाग (₹275.82 करोड़ के कुल 136 उ.प्र.प.) के विरुद्ध बकाये थे। विभागवार बकाया उ.प्र.प. का वर्गीकरण परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2017 तक बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि क्रमशः 17,324 एवं ₹29,449.52 करोड़ है जिसे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (31.03.2017 तक)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया हुआ	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2013-14 तक	2014-15 तक	5,564	4,748.06
2014-15	2015-16	2,408	11,981.28
2015-16	2016-17	9,352	12,720.18
बकाये उ.प्र.प. की कुल सं.		17,324	29,449.52

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2016-17

आगे, 31 जुलाई 2017 को वृहत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले छः विभागों में विगत चार वर्षों की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (31.07.2017 को) वाले प्रमुख विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
		उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
1	मानव संसाधन	2	32.00	12	404.49	103	6,642.29	557	2,509.26
2	ग्रामीण विकास	0	0.00	0	0.00	01	0.90	191	1,551.57
3	पंचायती राज एन.आर.ई.पी.	41	447.56	449	568.23	944	1,974.75	136	675.51
4	उर्जा	0	0.00	0	0.00	6	1,852.02	22	2,204.44
5	शहरी विकास	796	432.04	856	413.54	905	868.56	946	2,191.98
6	कल्याण	98	166.11	152	166.77	215	226.26	6,505	1,038.08
कुल योग		937	1,077.71	1,469	1,553.03	2,174	11,564.78	8,357	10,170.84

वर्ष 2013-14 के उपरांत लंबित उ.प्र.प. को संख्या एवं राशि में वृद्धि का कारण भारत सरकार का निर्णय (जुलाई 2013) था जिसके तहत पूर्व में प्रचलित प्रथा जिसमें अभिकरणों को सीधा हस्तांतरण किया जाता था के स्थान पर कार्यन्वयन अभिकरणों को राज्य सरकार के द्वारा हस्तांतरण किया जाने लगा।

मार्च 2017 के अंत तक ₹29,449.52 करोड़ की बड़ी राशि से संबंधित सहायता अनुदान के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता ससमय प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है।

यह भी देखा गया कि झारखण्ड सरकार द्वारा पत्र सं. 759/एफ दिनांक 20.03.2015 के द्वारा कोषागार संहिता नियम 329-331 में ढील दी गई जिससे प्र.म.ले. (लेखा एवं हक.) से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता समाप्त हो गई। फलतः बकाया उ.प्र.प. की राशि 2014-15 में ₹5,148.57 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹29,449.52 करोड़ हो गई।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य अनुदान दोषी अनुदानग्राही संस्थान को जारी न करें। सरकार को जैसे अधिकारी जो समय के अन्दर उ.प्र.प. समर्पित नहीं करते हैं, के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा

3.2.1 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

सी.ए.जी. द्वारा वैसे सभी निकायों तथा प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा किया जाता है जो समेकित निधि द्वारा ऋण या अनुदान के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो या जो ऐसे ऋण या अनुदान विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त करते हों। वर्तमान में, कुल 75 ऐसे निकाय या प्राधिकरण हैं जिनमें से 72 की लेखापरीक्षा जाँच की गई, जिनका विवरण परिशिष्ट 3.2 में है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 75 निकायों/प्राधिकरणों में से केवल चार ने अद्यतित लेखे प्रस्तुत किये। शेष निकायों/प्राधिकरणों में से तीन ने निकायों/प्राधिकरणों के गठन के समय से ही लेखापरीक्षा को लेखे नहीं सौंपे जबकि अन्य शेष निकायों/प्राधिकरणों के लेखे बार-बार सूचना के पश्चात भी एक से 13 वर्षों तक लंबित रहे।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उचित युक्ति अपनाने की आवश्यकता है कि ये लेखाएँ एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संकलित और लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि वित्तीय अनियमितताएँ, यदि कोई हो, छूट ना जायें।

3.2.2 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे पाँच स्वायत्त निकाय¹ है जिनकी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

इन स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण तालिका 3.3 में दिये गये हैं।

¹ (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जि.वि.से.प्रा.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.), (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), (iv) राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) तथा (v) झारखंड आवास बोर्ड, राँची।

तालिका 3.3 : स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किये गये	अवधि जब तक पृ.ले.प्र. निर्गत हुये	विधानसभा में पृ.ले.प्र. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2015-16	2015-16	सूचित नहीं किया गया।	2016-17 के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2017)।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.)	2011-12	2011-12	03.03.2014	2012-13 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2017)।
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	शून्य	शून्य	शून्य	सक्रिय अनुनय के बावजूद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के वार्षिक लेखे सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
4	राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास)	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से जारी है।
5	झारखण्ड आवास बोर्ड, राँची	शून्य	शून्य	शून्य	आरम्भ से (2001) वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से जारी है।

पृ.ले.प्र. - पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

झालसा के लेखापरीक्षित लेखाओं के मामले में पृ.ले.प्र. के प्रस्तुत किये जाने की सूचना सक्रिय प्रयास के बावजूद प्रदान नहीं की गयी। अग्रतर, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तीन निकायों के लेखे के प्रस्तुतीकरण के लिये मामले को लगातार संबंधित प्राधिकारियों के सामने उठाया किंतु लेखे इनके गठन के उपरान्त लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। हालाँकि, इन निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से किया गया है।

3.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

कंपनी अधिनियम का धारा 96 (1) निर्धारित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों को वित्तीय विवरणियाँ संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक तैयार किया जाना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रावधानों का भागीदार बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड की राशि एक लाख तक एवं उसके उपरांत ₹5,000 प्रति दिन हो सकती है। 31 दिसम्बर 2017 तक क्रियाशील सा.क्षे.उ. द्वारा लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण तालिका 3.4 प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.4: कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तारण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	प्रचालित	अप्रचालित	कुल
1	लोक उपक्रमों की संख्या	21	3	24
2	बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	19	3	22
3	बकाया लेखे की संख्या	54	15	69
4(क)	छह वर्षों से अधिक बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	2	1	3
4(ख)	उपरोक्त लोक उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	15	8	23
5(क)	तीन से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	7	1	8
5(ख)	उपरोक्त लोक उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	26	6	32
6(क)	एक से दो वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	10	1	11
6(ख)	उपरोक्त लोक उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	13	1	14
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 8	1 से 8	1 से 8

स्रोत: कंपनी के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से संकलित आंकड़े

लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण, आठ वर्षों की अवधि तक कंपनियों के पूरक लेखापरीक्षा करने में सी.ए.जी. असमर्थ रहा, जैसा कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कथन यह सुनिश्चित करने में संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है कि चूककर्ता कंपनियाँ संबद्ध अधिनियमों का अनुपालन करें।

राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान 11 कार्यशील सा.क्षे.उ. में ₹2,658.06 करोड़ का बजटीय समर्थन {इक्विटी: ₹76.25 करोड़, ऋण: ₹1,271.80 करोड़, पूँजीगत अनुदान: ₹1,310.01 करोड़} प्रदान किया। राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान एक अकार्यशील कंपनी को भी ₹15.53 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रदान किया।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ लेखे बकाया हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय समर्थन को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।

3.2.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये

राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को सरकार द्वारा अंशदानित प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे के अनुसार, ₹75.74 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹22.97 करोड़ का समग्र लाभ कमाया पर कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा:

राज्य को शेयर पूँजी के रूप में अपने निवेश पर प्रतिफल के लिए लाभांश नीति बनाना चाहिए।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.), 2016 निर्दिष्ट करता है कि जब आकस्मिक प्रभार कोषागार से अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों द्वारा समर्थक अभिश्रवों के बगैर आहरित किया जाता है तो उप अभिश्रवों से समर्थित और नियंत्री अधिकारी (नि.आ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सं.आ. विपत्र की तिथि से छः माह के अन्दर समर्पित करना है।

वर्ष-वार लंबित वि.आ. विपत्रों के विवरण तालिका 3.5 में दिये गये हैं।

तालिका 3.5 लंबित वि.आ.विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सं.आ. विपत्र		समर्पित वि.आ. विपत्र		बकाया वि.आ. विपत्र		वि.आ. विपत्रों के बकाया राशि का प्रतिशत
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2013-14 तक	54,563	15,172	45,692	11,576	8,871	3,596	24
2014-15	550	721	734	385	(-)184	336	47
2015-16	851	1,225	446	461	405	764	62
2016-17	459	1,268	48	313	411	955	75
कुल	56,423	18,386	46,920	12,735	9,503	5,651	31

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

अधिकतम राशि वाले लंबित वि. आ. विपत्रों वाले विभाग हैं: 'ग्रामीण विकास विभाग' (₹1,189 करोड़), 'कल्याण विभाग' (₹628 करोड़), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹540 करोड़) 'महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग' (₹530 करोड़) एवं 'कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग' (₹260 करोड़)। लंबित वि. आ. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दी गयी है:

तालिका 3.6 : बकाया वि.आ. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	17.4.2018 को बकाया वि.आ. विपत्र					
		2011-12 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	86.96	7.00	2.07	1.16	25.66	57.00
2	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	390.27	0.24	31.71	24.28	68.44	18.05
3	ग्रामीण विकास विभाग	489.78	30.50	26.63	82.80	163.83	214.63
4	कल्याण विभाग	438.51	44.72	60.51	4.69	21.40	22.23
5	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	418.49	30.12	0.18	0.10	83.72	0.00
	कुल	1824.01	112.58	121.10	113.03	363.05	311.91

जैसा उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, वि.आ. विपत्रों की एक बड़ी राशि ग्रामीण विकास विभाग के विरुद्ध बकाया था जो वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा।

निर्धारित समय के अन्दर वि. आ. विपत्र का समर्पित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन को भंग करता है बल्कि लोकधन के दुर्विनियोजन एवं कदाचार के खतरे की अपरिहार्यता बनी रहती है।

3.4 पथ निर्माण विभाग द्वारा सं.आ.विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा वर्ष 2000-17 अवधि के दौरान सं.आ.विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा की गयी। प.नि.वि. में यह पाया गया कि अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष 3054 (₹0.39 करोड़) एवं 5054 (₹449.76) के अंतर्गत 199 सं.आ. विपत्रों के माध्यम से ₹450.15 करोड़ आहरित किये गये जैसा कि तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7- लंबित वि.आ. विपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सं.आ. विपत्र						समर्पित वि.आ. विपत्र						बकाया		बकाया राशि की प्रतिशतता
	शीर्ष				कुल		शीर्ष				कुल				
	3054		5054				3054		5054						
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
2000-14	178	0.38	07	135.10	185	135.48	153	0.32	06	134.54	159	134.86	28	0.62	0.47
2014-15	00	0.00	02	9.00	02	9.00	00	0.00	01	5.26	01	5.26	01	3.74	42
2015-16	01	0.01	05	58.66	06	58.66	00	0.00	02	52.37	02	52.37	04	6.30	11
2016-17	00	0.00	06	247.00	06	247.00	00	0.00	03	207.88	03	207.88	03	39.12	16
सकल योग	179	0.39	20	449.76	199	450.15	153	0.32	12	400.05	165	400.37	36	49.78	

स्रोत: सं.आ/वि.आ. विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक.)

लेखा परीक्षा के दौरान हमने निम्न अवलोकित किया:

3.4.1 पूँजीगत कार्यो हेतु सं.आ. विपत्रों पर निधियों का अनधिकृत आहरण

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) 'आकस्मिक प्रभार' या 'आकस्मिकताएँ' को परिभाषित करता है, इसका अर्थ है और जिसमें सम्मिलित है सभी आकस्मिक व अन्य व्यय जो कार्यालय के रूप में एक कार्यालय के प्रबंधन, या किसी विभाग के तकनीकी प्रचालन के लिए व्यय किये जाते हैं सिवाय उनके जो व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित नियमावलियों के अधीन किसी अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत आते हैं यथा- 'कार्य', 'भंडार', 'औजार व संयंत्र' आदि। अतः, सं.आ. विपत्र पूँजीगत निर्माण कार्य के लिए आहरित नहीं किए जा सकते।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹314.66 करोड़ की राशि सं.आ. विपत्र पर (मार्च 2015 से दिसम्बर 2016) अवर सचिव, प.नि.वि., राँची, झारखण्ड द्वारा सड़क व पुलों के निर्माण के लिए आहरित किया गया और झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (झा.रा.रा.प्रा.) को कार्य के निष्पादन के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया जो झा.को.सं. के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत था।

उपरोक्त तथ्यों को स्वीकारते हुए, उप सचिव, प.नि.वि. ने कहा कि (फरवरी 2018) क्षेत्रीय कार्यालयों को इससे बचने के लिये निर्देशित किया गया है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री अधिकारी नियत अवधि से परे लंबित सभी सं.आ. विपत्र को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि सं.आ. विपत्र, बजट को सिर्फ व्यपगत होने से रोकने के लिए आहरित नहीं किए जाते हैं।

3.4.2 वित्तीय वर्ष के अंत में सं.आ. विपत्रों के विरुद्ध आहरण

विनियोग अधिनियम निर्धारित करता है कि कोषागार से आहरित निधि वित्तीय वर्ष के भीतर ही उपयोग किया जाना चाहिए। झारखण्ड कोषागार संहिता भी विनियोग को व्यपगत होने से रोकने हेतु आहरण करने पर रोक लगाती है।

2014-17 के दौरान सं.आ.विपत्रों पर आहरणों के विवरण तालिका 3.8 में दिये गये हैं।

तालिका 3.8 वित्तीय वर्ष के अंत में सं.आ. विपत्रों का आहरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आहरण						मार्च में आहरित						मार्च में हुए आहरण का प्रतिशत
	शीर्ष				कुल	शीर्ष				कुल			
	3054		5054			3054		5054					
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि			
2014-15	00	0.00	02	9.00	02	9.00	00	0.00	02	9.00	02	9.00	100
2015-16	01	0.01	05	58.66	06	58.67	00	0.00	03	13.66	03	13.66	23
2016-17	00	0.00	06	247.00	06	247.00	00	0.00	01	25.00	01	25.00	10
कुल	01	0.01	13	314.66	14	314.67	00	0.00	06	47.66	06	47.66	

स्रोत: वी.एल.सी. ऑफ़े

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2018)।

3.4.3 सं.आ.विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खातों में रखा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता निर्धारित करता है कि निधि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। अग्रतर, झारखण्ड वित्तीय नियमावली सरकारी धनराशि को सरकारी खाते के बाहर रखने पर रोक लगाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुए अवर सचिव, स.नि.वि. द्वारा मार्च 2016 से फरवरी 2017 के दौरान सं.आ.विपत्र से ₹32.66 करोड़ की आहरित निधि कार्यान्वयन एजेंसी झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (झा.रा.रा.प्रा.) को स्थानांतरित कर दी गयी, जिसे एजेंसी के बचत बैंक खाते में (मई 2017 से) रख दिया गया।

अनुशंसा:

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विद्यमान नियमावलियों और प्रावधानों के अनुसार वि.आ. विपत्रों का ससमय प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।

3.5 2016-17 के विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) विपत्रों की लेखापरीक्षा

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹684.48 करोड़ मूल्य के कुल 1,495 वि.आ. विपत्र समायोजित किए गए। इनमें से ग्यारह² मुख्य शीर्षों से संबंधित ₹241.59 करोड़ मूल्य के 101 वि.आ. विपत्रों की नमूना जाँच की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नंकित हैं:

- **वि.आ.विपत्र अभिश्रवों द्वारा समर्थित नहीं थे**

लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹232.05 करोड़ राशि के 75 वि.आ.विपत्रों के साथ अभिश्रव, जो कोषागार संहिता के अनुसार आवश्यक है, संलग्न नहीं किए गए जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में वर्णित है।

उपरोक्त मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं बिना अभिश्रवों के व्यय दर्शाने वाले वि.आ. प्रपत्र प्रस्तुत किए गए थे। इस कारण सं.आ. विपत्र पर आहरित राशि के व्यय की सत्यता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- **₹0.45 करोड़ के अप्रयुक्त राशि की वापसी**

नमूना जाँच किए गए ग्यारह मुख्य शीर्षों में से पाँच³ में, 2001-02 से 2015-16 की अवधि में वि.आ. विपत्रों के माध्यम से समायोजित 12 मामलों में ₹0.76 करोड़ की कुल राशि में से, ₹0.45 करोड़ की निधि बिना उपयोगिता के एक से 15 वर्षों के बीच की अवधि तक रोक कर रखने के उपरांत कोषागार में जमा किए गए।

- **वि.आ.विपत्रों की विलंब से प्रस्तुति**

जाँच के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 101 वि.आ. विपत्रों में से परिशिष्ट 3.4 में वर्णित ₹78.89 करोड़ सन्निहित 74 विपत्र 14 वर्षों तक के विलम्ब से प्रस्तुत किए गए जो झा.को.सं. में दिये गये छः माह की निर्धारित समय-सीमा से काफी अधिक थी।

² 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशुपालन, 4225- अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूँजीगत व्यय, 4055-पुलिस पर पूँजीगत व्यय, 4403- पशुपालन पर पूँजीगत व्यय, 5054-सड़क एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय, 2401-फसल एवं कृषि-कर्म और 2053-जिला प्रशासन

³ 2202-सामान्य शिक्षा, 2225- अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण, 4225- अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूँजीगत व्यय 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 2403- पशुपालन

- **वि.आ.विपत्रों का प्रतिहस्ताक्षरित न होना**

यह पाया गया कि ₹31.73 करोड़ सन्निहित 60 वि.आ. विपत्र नियंत्री अधिकारियों के प्रतिहस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किए गए जो नियम 184 को प्रावधानों के विरुद्ध था। इस प्रकार, वि.आ.विपत्रों को नियंत्री अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।

- **अन्य अनियमितता**

कृषि निदेशक ने मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म के अंतर्गत तीन सं.आ. विपत्र के माध्यम से ₹6.82 करोड़ आहरित किया जिसे तीन माह के अंतराल के उपरांत कोषागार में जमा करा दिया तथा वि.आ. विपत्र साढ़े पाँच वर्षों की अवधि के बाद मार्च 2017 में प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार एवं अन्य संबंधित विभागों को दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 में अग्रसारित किया गया। उनसे अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.6 दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 प्रावधान करता है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति के गबन या अन्य कारणों से हुई हानि की तत्काल सूचना उच्चतर प्राधिकारियों, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए उस स्थिति में भी जहाँ इसके लिये उत्तरदायी पक्ष द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो। जैसे ही हानि होने का संदेह उत्पन्न हो, उसकी सूचना अवश्य दी जानी चाहिए; जब जाँच की जा रही हो इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा आग्रह के उत्तर में (10 जुलाई 2017 एवं 25 अगस्त 2017) सितम्बर 2017 तक वित्त विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, विगत वर्षों में लेखापरीक्षा के अनुरोध के उत्तर में वित्त विभाग ने विभागों को सूचना उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया और विभागों ने आगे आहरण व संवितरण अधिकारियों को इसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जो इंगित करता है कि ऐसे मामलों का अनुश्रवण करने हेतु वित्त विभाग के पास नियम 31 के अंतर्गत अपेक्षित कोई डाटाबेस नहीं है। इस प्रकार, वित्त विभाग किसी भी समय के ऐसे मामलों की संख्या और उनकी वस्तुस्थिति पता करने में अक्षम है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को वित्तीय नियम 31 के आलोक में एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए ताकि राज्य को ऐसे मामलों की संख्या, सन्निहित राशि एवं तत्समय उसकी वस्तुस्थिति ज्ञात हो।

3.7 राजस्व तथा पूँजीगत के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है तथा इसकी प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से किया जाना अपेक्षित है। पूँजीगत व्यय को ऐसे व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वस्तुगत व स्थायी प्रकृति के ठोस परिसम्पत्ति के विस्तार के उद्देश्य से या स्थायी दायित्वों को कम करने हेतु वहन किया जाय। तथापि, वर्ष के दौरान सरकार ने गलत ढंग से राजस्व खंड के अंतर्गत “मुख्य कार्य” पर ₹1.16 करोड़ उपलब्ध कराया और व्यय वहन किया जैसा परिशिष्ट 3.5 में दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य और परिसंपत्तियाँ इस सीमा तक कम बताया गया।

भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा.स.ले.मा.)-2 के अनुसार सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार ने पूँजीगत मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय (₹100.00 करोड़) और 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (₹5.00 करोड़) के अंतर्गत क्रमशः आइ.सी.डी.एस. के अधीन आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण/ रखरखाव/उन्नयन हेतु और झारखण्ड राज्य जल सोसायटी व झालको को वेतन के लिये अनुदान हेतु ₹105 करोड़ का बजट प्रावधान किया। आगे, 2016-17 के दौरान ₹583.79 करोड़ वेतन, रखरखाव, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता इत्यादि, जो राजस्व प्रकृति के थे, पर पूँजीगत शीर्ष से व्यय किया गया। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य और पूँजीगत परिव्यय की इस सीमा तक अतिशयोक्ति हुई। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है लेकिन अभी तक सुधार नहीं किया गया है।

3.8 निधियाँ आहरित कर व्यक्तिगत बही (व्य.ब.) खातों में रखा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार कोषागार से राशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो।

लेखे के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों के जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष में वर्ष 2016-17 के लेन देन से संबद्ध वित्त लेखे और अभिश्रव स्तरीय कंप्यूटरीकरण आंकड़ों की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 31 मार्च 2017 तक राज्य में 155 व्यक्तिगत बही खाते थे।

2016-17 के दौरान, ₹5,217.97 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹8,406.87 करोड़ जोड़ा गया फलस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में ₹13,624.84 करोड़ का संचय हो गया। आगे, वर्ष के दौरान ₹4,136.44 करोड़ व्यय किया गया जिससे 2016-17 के अंत में व्य.ब.खातों में ₹9,488.40 करोड़ का शेष बचा रहा। व्य.ब.खातों में वर्षवार शेष के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.9: व्यक्तिगत बही खातों में निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2013-14	2,954.43	2,613.93	2,970.86	2,597.50
2014-15	2,597.50	5,155.09	4,422.64	3,329.95
2015-16	3,329.95	12,054.22	10,166.20	5,217.97
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40

तालिका 3.9 से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष व्य.ब.खातों में एक बड़ी राशि जोड़ी गयी जबकि वर्ष के दौरान किया गया व्यय काफी कम था जिससे अंतशेष में तीव्र वृद्धि हुई। इस प्रकार, समेकित निधि के बाहर सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे एक वृहत निधि सृजित की गयी जो बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रावधानों के विरुद्ध है। 2016-17 के अंत में राज्य सरकार का व्यय भी ₹9,488.40 करोड़ तक अधिक बताया गया।

व्य.ब.खातों के नमूना जाँच के लिए राँची जिले के तीन कोषागार (डोरण्डा, प्रोजेक्ट भवन एवं राँची) चयनित किए गए। इन कोषागारों में 60 व्य.ब. खाते परिचालित किये जाते हैं जिनमें से उन कोषागारों में शेष के परिमाण के आधार पर 14 व्य.ब. खाते नमूना जाँच के लिए चयनित किए गए। कोषागार अभिलेखों एवं संबंधित इकाइयों के व्य.ब.खातों के शेषों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि:

- झा.को.सं. नियम 334 के प्रावधानों के अनुसार, निक्षेप प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करेंगे। बिना व्यय के पड़ी धनराशि को दो लगातार वित्तीय वर्षों के बाद आगे व्यय नहीं करना चाहिए तथा शेष को संबंधित शीर्ष, जहाँ से धनराशि आहरित की गई थी, के व्यय में कटौती के रूप में स्थानांतरित की जानी चाहिए।

सात संस्थाओं⁴ के व्य.ब. खातों की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि ₹285.82 करोड़ तीन से लेकर आठ वर्षों से ज्यादा समय तक अप्रयुक्त रही और संबंधित संस्थाओं के प्रशासकों द्वारा 31 मार्च 2017 प्रत्यर्पित नहीं किये गये।

- झा.को.सं. नियम 343 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निधि के जमा शेष का निधि के प्रशासी प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंत में कोषागार अधिकारी एवं बैंक से समाशोधन किया जाएगा। कोषागार से अंतशेष के सत्यापन में तीन लगातार माह तक विफल रहने की स्थिति में, प्रशासक का कोई भी चेक उपायुक्त की विशेष अनुमति के बिना कोषागार पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि नमूना जाँच किये गए तीन संस्थाओं⁵ में, व्य.ब.खा. का शेष जैसा कि संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया संबंधित कोषागारों के

⁴ झारक्राफ्ट, जेडा, जिला परिषद राँची, जी.आर.डी.ए., जे.एस.एस.सी.डी.सी., आर.एम.सी राँची, जैप-आई.टी.

⁵ जेडा, आर.एम.सी. राँची एवं समेति

लेखे में दर्शाये गये शेष से अधिक था जबकि चार संस्थाओं में ये शेष कोषागारों में दर्शाये गये शेष से कम थे।

व्यक्तिगत बही खातों में बिना व्यय के पड़े शेष, जो न तो आवधिक रूप से समाशोधित किये गये और न ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में स्थानान्तरित किये गये, लोकधन के दुरुपयोग के जोखिम, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग को अपरिहार्य बनाते हैं।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को सभी व्य.ब. खातों की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन व्य. ब. खातों में पड़ी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। आगे, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है जो नियमों के अनुसरण में विफल रहते हैं।

3.9 लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्रविष्टि

प्राप्तियों या व्यय को लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज करना प्राप्तियों और व्यय के अस्पष्ट वर्गीकरण समझे जाते हैं क्योंकि ये शीर्ष योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि, जिससे राशियाँ संबद्ध होती हैं, को स्पष्ट नहीं करते। ये लघु शीर्ष उन प्राप्तियों/व्यय को सामान्यतः समायोजित कर लेते हैं जिन्हें उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अंतर्गत या बजट तैयारी के चरण में उपलब्ध कार्यक्रम लेखाशीर्षों के अधीन व्यय के गलत अभिनिर्धारण के कारण वर्गीकृत नहीं किये जा सकता।

2016-17 के दौरान, 14 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹1,139.59 करोड़ की राशि दर्ज की गयी जिसमें से सात मुख्य शीर्षों के अधीन ₹1,072.07 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹4,218.34 करोड़ के व्यय का 25.41 प्रतिशत) के समग्र व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज किए गए जैसा **परिशिष्ट 3.6** में इंगित है।

आगे की जाँच ने उजागर किया कि वृहत राशि वाले प्रमुख योजनाओं यथा अटल ग्राम ज्योति योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, तिलका माँझी कृषि पम्प योजना आदि पर उर्जा विभाग में ₹325.12 करोड़ तथा सिंचाई परियोजना के पुनरूद्धार, छोटानागपुर एवं संथाल परगना के अधीन चालू योजनाओं के निर्माण कार्य आदि पर जल संसाधन विभाग में ₹192.84 करोड़ "800- लघुशीर्ष" के अधीन कार्यान्वित किया गया।

इसी प्रकार, ₹1,335.62 करोड़ की राशि 47 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों" के अंतर्गत दर्ज किये गए जिनमें से 27 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹1,085.02 करोड़ की (इन शीर्षों में कुल ₹1,425.67 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 76.11 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामलों में कुल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से

ज्यादा) लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किये गये। 11 मुख्य शीर्षों की संपूर्ण प्राप्तियाँ इस बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष "800- अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में इंगित है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघुशीर्ष 800 में दर्ज सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में सभी ऐसी प्राप्तियाँ व व्यय उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं।

3.10 रोकड़ शेष में अंतर

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा परिकल्पित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित (31.03.2017 तक) राज्य सरकार के रोकड़ शेष के बीच ₹24.05 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा आँकड़ों के असमाशोधन के कारण है। ₹24.05 करोड़ (क्रेडिट) में से, अक्टूबर 1987 के पूर्व की अवधि से संबंधित ₹1.61 करोड़ राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निपटारा/अपलेखन हेतु चर्चा के अधीन है।

3.11 लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव

• प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष का प्रचालन तब किया जाता है जब प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा अन्य कारणों से एक अंतिम लेखाशीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे लेखाशीर्ष ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित किये जाते हैं जब उनके अंतर्गत राशियाँ उनसे संबद्ध अंतिम लेखाशीर्षों में दर्ज कर लिये जाते हैं। वर्ष के अंत में अनिष्पादित रह गयी उचंत राशियाँ सरकार के उस वर्ष के प्राप्त और व्यय के सही प्रतिबिंब को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। राज्य के उचंत शेषों की स्थिति तालिका 3.10 में इंगित हैं।

तालिका 3.10 : उचंत शीर्ष (8658) के अंतर्गत शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2014-15		2015-16		2016-17		सितम्बर 2017 को	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101 वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	11.47	---	19.10	---	46.06	24.77	17.90	0.00
निवल	डेबिट 11.47		डेबिट 19.10		डेबिट 21.29		डेबिट 17.90	
102 उचंत लेखा (सिविल)	1.10	0.00	6.72	5.76	160.19	11.59	58.78	0.00
निवल	डेबिट 1.10		डेबिट 0.96		डेबिट 148.60		डेबिट 58.78	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2016-17

इन शीर्षों के अंतर्गत शेषों के तात्पर्य नीचे बताये गये हैं:

- **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) उचंत**

इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो केन्द्र सरकार के भु.ले.का. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड द्वारा किए गए हैं, जिनकी वसूली किया जाना है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से भु.ले.का. द्वारा किये गए उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समायोजित किया जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल डेबिट शेष (₹21.29 करोड़) के समायोजन पर राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होगी।

- **उचंत लेखा (सिविल)**

यह लघु शीर्ष प्राप्तियों के लेखांकन के लिए क्रेडिट एवं व्यय के लिए डेबिट किया जाता है एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित किया जाता है। इस मद के निष्पादन पर रोकड़ शेष में कोई प्रभाव नहीं होता है।

3.12 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन

पूँजीगत खंड के अंतर्गत ₹11,935.23 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत ₹6,583.36 करोड़ के शेष सहित लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹7,443.90 करोड़ की राशि का शेष उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच, नवंबर 2000 से तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद, संविभाजन किया जाना बाकी है।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिम के अधीन शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।

3.13 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.4 (विगत वर्षों के सापेक्ष प्रावधान से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने पूर्व में ही चर्चा किया था तथा लो.ले.स. की अनुशंसा पर दिनांक 13.01.2014 को प्रावधान से आधिक्य व्यय राशि ₹8,120.63 करोड़ में से ₹8,120.12 करोड़ की राशि को विनियमित किया था। उस तिथि के बाद वर्ष 2016-17 तक प्रावधानों से किसी भी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में लो.ले.स. द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गयी है।

3.14 राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत प्रविष्टि/लेखांकन का प्रभाव राजस्व आधिक्य में ₹258.54 करोड़ के अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे में ₹154.70 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में

हुआ जैसा कि वित्त लेखे में दर्शाया गया है जो नीचे तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: लेखे के अनुसार राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत खंड के अधीन दर्ज सहायता अनुदान	105.00	0	0	0
पूँजीगत खंड के स्थान पर राजस्व खंड के अधीन दर्ज प्रमुख निर्माण	0	1.16	0	0
समेकित हास निधि में आंशिक योगदान	82.65	0	0	82.65
प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि में योगदान नहीं दिया जाना	0.79	0	0	0.79
ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा के अंतर्गत ब्याज जमा नहीं किया जाना	71.26	0	0	71.26
कुल	259.70	1.16	0	154.70
निवल प्रभाव	₹ 258.54 की अत्योक्ति		₹ 154.70 की न्यूनोक्ति	

तथापि, प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों में जैसी चर्चा की गयी है, व्यय और राजस्व की गलत प्रविष्टि/लेखांकन के प्रभाव जैसा लेखापरीक्षा द्वारा परिगणित किया गया की चर्चा निम्न तालिका 3.12 में की गयी है:


तालिका 3.12: लेखापरीक्षा के अनुसार राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		बकाया दायित्वों पर प्रभाव
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत खंड के अधीन दर्ज सहायता अनुदान	105.00	0	0	0	0
पूँजीगत खंड के स्थान पर राजस्व खंड के अधीन दर्ज प्रमुख निर्माण	0	1.16	0	0	0
वेतन, रखरखाव, कार्यालय व्यय और यात्रा भत्ता इत्यादि पर व्यय को राजस्व खंड के स्थान पर पूँजीगत खंड के अधीन दर्ज किया गया	583.79	0	0	0	0
बोर्ड को श्रम सेस का अंतरण नहीं किया जाना	312.90	0	0	312.90	312.90
सिंकिंग फंड में हस्तांतरण नहीं किया गया	282.65	0	0	282.65	282.65
ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा के अंतर्गत ब्याज क्रेडिट नहीं किया जाना	75.64	0	0	75.64	75.64
प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि में अंशदान नहीं किया जाना	0.79	0	0	0.79	0.79
कुल	1,360.77	1.16	0	671.98	671.98
निवल प्रभाव	₹ 1,359.61 की अत्योक्ति		₹ 671.98 की न्यूनोक्ति		

उपरोक्त को देखते हुए, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो ₹ 1,964.89 करोड़ एवं ₹ 10,192.38 करोड़ है जैसा कि वित्त लेखे में अनुमानित था, राजस्व आधिक्य के ₹1,359.61 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे के ₹ 671.98 करोड़ की न्यूनोक्ति के कारण वास्तव में क्रमशः ₹ 605.28 करोड़ और ₹ 10,864.36 करोड़ होगा जैसा कि तालिका 3.12 में दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि राज्य के दायित्व की ₹ 671.98 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

राँची
दिनांक



(सी. नेडुन्वेलियन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग - क

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

झारखण्ड की रूपरेखा						
क. सामान्य आंकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आंकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	(क)	2001 की जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़	
	(ख)	2010-11			3.30 करोड़	
3	(क)	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	(ख)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) ² (अखिल भारतीय अनुपात = 21.9 %)				36.9 प्रतिशत	
5	(क)	साक्षरता ³ (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 %)			44 प्रतिशत	
	(ख)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 73 %)			66.4 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ 2015 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)				32	
7	गिनी गुणांक ⁵					
	(क)	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)			0.24	
	(ख)	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)			0.36	
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्यों पर 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 2,53,536 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17)		झारखण्ड	11.5 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी राज्य	13.2 प्रतिशत		
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17) ⁶		झारखण्ड	13.1 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी राज्य	14.6 प्रतिशत		
11	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2007-08 से 2016-17)		झारखण्ड	13.0 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी राज्य	11.9 प्रतिशत		
ख. वित्तीय आंकड़ा ¹						
क्र.सं.	विवरण		आंकड़ा (प्रतिशत में)			
			2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
	सी.ए.जी.आर.					
1.	क.	राजस्व प्राप्तियों का	14.58	16.44	11.52	15.79
2.	ख.	कर राजस्व का	14.80	16.11	13.50	15.87
3.	ग.	गैर कर राजस्व का	9.45	17.59	12.10	-8.58
4.	घ.	कुल व्यय का	15.84	17.86	15.31	9.76
5.	ड.	कुल पूँजीगत व्यय का	14.53	15.46	17.91	33.12
6.	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	14.29	9.86	21.25
7.	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	21.26	14.92	7.36
8.	ज.	वेतन एवं मजदूरी का	14.89	13.50	13.06	8.63
9.	झ.	पेंशन का	17.17	21.91	10.63	3.63

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 के अंतिम कुल जनसंख्या

² आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2016-17 (अगस्त 2017), भाग. II, पृष्ठ ए 154

³ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2016-17 (अगस्त 2017), भाग. II, पृष्ठ ए 149

⁴ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2016-17 (अगस्त 2017), भाग. II, पृष्ठ ए 156

⁵ <http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data2312/DatabookDec2014%20106.pdf>

⁶ संख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा 01 अगस्त 2017 को जारी स.रा.घ.उ. विवरण में, वर्ष 2016-17 के आंकड़े के संबंध में, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर (बजट भाषण 2017-18), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से संबंधित वर्ष 2016-17 के आंकड़े संगत महालेखाकार कार्यालयों से प्राप्त किए गए हैं।

⁷ केंद्र एवं राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानन पर तकनीकी समूह का प्रतिवेदन तालिका-14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार अनुमानित कुल जनसंख्या)

परिशिष्ट 1.1 भाग - ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ: कडिका 1.1; पृष्ठ 1)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपन्न जारी कर एकत्रित ऋण, आंतरिक व वाह्य कर्ज और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी राशियाँ एक संचित निधि गठित करेंगी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" होगी।

भाग - 2: आकस्मिकता निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट की तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर-अनुमानित खर्चों को कर सके जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों को विधानमण्डल से अनुमोदन और बराबर राशि संचित निधि से निकाला जाता है जबकि आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग - 3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

भाग - ग : वित्त लेखे का अभिन्यास

विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसम्पतियों एवं दायित्वों के संचयी आंकड़ों को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ सरकार की भौतिक परिसम्पतियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आंकड़ों सहित वित्तीय सम्पतियाँ हैं। लेखांकन नीति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती हैं।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग - संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार के उधार जो भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से ऋण, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋण अग्रिमों के सापेक्ष पुनर्भुगतान से मिलकर बना है, शामिल है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण-1 में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के गुप के अनुसार) जिसे विवरणी-1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गारंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा आयोजित सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं. 12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं. 13	संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित शेष का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 15	यह योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग अलग लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय के लेखाओं को दर्शाता है।
विवरणी सं. 16	वर्ष 2016-17 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 17	यह लघु शीर्षों के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।
विवरणी सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2017 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 19	वर्ष 2016-17 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त, स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निकाय, सरकारी कम्पनियाँ, निकाय एवं अन्य संस्थाओं के ऋण इत्यादि के लिए पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली
(संदर्भ: कंडिका 1.10.2; पृष्ठ 34)

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता गुणक को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)*2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)*2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति-विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्ति घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्ति

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 9 एवं 30)

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग - क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	24,770(83)	26,137(85)	31,565(83)	40,638(75)	47,054(87)
(i) कर राजस्व	8,224(33)	9,380(36)	10,350(33)	11,479(28)	13,299(28)
कृषि आय पर कर	-	-	-		
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,422(78)	7,305(78)	8,070(78)	8,999(78)	10,549(80)
राजस्व उत्पाद	578(7)	628(7)	740(7)	912(8)	962(7)
वाहनों पर कर	465(6)	495(5)	660(6)	633(6)	682(5)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	492(6)	502(5)	531(5)	532(5)	607(5)
भू-राजस्व	96(1)	230(3)	84(1)	164(1)	240(2)
माल एवं यात्रियों पर कर	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)
अन्य कर	170(2)	219(2)	264(3)	238(2)	259(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	3,536(14)	3,753(14)	4,335(14)	5,853(14)	5,351(11)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	8,188(33)	8,939(34)	9,487(30)	15,969(39)	19,142(41)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4,822(20)	4,065(16)	7,393(23)	7,337(18)	9,262(20)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	43	23	33	31	39
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	24,813	26,160	31,598	40,669	47,093
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,199(17)	4,703(15)	6,690(17)	13,245(25)	7,081(13)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,591	4,281	6,537	13,080	6,847
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	369	316	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	239	106	153	165	234
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	30,012	30,863	38,288	53,914	54,174
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,495	14,275	20,189	29,037	22,052
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	44,507	45,138	58,477	82,951	76,226
भाग - ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	23,400(83)	23,472(82)	31,795(83)	36,553(70)	45,089(79)
योजना	7,743(33)	6,288(27)	12,436(39)	15,793	22,194
गैर योजना	15,657(67)	17,184(73)	19,359(61)	20,760	22,895
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	8,696(37)	9,960(42)	10,624(33)	12,002	13,024
सामाजिक सेवाएँ	8,309(36)	8,215(35)	11,915(37)	14,844	18,557
आर्थिक सेवाएँ	6,395(27)	5,297(23)	9,256(29)	9,707	13,508
सहायता अनुदान एवं अंश दान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	4,218(15)	4,722(17)	5,543(15)	8,159(16)	10,861(19)
योजना	4,151(98)	4,706(100)	5,520(100)	8087	10,814
गैर योजना	67(2)	16(0)	23(0)	72	47
सामान्य सेवाएँ	176(4)	168(3)	326(6)	571	590

सामाजिक सेवाएँ	1,030(25)	924(20)	910(16)	1024	1,532
आर्थिक सेवाएँ	3,012(71)	3,630(77)	4,307(78)	6,564	8,739
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	601(2)	222(1)	824(2)	7,480⁸ (14)	1,335(2)
13. कुल (10+11+12)	28,219	28,416	38,162	52,192	57,285
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,183	1,997	1,880	2,246	2,078
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,525(70)	1,542(77)	1,722(92)	2,079(93)	1,920
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	520(24)	316(16)	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	138(6)	139(7)	158(8)	167(7)	158
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	30,402	30,413	40,042	54,438	59,363
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	-	-	-	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	13,417	14,094	19,277	27,053	16,820
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	43,819	44,507	59,319	81,491	76,183
भाग - ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+)(1-10)	(+)1,370	(+)2,665	(-)230	(+)4,085	(+)1,965
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+)(4-13)	(-)3,406	(-)2,256	(-)6,564	(-)11,523⁹	(-)10,192
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+)(21-23)	(-)1,015	(+)358	(-)3,635	(-)8,203	(-)6,020
भाग - घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2,391	2,614	2,929	3,320	4,172
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	6,950	6,422	12,404	14,891	20,332
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	13	8	0	0	3
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	13	8	0	0	3
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.32	0.21	0	0	0
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	1,74,724	1,88,567	2,18,525	2,31,294	2,53,536
27 (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	1,63,250	1,65,816	1,86,534	1,97,536	2,12,721
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	34,869	37,594	43,569	56,530	66,827
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157	157	157	157	157
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157	157	157	157	157
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	189	328	402	195	280
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	1,972	760	1,824	2,089	4,778
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.वर्तमान मूल्य पर	4.7	5.0	4.8	4.7	5.2
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ. स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	5.0	5.7	6.2	6.2	6.3
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	2.0	2.0	2.0	2.4	2.1

⁸ इस ऋण में राज्य द्वारा उदय बॉण्ड पर लिए गये ₹ 5,553 करोड़ का ऋण भी शामिल है।

⁹ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा की राशि कम हो जायेगी।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	2.2	2.3	2.6	3.1	2.5
केंद्रीय अंतरण/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	7.4	6.9	7.8	9.6	7.6
केंद्रीय अंतरण/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	8.0	7.8	10.2	12.5	13.4
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	16.2	15.1	17.6	21.6	22.6
कुल व्यय/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	17.3	17.1	23.0	28.0	26.9
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	113.9	108.7	120.9	128.4	121.7
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.9	82.6	83.3	70.0	78.7
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	33.2	32.2	33.7	30.49	35.2
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	35.3	32.1	37.6	45.33	41.0
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.9	16.6	14.5	15.6	19.0
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.3	16.0	13.7	14.5	17.9
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	(+)0.9	(+)0.8	(+)1.4	(-)0.1	(+)0.8
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	(+)0.8	(+)1.6	(-)0.1	(+)2.2	(+)0.9
राजकोषीय घाटा/ स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	(-)1.9	(-)1.2	(-)3.0	(-)4.8 ¹⁰	(-)4.0
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	(-)2.1	(-)1.4	(-)4.0	(-)6.2	(-)4.79
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	(-)0.6	(+)0.2	(-)1.7	(-)3.4	(-)2.4
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	(-)0.6	(+)0.2	(-)2.2	(-)4.4	(-)2.8
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(+)40.2	(+)118.1	(-)3.5	(-)35.5	(-)19.3
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	2.2	2.8	1.2	3.1	2.4
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	2.3	3.2	1.4	3.7	2.9
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	20.0	19.9	20.1	23.4	26.4
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	21.4	22.7	26.3	30.3	31.4
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	140.8	143.8	138.03	139.1	142.0
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)1,584	(+)605	(-)658	(-)6,107	(-)7,138
ऋण निर्माचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	15.00	18	शून्य	0.47	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	5,782	6,208	6,593	14,226	19,773
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	98	100	103	109	111

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आंकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये।

(http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijs=3&menu_id=82)

¹⁰ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा से स.रा.घ.उ. प्रतिशतता 2.5 प्रतिशत होगी।

परिशिष्ट 1.4 भाग - क
वर्ष 2016-17 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17	2015-16		गैर योजना	योजना	कुल	2016-17
अनुभाग क: राजस्व								
40,638.35	I. राजस्व प्राप्तियाँ	47,053.93	36,552.83	I. राजस्व व्यय	22,895.38	22,193.66	45,089.04	45,089.04
11,478.95	कर राजस्व	13,299.25	12,002.43	सामान्य सेवाएँ	12,742.66	281.10	13,023.76	
			14,843.81	सामाजिक सेवाएँ	6,042.46	12,514.91	18,557.37	
5,853.01	कर-भिन्न राजस्व	5,351.42	6,542.46	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3,942.32	4,035.51	7,977.83	
			1,833.38	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	897.91	1,069.78	1,967.69	
15,968.75	संघीय करों में राज्य के हिस्से	19,141.92	2,389.61	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	446.4	3,657.5	4,103.9	
			100.83	सूचना एवं प्रसारण	85.91	46.19	132.1	
1,685.82	गैर-योजना अनुदान	1,875.29	1,168.55	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	107.39	1,204.55	1,311.94	
4,950.18	राज्य योजना हेतु अनुदान	6,792.89	112.83	श्रम एवं श्रम कल्याण	52.74	78.65	131.39	
			2,671.85	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	482.63	2,422.73	2,905.36	
701.64	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	593.16	24.30	अन्य	27.16	0	27.16	
			9,706.59	आर्थिक सेवाएँ	4,110.26	9,397.65	13,507.91	
			1,474.85	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	489.05	1,717.13	2,206.18	
			4,172.79	ग्रामीण विकास	1,701.29	5,545.66	7,246.95	
			0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
			320.30	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	315.79	6.97	322.76	
			2,204.44	उर्जा	1,200	554.63	1,754.63	
			321.48	उद्योग एवं खनिज	52.61	264.28	316.89	
			347.97	परिवहन	261.9	183.69	445.59	
			0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	
			864.76	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	89.62	1,125.29	1,214.91	
			0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	
			36,552.83	कुल	22,895.38	22,193.66	45,089.04	
0	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा	0	4,085.50	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य/घाटा				1,964.90
40,638.35	कुल	47,053.93	40,638.35	कुल				47,053.93

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुभाग ख									
444.21	III.आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		1904.72	0	III.रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट				0
	IV.विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			8,158.51	IV. पूँजीगत परिव्यय	47.05	10,813.63	10,860.68	10,860.68
				571.36	सामान्य सेवाएँ	45.41	544.2	589.61	
				1,023.41	सामाजिक सेवाएँ	1.64	1,530.38	1,532.02	
				103.39	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0	253.5	253.50	
				339.87	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	511.55	511.55	
				247.02	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1.64	353.08	354.72	
				0.55	सूचना एवं प्रसारण	0	8.85	8.85	
				234.38	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	264.04	264.04	
				88.8	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0	116.96	116.96	
				9.4	अन्य	0	22.40	22.40	
				6,563.74	आर्थिक सेवाएँ	0	8,739.05	8,739.05	
				114.65	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	569.31	569.31	
				1,751.54	ग्रामीण विकास	0	2,074.57	2,074.57	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				1,156.94	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1,510.91	1,510.91	
				0	उर्जा	0	0	0.00	
				1	उद्योग एवं खनिज	0	5.00	5.00	
				3,476.19	परिवहन	0	4,504.99	4,504.99	
				63.42	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0	74.27	74.27	
				6,563.74	कुल	0	8,739.05	8,739.05	
31.06	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	38.46	38.46	7,480.00	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	77.14	1,257.92	1,335.06	1,335.06
0	विद्युत परियोजना से	0		7,375.42	विद्युत परियोजना को	0	1,228.51	1,228.51	
30.34	सरकारी सेवकों से	37.20		49.64	सरकारी सेवकों को	52.46	0	52.46	
0.72	अन्य से	1.26		54.94	अन्य को	24.68	29.41	54.09	
4,085.52	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1,964.89	0	VI.नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0	0	0	0
13,244.65	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		7,081.42	2,245.93	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान				2,077.88
	बाह्य ऋण	0		2,079.42	बाह्य ऋण				
13,079.63	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	6,847.13		1,721.71	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1,920.39	

0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन			0	
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन			0	
165.02	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	234.29		166.51	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भूगतान			157.49	
	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				
	IX आकस्मिकता निधि से राशि का स्थानांतरण				IX आकस्मिकता निधि से व्यय				
29,036.72	X लोक लेखा प्राप्ति		22,051.80	27,053.00	X लोक लेखा संवितरण				16,819.82
830.1	लघु बचत एवं भविष्य निधि	872.60		988.95	लघु बचत एवं भविष्य निधि			994.11	
521.68	रक्षित निधि	452.88		512.01	रक्षित निधि			70.13	
161.25	उचन्त एवं विविध	300.58		140.23	उचन्त एवं विविध			330.96	
8,025.01	प्रेषण	9,280.63		8,024.29	प्रेषण			9,310.76	
19,498.68	जमा एवं अग्रिम	11,145.11		17,387.52	जमा एवं अग्रिम			6,113.86	
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0		0	अन्तर्राज्यीय समायोजन			0	
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			1,904.72	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			1,947.85	1,947.85
				0	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0	
				-203.93	रिजर्व बैंक में जमा			502.26	
				6.41	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			6.50	
				0	चिन्हित निधि का निवेश			0	
				2,102.24	रोकड़ शेष का निवेश			1,439.09	
87,480.51	कुल		80,095.22	87,480.51	कुल				80,095.22

परिशिष्ट 1.4 भाग - ख
31 मार्च 2017 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.16 को	दायित्व	31.03.17 को
43,755.57	आन्तरिक ऋण	48,682.31
23,554.73	ब्याज वाले बाजार ऋण	28,280.21
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
9,632.51	अन्य संस्थाओं से ऋण	10,566.90
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
10,561.96	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9,828.83
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2,085.49	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,162.28
0	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	0
21.39	गैर योजना ऋण	19.37
2,064.10	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2,142.91
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1,197.17	लघु बचत भविष्य निधि	1,075.67
8,615.79	जमा	13,647.49
876.46	रक्षित निधि	1,259.21
0	अंतरण शेष	0
122.45	उचंत एवं विविध शेष	92.07
5,138.36	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	7,103.25
69,518.75	कुल	74,522.28
	सम्पत्ति	
44,173.30	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	55,033.98
171.99	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	183.11
44,001.31	अन्य पूँजीगत परिव्यय	54,850.87
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
16,186.10	ऋण एवं अग्रिम	17,482.71
15,455.02	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	16,683.53
736.65	अन्य विकास ऋण	789.48
(-)5.57	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	9.70
4.50	अग्रिम	4.94
0	उचंत एवं विविध शेष	0
1,904.72	नगद	1,947.85
0	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0
(-)203.93	रिजर्व बैंक में जमा	502.26
0	जमा निधि का निवेश	0
6.41	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	6.50
2,102.24	नगद शेष निवेश	1,439.09
22.67	प्रेषण शेष	52.80

0	सरकारी लेखे में घाटा		0
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य		
62,291.29	कुल		74,522.28

निगम के लेखाओं में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखा में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग - ख** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतेय या प्राप्त योग्य मर्दे या भण्डार आंकड़ों में विचलन या हास वाली मर्दे, इत्यादि, लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक, अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है।

परिशिष्ट 1.5 भाग - क

**74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 22)**

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.5 भाग - ख

73^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.2; पृष्ठ 22)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	आंशिक
2	भू-सुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विक्रिप्तों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषतः अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसंपत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या अधिक की भी बचत हुई
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
1	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,449.78	526.05	36.28
2	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	292.83	95.59	32.64
3	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	55.37	11.83	21.37
4	12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	62.40	19.47	31.20
5	17	वाणिज्यकर विभाग	71.46	19.48	27.26
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,515.53	394.96	26.06
7	19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	624.34	128.31	20.55
8	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,664.64	707.26	26.54
9	23	उद्योग विभाग	445.65	153.01	34.33
10	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	281.43	110.77	39.36
11	29	खनन एवं भू-तत्व विभाग	49.55	20.48	41.33
12	33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	36.08	10.67	29.57
13	35	योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	365.68	95.56	26.13
14	39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,295.30	769.89	59.44
15	40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	525.56	161.12	30.66
16	41	पथ निर्माण विभाग	307.42	78.74	25.61
17	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4,723.25	1,253.45	26.54
18	45	सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेन्स विभाग	157.62	33.94	21.53
19	46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	49.81	10.88	21.84
20	48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,449.57	691.75	20.05
21	49	जल संसाधन विभाग	398.64	132.76	33.30
22	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	95.21	31.88	33.48
23	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,914.64	598.47	31.26
24	52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	101.88	27.60	27.09
25	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	79.91	21.10	26.40
26	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	321.84	100.44	31.21
27	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,714.57	512.40	29.89
28	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6,793.64	1,358.90	20.00
29	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,178.56	763.88	24.03

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
पूँजीगत					
30	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	551.76	116.36	21.09
31	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	74.42	62.39	83.83
32	3	भवन निर्माण विभाग	573.62	131.99	23.01
33	9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	48.53	34.01	70.08
34	10	ऊर्जा विभाग	1,543.25	314.49	20.38
35	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	30.00	20.00	66.67
36	12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	74.40	21.94	29.49
37	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	733.07	221.52	30.22
38	22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	253.35	64.50	25.46
39	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	46.82	22.55	48.16
40	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	115.30	34.28	29.73
41	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	291.75	70.78	24.26
42	49	जल संसाधन विभाग	1,510.87	389.76	25.80
43	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	613.46	223.66	36.46
44	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	236.32	53.30	22.55
45	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	89.77	38.71	43.12
46	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	265.10	148.14	55.88
कुल (राजस्व + पूँजीगत)			40,073.96	10,809.02	26.97

परिशिष्ट 2.2

**उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2016-17 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ व उससे ज्यादा) हुई
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 41)**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	4402-00-796-01	202.05	33.65	कारण नहीं बताये गये हैं।
2		4402-00-796-02	120.00	34.34	कारण नहीं बताये गये हैं।
3		2401-00-796-AF	60.00	22.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
4		2415-80-796-04	74.66	23.65	निधि की मांग नहीं।
5		2401-00-796-A0	33.60	31.21	i) भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना। (₹39.00 लाख) (ii) भारत सरकार द्वारा व्यय की कम सिफारिश (₹395.00 लाख) (iii) कारण नहीं बताये गये हैं। (₹26,86.40 लाख)
6		2401-00-796-A1	25.80	25.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
7		2401-00-796-A0	22.20	20.60	i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय के लिए समकक्ष निधि का आवंटन नहीं होना। (₹326.45 लाख) (ii) भारत सरकार द्वारा कम आवंटन (₹18.00 लाख) (iii) कारण नहीं बताये गये हैं। (₹1,716.00 लाख)
8	3. भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-58	94.12	29.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
9		4059-01-051-39	36.53	36.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
10		4216-01-700-14	30.00	18.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
11	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-07	195.07	27.41	कारण नहीं बताये गये हैं।
12	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-800-37	414.16	67.83	आर्थिक उपाय
13		6801-00-796-37	173.68	28.45	आर्थिक उपाय
14		6801-00-201-24	80.00	80.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
15		6801-00-202-01	75.00	75.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
16		2810-00-796-02	67.50	44.17	बिल का पास नहीं होना
17		2810-00-101-02	45.00	29.45	बिल का पास नहीं होना
18		2810-00-789-02	37.50	24.54	बिल का पास नहीं होना
19		6801-00-800-34	31.00	31.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
20		2801-80-800-08	55.02	50.04	आर्थिक उपाय
21		13-ब्याज संदाय	2049-01-200-02	385.00	109.62
22	2049-01-200-14		250.00	250.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
23	2049-03-104-01		250.00	26.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
24	2049-04-109-01		104.00	25.28	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
25	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-08	80.00	32.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
26		2049-01-200-11	74.00	20.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
27	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	200.00	200.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
28		6004-02-105-01	125.95	20.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
29		6003-00-109-01	100.00	20.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
30		6004-02-101-01	78.81	28.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
31	15-पेंशन	2071-01-104-04	550.00	135.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
32		2071-01-115-03	400.00	89.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
33		2071-01-117-03	350.00	60.56	कारण नहीं बताये गये हैं।
34		2071-01-102-04	300.00	164.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
35		2071-01-101-09	50.00	36.35	कारण नहीं बताये गये हैं।
36		2071-01-115-02	50.00	23.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
37		2071-01-101-05	25.00	20.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
38	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-47	115.00	21.31	चीनी की आपूर्ति समय पर नहीं।
39		3456-00-796-45	65.00	65.00	योजना की अस्वीकृति
40		3456-00-102-45	60.00	60.00	योजना की अस्वीकृति
41		3456-00-789-45	25.00	25.00	योजना की अस्वीकृति
42	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	189.63	25.56	कारण नहीं बताये गये हैं।
43		2210-03-103-03	110.05	33.57	(i)निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹16.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹17.57 करोड़)
44		2210-01-102-54	70.00	70.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
45		2210-01-789-54	70.00	70.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
46		2210-01-796-54	60.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
47		2210-01-109-40	58.70	58.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
48		4210-01-110-30	50.00	20.95	निधि का अत्यधिक प्रावधान
49		2210-01-103-56	37.00	37.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
50		2210-01-110-55	30.00	30.00	योजना की अस्वीकृति
51		2210-01-110-57	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
52		2210-01-103-56	26.00	26.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
53		2210-01-103-45	25.00	25.00	निधि का अंतरण
54		4210-01-796-35	20.00	20.00	योजना की अस्वीकृति
55	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-04	222.89	32.22	मांग की अप्राप्ति
56		2202-03-102-02	102.80	35.17	मांग की अप्राप्ति
57	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग(गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	243.62	67.66	कारण नहीं बताये गये हैं।
58	23-उद्योग विभाग	2852-80-796-05	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
59	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-03-003-51	25.00	25.00	भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना।
60		2230-03-796-51	25.00	25.00	भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
61	27 विधि विभाग	2014-00-105-01	261.48	30.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
62	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-25	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
63	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-796-11	160.61	73.38	कारण नहीं बताये गये हैं।
64		2215-01-102-10	134.82	69.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
65		4215-01-102-02	129.22	32.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
66		4215-01-789-02	51.95	29.37	कारण नहीं बताये गये हैं।
67	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-80-800-17	540.00	540.00	निधि की मांग नहीं
68		2245-02-113-02	35.00	33.64	निधि की मांग नहीं
69		2245-01-101-02	30.00	30.00	निधि की मांग नहीं
70		2245-01-102-04	28.19	24.11	निधि की मांग नहीं(₹23.18 करोड़) कारण नहीं बताये गये हैं (₹0.93 करोड़)
71		2245-01-101-07	22.00	21.77	निधि की मांग नहीं
72		2245-01-282-01	20.00	20.00	निधि की मांग नहीं
73	40-राजस्व,भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-104-01	211.27	28.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
74		2029-00-103-01	74.74	73.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
75	41-पथ निर्माण विभाग	3054-03-337-01	150.00	34.19	कारण नहीं बताये गये हैं।
76		3054-01-337-01	30.00	29.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
77	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-02-101-04	934.92	253.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
78		2505-02-796-04	686.88	186.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
79		2505-02-789-04	286.20	77.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
80		2505-02-101-04	231.11	65.62	कारण नहीं बताये गये हैं।
81		2515-00-102-10	203.43	25.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
82		4515-00-796-40	190.08	33.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
83		2505-02-796-04	169.80	48.21	कारण नहीं बताये गये हैं।
84		2505-01-796-02	166.32	166.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
85		2501-06-800-05	88.20	29.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
86		2505-02-789-04	70.75	20.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
87		2501-06-796-05	64.80	21.85	कारण नहीं बताये गये हैं।
88		2501-02-101-07	49.00	39.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
89		2501-02-101-04	42.37	22.21	कारण नहीं बताये गये हैं।
90		2501-06-101-14	40.70	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
91		2501-02-796-07	36.00	28.80	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
92	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-796-70	162.00	70.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
93		2217-80-191-81	158.93	108.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
94		2217-80-796-75	146.00	54.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
95		2217-80-191-68	97.00	41.39	(i)निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹20.52 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹20.87 करोड़)
96		2215-01-796-01	88.00	33.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
97		2217-80-192-82	61.22	30.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
98		2217-80-191-75	48.00	48.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
99		2217-80-193-83	34.27	25.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
100		2217-80-789-89	33.54	22.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
101		2217-80-191-65	32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
102		2217-80-191-70	32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
103		2217-80-796-67	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
104		2217-80-191-67	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
105		49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	185.29	56.99
106	2701-03-001-07		111.17	36.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
107	2701-03-001-06		69.91	26.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
108	4700-80-789-12		65.00	65.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
109	4701-80-800-71		45.00	37.01	कारण नहीं बताये गये हैं।
110	4701-80-796-62		37.00	26.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
111	4711-01-796-58		35.00	33.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
112	4701-80-796-63		20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
113	4701-80-800-65		20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
114	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-101-18	121.00	36.21	(i)बजट प्रावधान पर लगाए गए 15 प्रतिशत प्रतिबंध (₹35.25 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹0.96 करोड़)
115		2702-02-005-01	95.21	31.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
116		4702-00-101-19	53.00	45.71	कारण नहीं बताये गये हैं।
117		4702-00-796-35	36.11	33.83	कारण नहीं बताये गये हैं।
118		4702-00-796-19	35.00	27.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
119	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-03-796-23	139.00	50.52	छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं
120		2225-03-277-12	127.56	29.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
121		2225-02-796-59	115.00	23.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
122		2225-02-796-28	101.00	101.00	छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं
123		2225-02-277-04	83.98	26.83	कारण नहीं बताये गये हैं।
124		2225-01-789-59	58.00	23.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
125		2225-02-796-11	41.50	24.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
126		2225-02-796-89	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
127		2225-02-796-90	26.00	26.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
128		2225-02-277-65	24.50	24.46	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
129	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-102-41	1,131.00	38.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
130		2515-00-001-28	125.00	53.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
131	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	154.33	31.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
132		2515-00-198-45	118.57	118.57	मंत्रालय से निधि की अप्राप्ति
133		2515-00-796-30	71.50	36.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
134	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	559.91	279.46	कारण नहीं बताये गये हैं।
135		2202-02-109-35	37.50	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
136		2202-02-109-45	24.57	22.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
137		2202-02-109-36 (सी.एस.एस)	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
138		2202-02-109-36	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
139	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01	2,793.90	409.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
140		2202-01-111-25	262.00	26.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
141		2202-01-102-02	253.82	81.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
142		2202-01-796-25 (सी.एस.एस)	332.00	211.56	कारण नहीं बताये गये हैं।
143		2202-01-796-55	128.87	32.22	कारण नहीं बताये गये हैं।
144		2202-01-101-55	119.88	29.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
145		2202-01-789-25	192.30	98.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
146		2202-01-796-25	277.90	33.43	कारण नहीं बताये गये हैं।
147	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-111-25	525.20	254.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
148		2202-01-104-01	67.13	24.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
149	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2236-02-796-02 (सी.एस.एस)	180.38	80.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
150		2236-02-796-02	180.38	35.04	भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना।
151		2236-02-101-02 (सी.एस.एस)	154.08	69.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
152		2236-02-101-02	154.08	31.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
153		4235-02-796-73 (सी.एस.एस)	76.00	44.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
154		4235-02-103-73 (सी.एस.एस)	70.16	41.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
155		4235-02-796-73	50.66	29.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
156		4235-02-103-73	46.78	27.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			22,867.27	8,661.12	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ व अधिक के बचत की विवरणी जो अभ्यर्पित नहीं किये गये
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	526.05	519.13	6.92
2	15-पेंशन	654.38	0.00	654.38
3	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	128.31	89.75	38.56
4	41-पथ निर्माण विभाग	78.74	52.71	26.03
5	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	1,253.45	1,110.80	142.65
6	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	598.47	378.77	219.70
7	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	223.31	222.05	1.26
8	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	1,358.90	910.40	448.50
पूँजीगत				
9	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	34.01	23.21	10.80
10	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	34.28	24.82	9.46
11	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	35.43	32.22	3.21
12	49-जल संसाधन विभाग	389.76	361.31	28.45
13	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	53.30	13.70	39.60
कुल		5,368.39	3,738.87	1,629.52

परिशिष्ट 2.4

₹10 करोड़ से अधिक की निधि के 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पण के मामले
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-AI	12.90
2		2401-00-796-67	12.00
3		2401-00-796-AI	25.80
4	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	4403-00-796-06	18.00
5	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	36.53
6		4059-01-796-39	18.26
7	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-07	27.41
8	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-796-10	10.00
9		2801-80-800-09	10.00
10		6801-00-201-24	80.00
11		6801-00-202-01	75.00
12		6801-00-796-34	13.00
13		6801-00-800-34	31.00
14	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-796-05	15.00
15	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	200.00
16	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-45	60.00
17		3456-00-789-45	25.00
18		3456-00-796-45	65.00
19	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	70.00
20		2210-01-103-56 (सी.एस.एस)	37.00
21		2210-01-103-56	26.00
22		2210-01-109-40 (सी.एस.एस)	58.70
23		2210-01-109-40	11.65
24		2210-01-110-25	12.00
25		2210-01-110-55	30.00
26		2210-01-110-57	30.00
27		2210-01-789-54	70.00
28		2210-01-796-54	60.00
29		2210-01-796-56 (सी.एस.एस)	16.00
30		2210-01-796-56	10.00
31		4210-01-110-33	10.00
32		4210-01-110-36	10.00
33	4210-01-110-37	10.00	
34	4210-01-796-35	20.00	
35	4210-01-796-37	10.00	
36	4210-03-105-07	10.00	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
37		4055-00-207-43	18.73
38	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-43	12.49
39		2852-80-102-05	10.00
40	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-07	15.00
41		2852-80-796-05	25.00
42	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-25	50.00
43		2245-01-101-01	13.00
44	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-02	30.00
45		2245-80-800-17	540.00
46		4700-80-789-12	65.00
47	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-800-12	10.00
48		4701-80-796-63	20.00
49		4701-80-800-65	20.00
50	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-28	101.00
51		2225-02-796-89	10.00
52	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-101-68	11.56
53	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-198-45	118.57
54		2202-02-109-36 (सी.एस.एस)	20.00
55	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-36	20.00
56		2202-02-796-36 (सी.एस.एस)	13.20
57		2202-02-796-36	13.20
58		4235-02-103-73 (सी.एस.एस)	41.36
59	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4235-02-103-73	27.58
60		4235-02-796-73 (सी.एस.एस)	44.80
61		4235-02-796-73	29.86
सकल योग			2,516.60

परिशिष्ट 2.5

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता
(संदर्भ: कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 45)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
2013-14	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज संदाय	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
कुल			2,739.12

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

* आधिक्य राशि केवल ₹8,807 थी।

@ आधिक्य राशि केवल ₹1,072 थी।

\$ आधिक्य राशि केवल ₹81,665 थी।

^ आधिक्य राशि केवल ₹11,160 थी।

परिशिष्ट 2.6
मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,247.08	923.73	323.35	202.70
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	258.04	197.24	60.80	34.79
3	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	57.81	42.93	14.88	4.59
4	17- वाणिज्य कर विभाग	66.69	51.98	14.71	4.77
5	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,338.10	1,120.57	217.53	177.43
6	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	598.31	496.04	102.27	26.03
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,404.57	1,957.38	447.19	260.07
8	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	3,549.93	3,279.70	270.23	72.91
9	23- उद्योग विभाग	398.23	292.64	105.59	47.42
10	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	253.07	170.66	82.41	28.36
11	32- विधान मंडल	68.24	65.69	2.55	2.84
12	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	30.76	25.41	5.35	5.32
13	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	644.53	525.41	119.12	650.77
14	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	508.56	364.44	144.12	16.99
15	41- पथ निर्माण विभाग	291.96	228.69	63.27	15.46
16	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4,385.46	3,469.80	915.66	337.79
17	45-यूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेंस विभाग	148.35	123.68	24.67	9.27
18	46-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	47.19	38.93	8.26	2.63
19	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,617.75	1,316.17	301.58	296.89
20	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	96.36	74.28	22.08	5.52
21	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	303.70	221.40	82.30	18.14
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,623.50	1,202.17	421.33	91.07
23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6,589.29	5,434.74	1,154.55	204.35
24	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,156.94	2,414.68	742.26	21.62

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
पूँजीगत (दत्तमत)					
25	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	70.20	12.03	58.17	4.22
26	3- भवन निर्माण विभाग	463.05	441.63	21.42	110.57
27	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	15.00	10.00	5.00	15.00
28	17- वाणिज्य कर विभाग	5.00	0.22	4.78	3.00
29	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	645.10	511.55	133.55	87.97
30	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	208.00	188.85	19.15	45.35
31	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	109.30	81.02	28.28	6.00
32	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	280.50	220.97	59.53	11.25
33	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	534.60	530.94	3.66	31.77
34	49- जल संसाधन विभाग	1,305.90	1,121.11	184.79	204.97
35	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	526.10	389.80	136.30	87.36
36	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	198.44	183.01	15.43	37.88
37	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	79.58	51.06	28.52	10.19
38	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	143.30	116.96	26.34	121.80
सकल योग (राजस्व + पूँजीगत)		34,268.49	27,897.51	6,370.98	3,315.06

परिशिष्ट 2.7
निधियों का अधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन
(संदर्भ: कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2013-00-108-02	16.00	-	(-)2.16
2	23- उद्योग विभाग	2851-00-107-06	4.53	-	(-) 0.88
3	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-08	2.50	-	(-)27.11
4	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2251-00-090-06	1.86	-	(-)21.96
कुल			24.89		(-)52.11
5	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	5054-03-337-08	3,500.00	-	(+)7.86
6		2217-80-191-33	2,051.58	-	(+)127.26
कुल			5,551.58		(+)135.12
7	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2013-00-108-01	-	16.00	(+)35.26
8	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	2210-03-103-01	-	500.00	(+)497.88
9	शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-200-15	-	114.74	(+)114.74
कुल				630.74	(+)647.88
10	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-02	22.20	27.84	(-)13.69
11	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2515-00-102-10	4.75	23.75	(+)0.24
कुल			26.95	51.59	(-)13.45

परिशिष्ट 2.8

**वर्ष के दौरान किये गये बड़े अभ्यर्पणों की समीक्षा के परिणाम
(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 47)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-789-67	मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना	200.00	200.00	100
2		2401-00-796-67	मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना	1,200.00	1,200.00	100
3		2401-00-800-68	मृदा सुधार, प्रबंधन एवं भूमि विकास योजना	600.00	600.00	100
4		2401-00-796-A1	खाद्यान्न फसलें	2,580.00	2,580.00	100
5		2401-00-102-A1	खाद्यान्न फसलें	1,290.00	1,290.00	100
6		2401-00-789-A1	खाद्यान्न फसलें	430.00	430.00	100
7		2401-00-796-AN	सब्जी उत्पादन का प्रत्यक्षण	300.00	300.00	100
8		2401-00-796-AO	विशेष फसलें-हल्दी एवं अदरक का प्रत्यक्षण	300.00	300.00	100
9	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-103-74	बैकयाई लो इनपुट बर्ड की वितरण की योजना	830.00	830.00	100
10		2403-00-103-77	व्यवसायिक कुक्कुट पालन योजना	750.00	750.00	100
11		2403-00-106-64	राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	470.00	470.00	100
12		2403-00-106-65 (सी.एस.एस)	पशुधन विकास का सबमिशन (कलस्टर आधारित मास डीवार्मिंग हेल्थ कवर प्रोग्राम)(के.प्रा.यो.)	219.00	219.00	100
13		2403-00-789-64	राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	250.00	250.00	100
14		2403-00-796-64	राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	400.00	400.00	100
15		2403-00-796-74	बैकयाई लो इनपुट बर्ड की वितरण की योजना	375.00	375.00	100
16		2403-00-796-77	व्यवसायिक कुक्कुट पालन योजना	300.00	300.00	100
17		4403-00-789-07	पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण	334.00	334.00	100
18		4403-00-796-06	पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना	1,800.00	1,800.00	100
19	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि	3,652.80	3,652.80	100
20		4059-01-796-39	कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि(केंद्राश-75:राज्यांश-25)	1,826.40	1,826.40	100
21	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नये भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान	1,000.00	1,000.00	100
22		2801-80-800-09	परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित)- स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हेतु अनुदान	1,000.00	1,000.00	100
23		6801-00-201-24	प्रदूषण नियंत्रण उपाय	8,000.00	8,000.00	100
24		6801-00-202-01	कोयला ब्लॉक और बिजली संयंत्र-नई योजना (योजना)	7,500.00	7,500.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
25	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-789-34	समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.;एस.)	600.00	600.00	100
26		6801-00-796-34	समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.;एस.)	1,300.00	1,300.00	100
27		6801-00-800-34	समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.;एस.)	3,100.00	3,100.00	100
28	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-796-05	राज्य उत्पाद भवन का निर्माण(योजना)	1,500.00	1,500.00	100
29	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	निकषेप निधि में योगदान	20,000.00	20,000.00	100
30	17- वाणिज्य कर विभाग	4059-60-051-04	प्रस्तावित चेक पोस्ट	300.00	300.00	100
31	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	800.00	800.00	100
32		3456-00-102-45	चना/दाल वितरण योजना	6,000.00	6,000.00	100
33		3456-00-789-42	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा बी.पी.एल. परिवारों को एल.पी.जी. गैस वितरण योजना	300.00	300.00	100
34		3456-00-789-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	300.00	300.00	100
35		3456-00-789-44	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण	300.00	300.00	100
36		3456-00-789-45	चना/दाल वितरण योजना	2,500.00	2,500.00	100
37		3456-00-796-03	अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	216.00	216.00	100
38		3456-00-796-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	900.00	900.00	100
39		3456-00-796-45	चना/दाल वितरण योजना	6,500.00	6,500.00	100
40	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-110-49 (सी.एस.एस.)	ग्रीण इंडिया मिशन	1,565.65	1,565.65	100
41		2406-01-110-49	ग्रीण इंडिया मिशन	1,043.77	1,043.77	100
42	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-51	कम्यूनिटी बेस्ट पैलिएटिव केयर	200.00	200.00	100
43		2210-01-102-54	यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम	7,000.00	7,000.00	100
44		2210-01-103-56 (सी.एस.एस.)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3,700.00	3,700.00	100
45		2210-01-103-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	2,600.00	2,600.00	100
46		2210-01-103-56 (सी.एस.एस.)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	418.00	418.00	100
47		2210-01-109-40 (सी.एस.एस.)	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल)	5,870.00	5,870.00	100
48		2210-01-109-40	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल)	1,165.00	1,165.00	100
49		2210-01-110-25	इमर्जेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स सर्विसेज	1,200.00	1,200.00	100
50		2210-01-110-47	झारखण्ड राज्य में जेनेटिक स्क्रीनिंग योजना	500.00	500.00	100
51	2210-01-110-53	केंद्रीय बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट	200.00	200.00	100	

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
52	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-55	निजी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	3,000.00	3,000.00	100
53		2210-01-110-57 (सी.एस.एस)	पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत पी.एम.सी.एच. धनवाद में सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक	3,000.00	3,000.00	100
54		2210-01-110-57	पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत पी.एम.सी.एच. धनवाद में सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक	600.00	600.00	100
55		2210-01-789-54	यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम	7,000.00	7,000.00	100
56		2210-01-789-56 (सी.एस.एस)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	700.00	700.00	100
57		2210-01-789-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	400.00	400.00	100
58		2210-01-796-54	यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम	6,000.00	6,000.00	100
59		2210-01-796-56 (सी.एस.एस)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1,600.00	1,600.00	100
60		2210-01-796-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1,000.00	1,000.00	100
61		2210-05-101-17	राष्ट्रीय मिशन आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)	475.00	475.00	100
62		4210-01-110-24	नये एम्बुलेंस का क्रय(परिचालन व्यय सहित)	500.00	500.00	100
63		4210-01-110-26	डायलिसिस सेंटर की स्थापना	200.00	200.00	100
64		4210-01-110-33	राज्य डायलिटिक केयर सेंटर	1,000.00	1,000.00	100
65		4210-01-110-36	कर्मा, कोडरमा में नये मेडिकल कॉलेज	1,000.00	1,000.00	100
66		4210-01-110-37	नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	1,000.00	1,000.00	100
67		4210-01-796-35	एम.जी.एम.एम.सी. कैम्पस में नये अस्पताल भवन	2,000.00	2,000.00	100
68		4210-01-796-37	नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	1,000.00	1,000.00	100
69		4210-02-110-36	ब्लड बैंक	200.00	200.00	100
70		4210-03-105-07	पी.एम.सी.एच. धनवाद और एम.जी.एम. सी.एच. जमशेदपुर में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना	1,000.00	1,000.00	100
71		22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-43 (सी.एस.एस)	पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण	1,873.00	1,873.00
72	4055-00-207-43		पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण	1,249.00	1,249.00	100
73	4055-00-207-45		पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय	751.00	751.00	100
74	23- उद्योग विभाग	2851-00-107-10	रेशम के विकास की योजना-आधारभूत संरचना का विकास	200.00	200.00	100
75		2852-80-102-05	भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास-सहायता अनुदान	1,000.00	1,000.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
76	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-07	असाइड योजना-सहायक अनुदान	1,500.00	1,500.00	100
77		2852-80-102-19	उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु भू-अर्जन सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
78		2852-80-102-52	पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक इकाईयों को सहायता अनुदान	380.00	380.00	100
79		2852-80-102-67	औद्योगिक गलियारे हेतु सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
80		2852-80-796-05	भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास-सहायता अनुदान	2,500.00	2,500.00	100
81		4851-00-796-02	निफ्ट केन्द्र की स्थापना	500.00	500.00	100
82	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	4059-01-001-56	बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण	247.00	247.00	100
83		4059-01-796-56	बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण	300.00	300.00	100
84		4250-00-203-07	नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण	200.00	200.00	100
85	29-खनन एवं भू-तत्व विभाग	4853-02-004-01	खनन स्थापना-मुख्य निर्माण कार्य	464.00	464.00	100
86		4853-02-004-03	भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण	250.00	250.00	100
87	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग))	4225-80-796-08	हज हाउस का निर्माण	400.00	400.00	100
88	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-094-34	कैपेसिटी बिल्डिंग/ सेमिनार सिम्पोजियम/डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/ इनोभेसन/पी.पी.पी. वर्कशॉप आदि	600.00	600.00	100
89		2053-00-796-24	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड द्वारा खूँटी जिला में नॉलेज सिटी की स्थापना	500.00	500.00	100
90		2053-00-796-25	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (न्यू सिटी कैपिटल प्रोजेक्ट)	5,000.00	5,000.00	100
91		3454-02-796-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे.एस.एस.एस.पी)	884.35	884.35	100
92	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	316.00	316.00	100
93	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	निः सहायों एवं विकलांगों को नगद राहत	1,300.00	1,300.00	100
94		2245-01-101-02	खाद्यान्न की आपूर्ति	3,000.00	3,000.00	100
95		2245-01-101-08	खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य द्वारा सहायता	800.00	800.00	100
96		2245-01-101-09	अन्य कार्य हेतु राज्य द्वारा सहायता	200.00	200.00	100
97		2245-01-104-01	चारे की आपूर्ति	300.00	300.00	100
98		2245-02-101-06	अन्य राज्यों के आपदा पीड़ितों को सहायतार्थ	500.00	500.00	100
99		2245-80-101-16	14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्धन	1,909.99	1,909.99	100
100		2245-80-800-17	एस.डी.आर.एफ. निधि में निवेश	54,000.00	54,000.00	100

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
101	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-08 (सी.एस.एस)	नीरांचल योजना	461.30	461.30	100
102		2501-02-101-08	नीरांचल योजना	308.00	308.00	100
103		2501-02-796-08 (सी.एस.एस)	नीरांचल योजना	339.20	339.20	100
104		2501-02-796-08	नीरांचल योजना	226.00	226.00	100
105		2515-00-102-28	उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना	980.00	980.00	100
106		2515-00-789-28	उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना	300.00	300.00	100
107		2515-00-796-28	उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना	720.00	720.00	100
108	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-800-47	बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु 70 प्रतिशत सहायक अनुदान	320.00	320.00	100
109		2203-00-796-A5	गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान	208.00	208.00	100
110	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203-00-001-98	आई.टी./आई.टी.इनेबल्ड सर्विसेज इन्सेटिव	200.00	200.00	100
111		2203-00-796-A9	नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान	800.00	800.00	100
112		2203-00-001-A9	नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान	388.15	388.15	100
113	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-62	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (एन.आर.सी.पी.) द्वारा प्रायोजित योजना हेतु अनुदान (केन्द्रांश)	800.00	800.00	100
114		2217-80-191-65	झारखण्ड राज्य विकास निधि अनुदान (राज्य निधि)	3,200.00	3,200.00	100
115		2217-80-191-67	बाह्य सम्पोषित योजनाओं हेतु अनुदान(योजना)	2,000.00	2,000.00	100
116		2217-80-191-70	स्मार्ट सिटी (राज्यांश)	3,200.00	3,200.00	100
117		2217-80-191-75	स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश)	4,800.00	4,800.00	100
118		2217-80-796-61	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. (राज्यांश)	1,150.00	1,150.00	100
119		2217-80-796-62 (सी.एस.एस)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. (केन्द्रांश) सह नमामी गंगे हेतु अनुदान	1,150.00	1,150.00	100
120	2217-80-796-67	बाह्य सम्पोषित, राँची सिवरेज-ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजनाओं हेतु अनुदान	3,000.00	3,000.00	100	
121	49-जल संसाधन विभाग	2705-00-101-01	मयुराक्षी जलाशय योजना	300.00	300.00	100
122		2705-00-789-02	काँची सिंचाई योजना	300.00	300.00	100
123		4700-80-789-12	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश)	6,500.00	6,500.00	100
124		4700-80-800-12	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम(केन्द्रांश)	1,000.00	1,000.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
125	49--जल संसाधन विभाग	4701-80-005-76	राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना	500.00	500.00	100
126		4701-80-789-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	500.00	500.00	100
127		4701-80-789-65	छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	500.00	500.00	100
128		4701-80-796-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	2,000.00	2,000.00	100
129		4701-80-800-65	छोटानागपुर संधाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	2,000.00	2,000.00	100
130	50-- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-789-18	चालू लघु सिंचाई का निर्माण	200.00	200.00	100
131	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-81	प्रशिक्षण (नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी)	200.00	200.00	100
132		2225-02-796-28	लाह विकास योजना	10,100.00	10,100.00	100
133		2225-02-796-89	लाह एवं लघु-वनोपज विपणन एवं विकास कार्यक्रम	1,000.00	1,000.00	100
134		4225-01-789-02	छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य	200.00	200.00	100
135	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2205-00-101-37 (सी.एस.एस)	रविन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन (के.प्रा.यो.)	235.00	235.00	100
136		2205-00-101-37	रविन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन	240.00	240.00	100
137	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-101-60	केज एक्वाकल्चर	530.00	530.00	100
138		2405-00-796-60	केज एक्वाकल्चर	270.00	270.00	100
139		4405-00-101-68	केज एक्वाकल्चर	1,156.00	1,156.00	100
140		4405-00-789-68	केज एक्वाकल्चर	250.00	250.00	100
141		4405-00-796-68	केज एक्वाकल्चर	630.00	630.00	100
142	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-75	गव्य प्रजनन राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	200.00	200.00	100
143		2404-00-102-76	नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एन.पी.डी.डी.)	600.00	600.00	100
144	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-198-45	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य परफारमेंस अनुदान	11,857.00	11,857.00	100
145	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-36 (सी.एस.एस)	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	2,000.00	2,000.00	100
146		2202-02-109-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	2,000.00	2,000.00	100
147		2202-02-109-60	झारखण्ड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.)	558.00	558.00	100

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
148	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-789-36 (सी.एस.एस)	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	680.00	680.00	100
149		2202-02-789-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना)	680.00	680.00	100
150		2202-02-796-36 (सी.एस.एस)	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना)	1,320.00	1,320.00	100
151		2202-02-796-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना)	1,320.00	1,320.00	100
152	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-106-96 (सी.एस.एस)	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	1,300.00	1,300.00	100
153		2235-02-106-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	864.00	864.00	100
154		2235-02-796-96 (सी.एस.एस)	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	1,400.00	1,400.00	100
155		2235-02-796-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	936.00	936.00	100
156		4235-02-796-75	विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विशेष निःशक्त केन्द्र	250.00	250.00	100
				2,98,011.61	2,98,011.61	100

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2017	मार्च 2017
1	ऊर्जा विभाग	2810	51.84	51.84	51.84	100.00	100.00
2	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	4217	49.00	49.00	49.00	100.00	100.00
3	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4235	116.96	113.14	116.96	100.00	96.73
4	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	5452	69.47	38.71	74.27	93.54	52.12
5	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245	403.25	205.36	453.32	88.95	45.30
6	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	4225	217.96	101.55	264.04	82.55	38.46
7	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217	2,127.94	963.75	2,583.98	82.35	37.30
8	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204	47.51	40.39	57.87	82.10	69.79
9	उद्योग विभाग	2852	133.54	62.95	166.41	80.25	37.83
10	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2402	49.86	38.15	62.93	79.23	60.62
11	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501	367.05	149.95	485.93	75.54	30.86
12	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055	138.58	128.56	188.68	73.45	68.14
13	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203	191.15	175.81	263.62	72.51	66.69
14	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401	497.96	387.88	716.70	69.48	54.12
15	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	3452	24.13	10.03	37.37	64.57	26.84
16	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405	32.83	17.42	51.06	64.30	34.12
17	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053	126.43	80.96	203.13	62.24	39.86
18	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	315.06	290.61	511.55	61.59	56.81
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406	298.45	212.09	491.57	60.71	43.15
20	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230	79.03	63.23	131.39	60.15	48.12

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2017	मार्च 2017
21	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	4402	256.24	207.81	428.01	59.87	48.55
22	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	4216	49.20	9.36	84.75	58.05	11.04
23	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404	124.75	73.53	221.40	56.35	33.21
24	पथ निर्माण विभाग	3054	126.09	65.97	227.07	55.53	29.05
25	जल संसाधन विभाग	4701	217.61	72.12	393.08	55.36	18.35
26	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405	30.95	18.26	58.81	52.63	31.05
27	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225	676.23	290.94	1,311.94	51.54	22.18
28	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215	112.11	31.73	220.97	50.74	14.36
29	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	2015	34.87	19.39	69.43	50.22	27.93
कुल			6,966.05	3,970.49	9,977.08	69.82	39.80

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रि अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय असमाशोधित रहा
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)
(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रि अधिकारी/विभाग	असमाशोधित राशि
1	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	1,798.41
2	उद्योग निदेशक, उद्योग और खनिज विभाग, झारखण्ड	510.04
3	सचिव, पशुपालन विभाग, राँची	96.91
4	सचिव, परिवहन एवं नागर विमानन-सह-राज्य आयुक्त, झारखण्ड	182.27
5	रजिस्ट्रार, सहकारिता सोसाइटी सहयोग विभाग रांची	166.47
6	सचिव, वित्त एवं राजस्व व भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची	109.93
7	सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	12.70
8	सचिव, राजस्व विभाग बोर्ड	356.34
9	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग, राँची	7,640.18
10	उप सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रांची	253.23
11	उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, झारखण्ड, राँची	57.72
12	सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	1,868.71
13	सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	1,229.48 194.82
14	सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1,078.83
15	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग झारखण्ड	959.44
16	उप. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	389.80
17	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	6,092.55
18	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1,412.66
19	श्रम आयुक्त, झारखण्ड, राँची	120.45
20	निदेशक, योजना और मूल्यांकन विभाग	10.69
21	सचिव, झारखण्ड, विधान सभा	66.36
22	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, झारखण्ड, राँची	69.43
23	महानिरीक्षक (कारा), गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	41.26
24	सचिव, खाद्य और पोषण विभाग झारखण्ड	394.50
25	निदेशक, डेयरी विकास विभाग	221.39
26	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग	112.11
27	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन विभाग	54.41
28	मुख्य अभियंता, सड़क निर्माण (पीडब्ल्यूडी) विभाग	176.81
29	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन-IV ग्रामीण पुलिस, झारखण्ड आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	370.56

क्र.सं.	नियंत्री अधिकारी/विभाग	असमाशोधित राशि
30	डी.जी.पी. होम गार्ड, राँची आयुक्त, नागरिक रक्षा, झारखण्ड रजिस्ट्रार, कैबिनेट (सतर्कता) विभाग राँची प्रमंडलीय आयुक्त, राजभाषा विभाग, राँची	95.33
31	उद्योग निदेशक, उद्योग और खनिज विभाग, झारखण्ड	98.80
32	उद्योग निदेशक, उद्योग और खनिज विभाग, झारखण्ड	164.78
33	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	89.08
34	अवर सचिव, बीसी और आवास पीडब्ल्यूडी प्रमंडल विभाग मुख्य अभियंता, बीसी और आवास पीडब्ल्यूडी प्रमंडल विभाग	107.52
35	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	300.46
36	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	25.69
37	सचिव-सह-आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग	400.00
38	मत्स्यपालन निदेशक, झारखण्ड	45.69
39	निदेशक, मृदा एवं जल संरक्षण, झारखण्ड	62.56
कुल		27,438.37

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची

परिशिष्ट 2.11
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष										आवंटन				कुल व्यय (मार्च तक)	
	शीर्ष	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष		उप शीर्ष	यो./गै.यो.	दत्तमत / भारित	मूल	अनुपूरक (अगस्त 2017 में)	पुनर्विनियो जन	अंतिम				
1	3054-01-337-01	3054	सड़क एवं पुल	01	राष्ट्रीय उच्च पथ	337	सड़क निर्माण कार्य	01	राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मति	गै.यो. (डब्ल्यू)	दत्तमत	14.75	15.25	-8.74	21.26	0.04
2	3054-03-052-06	3054	सड़क एवं पुल	03	राज्य उच्च पथ	052	मशीन एवं उपकरण	06	मशीन एवं उपकरण	गै.यो. (डब्ल्यू)	दत्तमत	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
3	3054-03-337-01	3054	सड़क एवं पुल	03	राज्य उच्च पथ	337	सड़क निर्माण कार्य	01	राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मति	गै.यो. (डब्ल्यू)	दत्तमत	150.00	0.00	-31.63	118.37	115.81
उप-योग												164.76	15.25	-40.38	139.63	115.85
4	3054-03-337-02	3054	सड़क एवं पुल	01	राज्य उच्च पथ	337	सड़क निर्माण कार्य	02	कार्य भारित स्थापना परव्यय	गै.यो.	दत्तमत	0.15	0.00	0.25	0.40	0.40
5	3054-80-001-01	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	01	निदेशन	गै.यो.	दत्तमत	10.32	0.00	-1.96	8.36	8.25
6	3054-80-001-02	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	02	कार्य सम्पादन	गै.यो.	दत्तमत	66.84	0.14	-0.59	66.39	66.25
7	3054-80-001-04	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	04	अधीक्षण	गै.यो.	दत्तमत	7.84	0.00	-0.91	6.93	6.37
8	3054-80-001-05	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	05	निरूपण	गै.यो.	दत्तमत	6.75	0.02	-1.13	5.64	5.14
9	3054-80-001-06	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	06	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन	गै.यो.	दत्तमत	1.37	0.00	-0.36	1.01	1.00
10	3054-80-001-07	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	07	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण	गै.यो.	दत्तमत	2.06	0.03	-0.49	1.60	1.59
11	3054-80-001-08	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	08	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन	गै.यो.	दत्तमत	17.31	0.00	-1.80	15.51	15.24
12	3054-80-001-09	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	09	अग्रिम योजना स्थापना	गै.यो.	दत्तमत	7.01	0.02	-1.23	5.80	5.57
13	3451-00-090-12	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	00		090	सचिवालय	12	पथ निर्माण विभाग	गै.यो.	दत्तमत	1.89	0.00	-0.28	1.61	1.62
कुल योग												121.54	0.21	-8.50	113.25	111.43
सकल योग												286.30	15.46	48.88	252.88	227.28

परिशिष्ट 2.12

**विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन
(संदर्भ: कंडिका 2.7.9; पृष्ठ 54)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रमंडल	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	का.अ., प.नि.वि., डाल्टनगंज	योजना	226.70	226.66	0.04
		गैर-योजना (कार्य)	3.16	1.34	1.82
		गैर-योजना (स्थापना)	3.98	3.93	0.05
		कुल	233.84	231.93	1.91
2	का.अ., प.नि.वि., गुमला	योजना	148.09	142.19	5.90
		गैर-योजना (स्थापना)	2.24	0.00	2.24
		कुल	150.33	142.19	8.14
3	का.अ., प.नि.वि., हजारीबाग	योजना	226.42	226.07	0.35
		गैर-योजना (स्थापना)	2.46	2.18	0.28
		कुल	228.88	228.25	0.63
4	का.अ., प.नि.वि., जमशेदपुर	योजना	267.70	222.44	45.26
		गैर-योजना (स्थापना)	2.95	2.69	0.26
		कुल	270.65	225.13	45.52
5	का.अ., प.नि.वि., राँची	योजना	343.05	332.60	10.45
		गैर-योजना (स्थापना)	4.43	0.00	4.43
		कुल	347.48	332.60	14.88
सकल योग			1,231.18	1,160.10	71.08

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2017 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2015-16 तक (2014-15 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2016-17 के दौरान (2015-16 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	128	163.51	376	226.59	504	390.10
शिक्षा	158	7,175.04	642	3,675.92	800	10,850.96
सहकारिता	66	42.64	18	55.84	84	98.48
पशुपालन	42	27.03	शून्य	शून्य	42	27.03
चिकित्सा	05	195.00	13	656.03	18	851.03
कल्याण	693	603.78	6,505	1,038.08	7,198	1,641.86
कृषि	28	120.98	108	154.84	136	275.82
भूमि राजस्व	1	0.21	शून्य	शून्य	1	0.21
शहरी विकास	4,725	2,395.80	948	2,192.54	5,673	4,588.34
अन्य	2,126	6,005.35	742	4,720.34	2,868	10,725.69
कुल	7,972	16,729.34	9,352	12,720.18	17,324	29,449.52

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

**सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य
इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 57)**

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	बोकारो	2013-14
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	चतरा	2012-13
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	धनबाद	2013-14
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	दुमका	2011-12
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गढ़वा	2014-15
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गोड्डा	2012-13
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गुमला	2011-12
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	कोडरमा	2015-16
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लातेहार	12/2012
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लोहरदगा	2013/14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पाकुड़	2015-16
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	रामगढ़	2013-14
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	सरायकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा	2007-08
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	शून्य
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	11/2016
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2015-16
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2015-16
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2015-16
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2015-16

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	फरवरी-17
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2015-16
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	फरवरी-17
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	दिसम्बर-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2012-13
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	मेदिनीनगर	सितम्बर-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2014-15
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शुरुआत से लेखापरीक्षा नहीं किया गया
53	शिक्षा (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	विमानन	नागर विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड पदोन्नति अनुप्रयोग संस्थान (जैप-आई.टी.)	राँची	07/2014
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
61	वन	लाह प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
62	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
63	जैव प्रौद्योगिकी	वन में लाह का उत्पादन, डोरण्डा	राँची	2008-09
64	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2012-13 2. 2012/13 3. 2012-13 4. 2008-09
65	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्र, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
68	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
69	शिक्षा एवं शोध	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
70	वन	झारखण्ड जैविक विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची	राँची	शून्य (नई इकाई)
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2004-05
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला सामाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	कला, संस्कृति एवं खेलकूद	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति, मोराबादी, राँची	राँची	2008-09

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों में अभिश्रवों का नहीं पाया जाना
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 63)

(राशि ₹ में)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT
1	6	253	22-12-2016	2016-17	5054	PCB	330	05-03-2017	72,35,41,196
2	6	261	27-10-2015	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-2016	40,00,00,000
3	5	303	07-02-2017	2016-17	5054	PCB	1437	09-03-2017	15,00,00,000
4	2	403	17-03-2016	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-2016	8,00,00,000
5	1	95	22-06-2016	2016-17	5054	PCB	139	09-01-2017	2,62,80,653
6	5	315	08-12-2015	2015-16	5054	PCB	140	09-01-2017	2,21,83,875
7	5	315	08-12-2015	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-2016	1,31,36,625
8	2	211(L.Ni)/2015-	28-03-2016	2015-16	4403	PCB	657	15-09-2016	69,97,592
9	4	269/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	581	03-05-2016	45,20,000
10	4	269/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	713	03-06-2016	28,28,550
11	4	269/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	984	09-08-2016	10,51,450
12	5	270/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	714	03-06-2016	28,29,550
13	5	270/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	845	01-07-2016	17,42,915
14	5	270/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	982	09-08-2016	2,49,883
15	31	Adv.Build289/20	30-03-2016	2015-16	4055	PCB	964	20-01-2017	15,09,00,000
16	2	Adv.Build 01/20	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	965	20-01-2017	7,91,00,000
17	2	Build Bill01/20	06-03-2015	2014-15	4055	PCB	1201	26-03-2017	7,17,44,896
18	9	Adv.Build.03/20	30-03-2015	2014-15	4055	PCB	1199	26-03-2017	4,77,31,996
19	25	Adv.Build.01/20	29-03-2015	2014-15	4055	PCB	1203	26-03-2017	4,00,00,000
20	1	Adv.Bill 01/201	02-09-2014	2014-15	4055	PCB	1202	26-03-2017	3,87,86,502
21	2	Adv.Build 01/20	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	1034	13-02-2017	3,69,75,500
22	6	Adv.Build291/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	1207	26-03-2017	3,41,14,204
23	31	Adv.Build289/20	30-03-2016	2015-16	4055	PCB	1200	26-03-2017	2,68,58,474
24	1	Adv.Mise.01/201	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	967	20-01-2017	2,05,00,000
25	6	Adv.Build.01/20	29-03-2015	2014-15	4055	PCB	1204	26-03-2017	2,00,00,000
26	4	Adv.Build292/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	966	20-01-2017	1,68,00,000
27	1	Adv.Mise.01/201	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	1035	13-02-2017	1,00,14,200
28	3	Adv.Build293/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	1205	26-03-2017	40,27,750
29	4	Adv.Build292/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	1206	26-03-2017	24,70,251
30	4	428/2015-16	22-03-2016	2015-16	4055	RNC	2026	14-03-2017	41,65,000
31	2	418/2015-16	02-03-2016	2015-16	4055	RNC	4898	24-07-2016	40,69,681
32	1	134/11-12	21-02-2012	2011-12	4055	SGH	362	18-03-2017	20,26,607
33	16	34	29-03-2008	2007-08	4055	RNC	83	08-05-2016	18,49,000
34	9	165	29-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	10,94,166
35	3	246/2015-16	30-03-2016	2015-16	4055	DNB	594	18-09-2016	10,33,200
36	2	189/15-16	28-03-2016	2015-16	4055	BKR	582	14-09-2016	9,68,500
37	1	47	07-10-2010	2010-11	4055	BKR	580	14-09-2016	9,38,760
38	6	160	28-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	7,51,968
39	1	78/08-09	30-01-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	5,38,943
40	1	111/2008-09	17-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	4,49,871
41	10	511/2015-16	30-03-2016	2015-16	4055	RNC	4728	17-07-2016	4,30,530
42	2	137/12-13	25-03-2013	2012-13	4055	PKR	316	28-03-2017	3,48,828
43	2	124/11-12	05-03-2012	2011-12	4055	BKR	2407	18-10-2016	3,48,026
44	8	201/12-13	30-03-2013	2012-13	4055	GRH	364	28-02-2017	2,69,520

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT
45	9	141	17-03-2009	2008-09	4055	SDG	469	03-05-2016	2,00,000
46	10	164	29-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	1,48,224
47	4	374/15-16	30-03-2016	2015-16	4055	DMK	578	14-09-2016	1,00,887
48	2	251/2013-14	30-03-2014	2013-14	4055	CTR	1594	21-11-2016	78,750
49	0023A	60	15-03-2009	2008-09	2403	SGH	244	23-06-2016	7,71,413
50	124	170	30-03-2012	2011-12	2403	HZB	1	29-06-2016	4,25,117
51	315	26	21-03-2002	2001-02	2225	RNC	70	27-03-2017	1,50,000
52	318	29	21-03-2002	2001-02	2225	RNC	70	27-03-2017	1,00,000
53	57	3	11-01-2010	2009-10	2202	KDM	79	16-03-2017	1,00,00,000
54	0004D	2	27-03-2009	2008-09	2202	KDM	916	19-05-2016	93,60,000
55	60	4	27-03-2009	2008-09	2202	KDM	919	19-05-2016	58,50,000
56	0004D	69	29-03-2010	2009-10	2202	JMT	1122	18-09-2016	30,03,000
57	0001D	4	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1269	17-07-2016	17,78,328
58	0001C	1	10-01-2010	2009-10	2202	KDM	917	19-05-2016	13,50,000
59	0001C	3	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1268	17-07-2016	13,33,946
60	0002E	11	22-03-2009	2008-09	2202	LDG	1407	10-08-2016	13,33,745
61	0001F	179	30-03-2008	2007-08	2202	LDG	1266	17-07-2016	13,32,690
62	0014D	5	26-03-2009	2008-09	2202	RNC	654	08-08-2016	11,50,000
63	0001D	4	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1834	29-09-2016	8,89,014
64	0002D	251	30-03-2009	2008-09	2202	JMT	1088	13-09-2016	8,24,910
65	0001D	4	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1850	04-10-2016	4,44,332
66	0001F	1	27-03-2009	2008-09	2202	KDM	915	19-05-2016	3,60,000
67	0002B	49	26-03-2008	2007-08	2202	SKL	278	14-09-2016	3,50,877
68	0002E	11	22-03-2009	2008-09	2202	LDG	1478	28-08-2016	2,90,505
69	0005D	88	29-03-2009	2008-09	2202	PKR	1963	28-08-2016	2,00,000
70	74	5	18-06-2002	2002-03	2053	RNC	184	23-03-2017	7,02,35,000
71	59	20	13-12-2002	2002-03	2053	RNC	184	23-03-2017	6,58,74,392
72	25	17	26-11-2003	2003-04	2053	RNC	190	27-03-2017	3,20,59,200
73	79	147	10-01-2017	2016-17	2053	RNC	170	17-03-2017	3,68,59,417
74	79	147	10-01-2017	2016-17	2053	RNC	188	27-03-2017	1,68,40,583
75	23	01 ADVPS/2016-1	09-05-2016	2016-17	2040	PCB	1	21-04-2017	20,92,200
									2,32,04,55,192

परिशिष्ट 3.4
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विलंब से प्रस्तुतीकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 63)

(राशि ₹ में)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT	Due Date	Delay
1	6	261	27-10-15	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-16	40,00,00,000	25-11-15	0y 5m 25d
2	2	403	17-03-16	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-16	8,00,00,000	25-04-16	0y 0m 25d
3	5	315	08-12-15	2015-16	5054	PCB	140	09-01-17	2,21,83,875	25-01-16	0y 11m 7d
4	5	315	08-12-15	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-16	1,31,36,625	25-01-16	0y 3m 14d
5	2	211	28-03-16	2015-16	4403	PCB	657	15-09-16	69,97,592	25-04-16	0y 4m 14d
6	4	269	30-03-16	2015-16	4403	RNC	581	03-05-16	45,20,000	25-04-16	0y 0m 2d
7	4	269	30-03-16	2015-16	4403	RNC	713	03-06-16	28,28,550	25-04-16	0y 1m 2d
8	4	269	30-03-16	2015-16	4403	RNC	984	09-08-16	10,51,450	25-04-16	0y 3m 8d
9	5	270	30-03-16	2015-16	4403	RNC	714	03-06-16	28,29,550	25-04-16	0y 1m 2d
10	5	270	30-03-16	2015-16	4403	RNC	845	01-07-16	17,42,915	25-04-16	0y 2m 0d
11	5	270	30-03-16	2015-16	4403	RNC	982	09-08-16	2,49,883	25-04-16	0y 3m 8d
12	2	100/12-13	22-03-13	2012-13	4055	RNC	1283	17-05-16	44,66,137	25-04-13	3y 0m 16d
13	4	428/15-16	22-03-16	2015-16	4055	RNC	2026	14-03-17	41,65,000	25-04-16	0y 10m 13d
14	1	418/15-16	02-03-16	2015-16	4055	RNC	4898	24-07-16	40,69,681	25-04-16	0y 2m 23d
15	1	134/11-12	21-02-12	2011-12	4055	SGH	362	18-03-17	20,26,607	25-03-12	4y 11m 17d
16	16	34	29-03-08	2007-08	4055	RNC	83	08-05-16	18,49,000	25-04-08	8y 0m 7d
17	3	420/15-16	18-03-16	2015-16	4055	RNC	8419	21-12-16	16,60,700	25-04-16	0y 7m 20d
18	1	105/15-16	29-03-16	2015-16	4055	RNC	513	15-06-16	15,49,800	25-04-16	0y 1m 14d
19	9	165	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	10,94,166	25-04-09	7y 9m 18d
20	3	246/15-16	30-03-16	2015-16	4055	DNB	594	18-09-16	10,33,200	25-04-16	0y 4m 17d
21	8	237/14-15	30-03-15	2014-15	4055	GRH	304	17-02-17	9,82,342	25-04-15	1y 9m 16d
22	2	189/15-16	28-03-16	2015-16	4055	BKR	582	14-09-16	9,68,500	25-04-16	0y 4m 13d
23	1	47	07-10-10	2010-11	4055	BKR	580	14-09-16	9,38,760	25-11-10	5y 9m 13d
24	3	30/15-16	09-12-15	2015-16	4055	RNC	588	15-09-16	8,70,000	25-01-16	0y 7m 14d
25	6	160	28-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	7,51,968	25-04-09	7y 9m 18d
26	1	78/08-09	30-01-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	5,38,943	25-02-09	7y 11m 18d
27	1	111/08-09	17-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	4,49,871	25-04-09	7y 9m 18d
28	10	511/15-16	30-03-16	2015-16	4055	RNC	4728	17-07-16	4,30,530	25-04-16	0y 2m 16d
29	2	137/12-13	25-03-13	2012-13	4055	PKR	316	28-03-17	3,48,828	25-04-13	3y 11m 27d
30	2	124/11-12	05-03-12	2011-12	4055	BKR	2407	18-10-16	3,48,026	25-04-12	4y 5m 17d
31	8	201/12-13	30-03-13	2012-13	4055	GRH	364	28-02-17	2,69,520	25-04-13	3y 10m 27d
32	9	141	17-03-09	2008-09	4055	SDG	469	03-05-16	2,00,000	25-04-09	7y 0m 2d
33	10	164	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	1,48,224	25-04-09	7y 9m 18d
34	4	374/15-16	30-03-16	2015-16	4055	DMK	578	14-09-16	1,00,887	25-04-16	0y 4m 13d
35	8	146	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	1,00,000	25-04-09	7y 9m 18d
36	2	251/13-14	30-03-14	2013-14	4055	CTR	1594	21-11-16	78,750	25-04-14	2y 6m 20d
37	7	145	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	47,300	25-04-09	7y 9m 18d
38	148	173	30-03-12	2011-12	2403	HZB	369	24-06-16	24,61,984	25-04-12	4y 1m 23d
39	148	173	30-03-12	2011-12	2403	HZB	310	23-05-16	8,26,038	25-04-12	4y 0m 22d
40	0023A	60	15-03-09	2008-09	2403	SGH	244	23-06-16	7,71,413	25-04-09	7y 1m 22d
41	124	170	30-03-12	2011-12	2403	HZB	1	29-06-16	4,25,117	25-04-12	4y 2m 28d
42	113	299	30-03-12	2011-12	2403	PLM	316	08-09-16	2,85,755	25-04-12	4y 4m 7d
43	173	295	30-03-12	2011-12	2403	PLM	317	28-09-16	1,31,950	25-04-12	4y 5m 27d
44	315	26	21-03-02	2001-02	2225	RNC	70	27-03-17	1,50,000	25-04-02	14y 11m 26d

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT	Due Date	Delay
45	318	29	21-03-02	2001-02	2225	RNC	70	27-03-17	1,00,000	25-04-02	14y 11m 26d
46	60	282	29-03-12	2011-12	2225	HZB	434	14-03-17	1,00,000	25-04-12	4y 10m 13d
47	0002D	396	06-03-07	2006-07	2225	GDD	432	27-03-17	51,000	25-04-07	9y 11m 26d
48	0003D	395	22-03-07	2006-07	2225	GDD	432	27-03-17	48,000	25-04-07	9y 11m 26d
49	57	3	11-01-10	2009-10	2202	KDM	79	16-03-17	1,00,00,000	25-02-10	7y 0m 15d
50	0004D	2	27-03-09	2008-09	2202	KDM	916	19-05-16	93,60,000	25-04-09	7y 0m 18d
51	60	4	27-03-09	2008-09	2202	KDM	919	19-05-16	58,50,000	25-04-09	7y 0m 18d
52	179	18	27-10-10	2010-11	2202	JMT	1090	13-09-16	38,67,895	25-11-10	5y 9m 12d
53	0533A	173	28-03-06	2005-06	2202	RNC	2162	30-08-16	31,61,600	25-04-06	10y 4m 29d
54	0004D	69	29-03-10	2009-10	2202	JMT	1122	18-09-16	30,03,000	25-04-10	6y 4m 17d
55	0001D	4	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1269	17-07-16	17,78,328	25-03-10	6y 3m 16d
56	0001C	1	10-01-10	2009-10	2202	KDM	917	19-05-16	13,50,000	25-02-10	6y 2m 18d
57	0001C	3	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1268	17-07-16	13,33,946	25-03-10	6y 3m 16d
58	0002E	11	22-03-09	2008-09	2202	LDG	1407	10-08-16	13,33,745	25-04-09	7y 3m 9d
59	0001F	179	30-03-08	2007-08	2202	LDG	1266	17-07-16	13,32,690	25-04-08	8y 2m 16d
60	0014D	5	26-03-09	2008-09	2202	RNC	654	08-08-16	11,50,000	25-04-09	7y 3m 7d
61	0001D	4	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1834	29-09-16	8,89,014	25-03-10	6y 6m 28d
62	181	21	27-10-10	2010-11	2202	JMT	1089	13-09-16	8,80,000	25-11-10	5y 9m 12d
63	0002D	251	30-03-09	2008-09	2202	JMT	1088	13-09-16	8,24,910	25-04-09	7y 4m 12d
64	0001D	4	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1850	04-10-16	4,44,332	25-03-10	6y 6m 3d
65	0001F	1	27-03-09	2008-09	2202	KDM	915	19-05-16	3,60,000	25-04-09	7y 0m 18d
66	0002B	49	26-03-08	2007-08	2202	SKL	278	14-09-16	3,50,877	25-04-08	8y 4m 13d
67	0002E	11	22-03-09	2008-09	2202	LDG	1478	28-08-16	2,90,505	25-04-09	7y 4m 27d
68	0005E	10	24-03-09	2008-09	2202	LDG	1460	22-08-16	2,74,502	25-04-09	7y 3m 21d
69	0002H	187	30-03-08	2007-08	2202	LDG	1277	19-07-16	2,28,000	25-04-08	8y 2m 18d
70	0005D	88	29-03-09	2008-09	2202	PKR	1963	28-08-16	2,00,000	25-04-09	7y 4m 27d
71	74	5	18-06-02	2002-03	2053	RNC	184	23-03-17	7,02,35,000	25-07-02	14y 7m 22d
72	59	20	13-12-02	2002-03	2053	RNC	184	23-03-17	6,58,74,392	25-01-03	14y 1m 22d
73	25	17	26-11-03	2003-04	2053	RNC	190	27-03-17	3,20,59,200	25-12-03	13y 3m 26d
74	23	1	09-05-16	2016-17	2040	PCB	1	21-04-17	20,92,200	30-11-16	0y 4m 20d
									78,89,02,573		

परिशिष्ट 3.5

राजस्व खण्ड के अंतर्गत वृहत कार्य
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2403	00	103	61	कुक्कुट विकास (75:25)	0545 मुख्य कार्य	0.10
3475	00	106	08	माप एवं तौल का मानकीकरण	0545 मुख्य कार्य	1.06
कुल						1.16

परिशिष्ट 3.6

लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु-शीर्ष-800 के अधीन व्यय	कॉलम 5 का कॉलम 4 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	393.08	192.84	49.06
2	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	36.54	17.30	47.35
3	2053	जिला प्रशासन	371.30	120.17	32.36
4	6801	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	1,228.51	346.33	28.19
5	2801	ऊर्जा	1,702.80	325.12	19.09
6	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	485.93	70.29	14.47
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.18	0.02	11.11
कुल			4,218.34	1,072.07	25.41

परिशिष्ट 3.7

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष-800 के अधीन प्राप्तियाँ	कॉलम 5 का कॉलम 4 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0059	लोक निर्माण	26.09	26.09	100.00
2	0211	परिवार कल्याण	0.01	0.01	100.00
3	0404	डेयरी विकास	2.31	2.31	100.00
4	0700	वृहत सिंचाई	21.02	21.02	100.00
5	0701	मध्यम सिंचाई	57.77	57.77	100.00
6	0702	लघु सिंचाई	5.00	5.00	100.00
7	0801	ऊर्जा	6.43	6.43	100.00
8	1053	नागर विमानन	0.03	0.03	100.00
9	1456	सिविल आपूर्ति	3.90	3.90	100.00
10	6245	प्राकृतिक आपदा राहत के लिए ऋण	0.01	0.01	100.00
11	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.34	0.34	100.00
12	0406	वन एवं वन्य प्राणी	4.48	4.46	99.55
13	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	12.09	12.02	99.42
14	0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	13.01	12.77	98.16
15	0070	अन्य प्रशासनिक सेवार्यें	317.52	309.32	97.42
16	0216	आवास	23.58	22.42	95.08
17	1452	पर्यटन	2.82	2.66	94.33
18	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43.17	38.14	88.35
19	1054	सड़क एवं पुल	114.63	101.12	88.21
20	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.53	14.81	72.14
21	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	36.79	23.96	65.13
22	0041	वाहन कर	681.52	404.93	59.42
23	0401	फसल कृषि कर्म	5.89	3.32	56.37
24	0425	कॉ-आपरेशन	2.82	1.46	51.77
25	0071	पेंशन हेतु अंशदान एवं पुनः अदायगी	2.79	1.41	50.54
26	0852	उद्योग	0.02	0.01	50.00
27	0202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	21.10	9.30	44.08
कुल			1,425.67	1,085.02	76.11

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिपक्वता की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो धनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखल अन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्राहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानान्तरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



www.agjh.cag.gov.in